LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Monday, February 02, 2026 / Magha 13, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, February 02, 2026 / Magha 13, 1947 (Saka)

CONTENTS PAGES

ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS 1 – 30
(S.Q. NO. 21 – 31)

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS 31 – 50
(S.Q. NO. 32 – 40)

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS 51 – 280
(U.S.Q. NO. 231 – 460)

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Monday, February 02, 2026 / Magha 13, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, February 02, 2026 / Magha 13, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**281 - 301**
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	**301**
14th Report	
MOTION RE: 13TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	**301**
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**302 - 17**
Shri Anurag Sharma	**302**
Shrimati Manju Sharma	**303**
Captain Brijesh Chowta	**303**
Shri Rajiv Pratap Rudy	**304**
Shri Pradeep Kumar Singh	**304**
Shri Rajkumar Chahar	**305**
Dr. Manna Lal Rawat	**305**
Shri Ananta Nayak	**306**
Shri Arun Kumar Sagar	**306**
Shri Rodmal Nagar	**307**
Shri C. M. Ramesh	**307**
Shri Ramvir Singh Bidhuri	**308**
Md. Rakibul Hussain	**308**

Shri Harish Chandra Meena 309

Shri Imran Masood 309

Shri Murari Lal Meena 310

Shrimati Krishna Devi Shivshankar Patel 310

Shri Mohibbullah 311

Prof. Sougata Ray 311

Shri Kirti Azad 312

Shri Tamilselvan Thanga 313

Shri Magunta Sreenivasulu Reddy 314

Shri Dinesh Chandra Yadav 314

Shri Rajabhau Parag Prakash Waje 315

Shri E. T. Mohammed Basheer 316

Shri Mohmad Haneefa 317

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS 318 - 66
(Inconclusive)

Shri Sarbananda Sonowal 318 - 28

Shri Tejasvi Surya 329 - 41

ANNOUNCEMENT RE: AMENDMENTS TO MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS 342

Shri Rahul Gandhi -- (Speech Unfinished) 343 - 66

xxxx

(1100/MY/RP)

(Q. 21)

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Thank you, hon. Speaker, Sir. In November, 2023, CPWD submitted Kalichedu MMLWO School lay out and structural drawings for approval. However, till date, there has been no progress in the construction of MMLWO School buildings at Kalichedu and Talupur. What is the reason for this delay? … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: अभय सिन्हा जी, प्लीज आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एक मिनट के लिए बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मिस्टर रशीद, अगर आप बीच में उठेंगे तो मुझे आप पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप सदन की मर्यादा का ध्यान रखिए। आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

कुमारी शोभा कारान्दलाजे : माननीय अध्यक्ष जी, आंध्र प्रदेश को वर्ष 2016 से 2022 तक 17 डिस्पेंसरीज मंजूर की गईं। डिस्पेंसरीज को चिन्हित करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, जैसे उसका लोकेशन किधर होना चाहिए, बिल्डिंग किधर देना चाहिए। ऐसे ही मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टाफ को अप्वाइंट करने का काम भी राज्य सरकार का है। वर्ष 2016 से 2022 तक, तब की सरकार ने डिसपेंसरी के लिए जगह देने और लोकेशन चिन्हित करने का काम नहीं की। ईएसआईसी ने स्टेट गवर्नमेंट को बार-बार पत्र लिखा और उनके साथ मीटिंग भी की।

महोदय, वर्ष 2025 में नई सरकार आने के बाद एक बार फिर से ईएसआईसी ने आंध्र प्रदेश सरकार को पत्र लिखा। आंध्र प्रदेश की सरकार ने बहुत ही प्राथमिकता के साथ वर्ष 2017 में पांच जगहों को चिन्हित किया। इन पांच जगहों पर अभी डिस्पेंसरी नहीं है। वहां के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, सत्यवेदु, वरदैयापलेम, नायडूपेटा और मुथुकुरु में नई डिस्पेंसरी खोलने के लिए राज्य सरकार ने पत्र लिखा है। वहां तीन-तीन कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया है। वहां एक डॉक्टर, एक नर्स और एक अन्य स्टाफ को नियुक्त किया गया है। उसके साथ-साथ भारत सरकार की हमारी डिपार्टमेंट ने आंध्र प्रदेश के कर्मचारियों को देखते हुए आठ नए हॉस्पिटल और 17 डिस्पेंसरीज खोलने के लिए तैयार है। हम राज्य सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हैं। वहां आने वाले दिनों में हम जरूर इन चीजों को खोलेंगे।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण एवं मंत्रीगण, मैं सबसे बार-बार आग्रह करता हूं कि माननीय सदस्य भी संक्षिप्त में सवाल पूछें और माननीय मंत्री जी भी संक्षिप्त में जवाब दें। माननीय सदस्य जो सवाल पूछें, उसका ही माननीय मंत्री जी जवाब दें। न आप भूमिका बांधने का प्रयास करें और न ही माननीय सदस्य भूमिका बांधने का प्रयास करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न ले सकें। ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। मैं किसी को भी टोकना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेंगे तो मैं जरूर टोकूंगा।

(1105/VPN/MLC)

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Sir, in the year 1950, general and TB hospitals were constructed in Kalichedu village. When will the Government restart healthcare services at Kalichedu general hospital and TB hospital?

कुमारी शोभा कारान्दलाजे : सर, भारत सरकार ईएसआईएस के द्वारा बार-बार प्रयास करती है कि हॉस्पिटल खोले और कर्मचारी के आधार पर ईएसआईएस हॉस्पिटल खोलने के लिए नॉर्म्स है। उसके आधार पर भारत सरकार नियमित रूप से डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल खोलने के लिए काम करती है। इसके लिए कर्मचारी कितने हैं और ऑफिस कितने हैं, यह देखकर इसे जरूर करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद।

DR. M. K. VISHNU PRASAD (CUDDALORE): Thank you Speaker, Sir. There is a scheme called EPF scheme. Post retirement life is very, very crucial and they have to live with some honour and some respect. Right now, there are six lakh people who have enrolled in this scheme and 81 lakh people are being benefited. Rs. 75,000 crore have been collected and only Rs. 25,000 crore have been disbursed till now. They are getting Rs. 1,000 per month as pension. I would like to know, through you, Sir, whether the Government is having any idea to increase the minimum basic pension from Rs. 1,000 to Rs. 5,000? Thank you very much.

कुमारी शोभा कारान्दलाजे : सर, आज का प्रश्न ईएसआईसी के लिए है, ईपीएफओ के लिए अलग से प्रश्न पूछिए फिर इसके संबंध में जरूर बात करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : कोई बात नहीं, प्रश्न इसी से संबंधित है, मंत्री जी जवाब दे दीजिए। इसमें कोई बात नहीं है, यह अलग-अलग विभागों का प्रश्न नहीं है।

श्रम और रोजगार मंत्री; तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि क्या ईपीएफओ में बेस सीलिंग बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है? वह आज के दिन में विचाराधीन है।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

प्रो. सौगत राय जी।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, it seems from the answer that 17 dispensaries have been given in principle approval. May I know whether the Minister would be pleased to state how many such one-doctor, two-doctor, or three-doctor dispensaries have been allowed in West Bengal? If so, the details thereof.

डॉ. मनसुख मांडविया : वेस्ट बंगाल में छोटी डिस्पेंसरी के लिए कुल मिलाकर तीन नई डिस्पेंसरीज के लिए अप्रूवल दिया गया है और जब व्यवस्था खड़ी हो जाएगी, तो वहां डॉक्टर का अप्वायंटमेंट कर देंगे और सुविधा उपलब्ध करा देंगे।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Mr. Speaker, Sir. The basic issue of ESI Corporation is that the dispensaries in the concerned States are being administered by the State Government and the entire funding is from the Union of India, that is, from the ESI Corporation. There is a dual administration. That is the basic issue which is leading to a lot of difficulties in the administration of the ESI Corporation dispensaries.

There are so many Parliamentary Committee Reports, Consultative Committee Reports, and so many recommendations are before the Ministry of Labour. I would like to ask a specific question to the hon. Minister whether the Government will consider to address the issue of dual administration, on the one hand by the Union Government or the ESI Corporation and on the other by the State Governments? Will this issue be addressed so as to have a smooth functioning of the ESI dispensaries in the States? Thank you very much, Sir.

डॉ. मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। ईएसआईसी स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की व्यवस्था राज्य सरकार करती है और भारत सरकार उसको पैसा देती है। मैं ईएसआईसी कमेटी में चेयरमैन हूँ और माननीय सदस्य मेम्बर हैं, माननीय सदस्य और मैं, दोनों साथ मिलकर इस पर विचार करेंगे और उसमें जो कंसर्न और सहमति बनती है, उसके लिए सरकार में रिक्मेंडेशन भी करेंगे।

(1110/GG/UB)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, the ESI hospital in Thoothukkudi is 98 per cent complete. However, it has not been made operational yet because the staff like medical superintendent, OPD staff, and other professionals have not been appointed. If you do that, the services at the hospital will be started. So, I would like to know from the hon. Minister when the services will be started.

डॉ. मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अस्पताल को प्रारंभ करने के लिए प्रश्न पूछा है। अस्पताल का 98 पर्सेंट फिज़िकल काम पूर्ण हो चुका है। वहां पर डॉक्टर की नियुक्ति एवं ट्रांस्फर की प्रक्रिया हम जनवरी, फरवरी और मार्च तीन महीनों में करते हैं। इन दो महीनों में ही रिक्रूटमेंट हो जाएगा और मार्च के अंत तक हम अस्पताल को चालू कर देंगे।

(इति)

(Q. 22)

SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): Sir, sufficient awareness about ELI Scheme has not been created among people. Due to its strict eligibility criteria, many people are unable to avail the benefits. In this context, will the Government come forward to create adequate awareness. What will be the mechanism to relax eligibility norms of this Scheme?

डॉ. मनसुख मांडविया :माननीय अध्यक्ष जी, जो रोज़गार निर्माण योजना है, उसका लाभ सभी लोगों को मिले। सभी जातियों, वर्गों, समुदायों और सभी प्रकार की भौगोलिक क्षेत्रों के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना में एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस प्रावधान में जो नए लोग जॉइन करेंगे, उन सबको 15 हज़ार रुपये मिलेंगे। उनके राज्य और यूटी में इस व्यवस्था का लाभ वहां के युवा भी ले सकते हैं।

SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): Sir, my constituency is one of the Aspirational Districts which have a very few industries. What steps is the Government going to take to create job opportunities under ELI Scheme in my district of Ramanathapuram?

डॉ. मनसुख मांडविया :अध्यक्ष जी, ईएलआई योजना – जहां रोज़गार उपलब्ध होता है, जिसको रोज़गार मिलेगा, उसको आर्थिक सहाय करना है। जो इस्टेब्लिशमेंट यानि जो इंडस्ट्रीज़ नौकरीदाता के रूप में नौकरी देते हैं, उसको भी आर्थिक सहयोग करने की व्यवस्था इस योजना में की गई है।

माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि अपने लोक सभा क्षेत्र में नए रोजगार निर्माण के लिए जो स्थानिक उद्योग, स्थानिक विकास, जो भारत सरकार की कई योजनाओं से चल रहा है, उसका लाभ ले कर वहां भी आर्थिक उपार्जन के लिए रोज़गार निर्माण का कार्य हो सकता है।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 23 – श्री गोडम नागेश।

मैं इसमें व्यवस्था दे रहा हूँ कि प्रश्न संख्या 23 एवं 28 एक ही नेचर के हैं। क्या आप लोग दोनों प्रश्नों को एक साथ लेने के लिए तैयार हैं? दोनों ही पीएमश्री स्कूलों से संबंधित हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

श्री गोडम नागेश जी।

(प्रश्न 23 और 28)

श्री गोडम नागेश (आदिलाबाद) : अध्यक्ष जी, उत्तर तो पूरा विस्तार से मैं देख चुका हूँ।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, नमस्कार।

आगे बढ़ते हैं।

श्री गोडम नागेश (आदिलाबाद) : सर, मैं प्रश्न पूछता हूँ।

सर, पीएम-श्री स्कूलों में बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे बायोलॉजी और कैमिस्ट्री की लैब्स आदि की हर तरह की सुविधा वहां पर हैं। मेरा प्रश्न आपके माध्यम से यह है कि पीएम-श्री स्कूलों में जो यह सुविधा दी गई है, क्या उसका कोई मूल्यांकन हुआ है, क्योंकि बाकी स्कूलों से ये स्कूल अलग हैं? इन पीएम-श्री स्कूलों के छात्रों में कोई सुधार आया है, क्या इसका कोई मूल्यांकन हुआ है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदय, सदस्य का प्रश्न है कि कुछ मूल्यांकन हुआ है। मगर एक ही कोट मैं अभी करूंगा कि इस बार दिसंबर माह में राज्य के मुख्य सचिवों की एक प्रगति की बैठक में माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसकी समीक्षा की है, इसका मूल्यांकन किया है। सर्वत्र इसकी प्रशंसा हुई है कि पीएम-श्री स्कूल देश में एक प्रोग्रेसिव स्कूल के रूप में उभर रहे हैं। उनमें अन्य स्कूलों से अच्छी पढ़ाई हो रही है। इसकी मान्यता और स्वीकृति धीरे-धीरे बढ़ रही।

श्री गोडम नागेश (आदिलाबाद) : महोदय, अभी 13,074 स्कूल्स में यह योजना कार्यरत है। वहां का मूल्यांकन हुआ और वहां के छात्रों की गुणवत्ता अच्छी है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। देश भर के जो सेंट्रल स्कूल्स, स्टेट स्कूल्स या लोकल बॉडीज़ हैं, क्या सरकार इस योजना को और अधिक स्कूलों में लागू करने पर विचार कर रही है।

माननीय अध्यक्ष : आप यह बात वित्त मंत्री जी से कहिए।

(1115/UB/GG)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, अभी देश में 14,500 स्कूलों में से 13,000 से ज्यादा स्कूलों में यह योजना क्रियान्वित है। आपने सही कहा है। जब इस योजना के बारे में सोचा गया था, इसको प्रेरक स्कूलों के रूप में लागू किया गया था। देश में 15,00,000 स्कूल्स हैं, लेकिन उनमें से एक प्रतिशत प्रेरक स्कूल्स हैं, हब एंड स्पोक मॉडल देश में इम्पैक्ट लाएं। यह एक अच्छा प्रयोग है। भविष्य में देखेंगे कि क्या हो रहा है।

श्री काली चरण सिंह (चतरा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चतरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पाखी विधान सभा क्षेत्र है, जो आकांक्षी जिला पलामू के अंतर्गत आता है। वह शैक्षणिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र होने के बाद भी पीएम श्री विद्यालय से वंचित है। हाल ही में स्वीकृत किया गया है, जिसमें आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी गई है। क्या उसमें पाखी क्षेत्र को भी शामिल करने की संभावना है।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने जो स्पेशिफिक प्रश्न पूछा है, मैं उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा।

श्री राजीव राय (घोसी) : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पीएम श्री विद्यालय खोलने का क्राइटेरिया क्या है? क्या कभी उसका ऑडिट किया जाता है? वे नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं? मैं अपने संसदीय क्षेत्र में गया था, वहां बहुत दुर्व्यवस्था थी। मैंने अनुरोध किया है। जहां 30-30 सालों से कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं खुला है, वहां की आबादी कई गुना बढ़ गई है। क्या सरकार उन क्षेत्रों में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने पर विचार कर रही है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, यह विषय पीएम श्री स्कूल से संबंधित है। केन्द्रीय विद्यालय एक अलग विषय है। पीएम श्री स्कूलों को खोलने के लिए क्राइटेरिया बना हुआ है। ग्रामीण इलाकों में मूल्यांकन की अलग प्रक्रिया है तथा शहरी इलाकों में मूल्यांकन की अलग प्रक्रिया है। इसका फार्मेट पब्लिक डोमेन में है। सभी स्कूल्स उसके लिए आवेदन करते हैं। उनका मूल्यांकन किया जाता है। राज्य सरकार उसकी समीक्षा करके केन्द्र सरकार के समक्ष भेजती है। अगर ग्रामीण इलाके में 60 प्रतिशत क्राइटेरिया में वेटेज होता है, तो उसका चयन किया जाता है। शहरी इलाकों में 70 प्रतिशत क्राइटेरिया पर चयन होता है। मैं कह सकता हूं कि अभी तक 100 प्रतिशत पारदर्शी तरीके से उसका चयन होता है। अगर कोई विषय छूट गया है, तो राज्य सरकार उसको हमारे पास भेजेगी, तब हम उसको देखेंगे। केन्द्रीय विद्यालय एक अलग विषय है।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती कलाबेन देलकर – उपस्थित नहीं।

श्री संदिपनराव भुमरे – उपस्थित नहीं।

श्री राजेश रंजन – उपस्थित नहीं।

श्री वीरेन्द्र सिंह जी।

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : महोदय, मैंने पीएम-श्री योजना के तहत लिस्टेड सवाल पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए आपसे अनुरोध किया है। मैं माननीय मंत्री जी के कार्यालय में गया था, माननीय मंत्री जी ने सहृदयतापूर्ण मुझे आश्वासन दिया था कि मेरा चंदौली जनपद आकांक्षी जिले में आता है, वहां पर एक पीएम श्री स्कूल बनाया जाए, जिसके लिए आपने अपने स्टॉफ को ऐसा आदेश भी दिया था।

मंत्री जी, मैं इस सदन में आपसे पूछना चाहता हूं कि आप वही बात यहां पर भी कह देंगे, तो आपकी बहुत कृपा होगी।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : महोदय, मंत्री राजीव राय जी ने जो प्रश्न पूछा था, मैंने उस प्रश्न में इसका उत्तर दिया है। इसकी एक प्रक्रिया होती है। जब मेरे कार्यालय में मेरे मित्र आएंगे, तो मैं उनसे कड़वी बात तो नहीं कहूंगा। मैं यह कहूंगा कि इसको देखा जाएगा और कोशिश की जाएगी।

वीरेन्द्र सिंह जी, मैं आपसे फिर यह कहता हूं कि आपकी बात को राज्य सरकार तक पहुंचाऊंगा। अगर वह स्कूल इस क्राइटेरिया में आएगा, तो उसको इसमें शामिल करने में मुझे गर्व होगा और अच्छा भी लगेगा।

(इति)

(प्रश्न 24)

श्री राजा राम सिंह (काराकाट) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न का उत्तर पढ़ा है। वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय स्तर पर 5,482 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। अब 4,498 करोड़ रुपये का आवंटन दिख रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर यह राशि घट रही है। कस्तूरबा विद्यालयों की स्थिति इसी से समझ में आ रही है। इसके उन्नयन के लिए काम नहीं हो रहा है।

मेरा कहना है कि जिस तरह से हर क्षेत्र में बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। आधुनिक शिक्षा, तकनीक, एआई जैसे तमाम क्षेत्रों में विकास के लिए और ज्यादा फंड एलोकेशन की जरूरत है। उसके फंड को घटाने की जरूरत नहीं है। क्या मंत्री जी इस फंड को बढ़ाएंगे, ताकि बच्चों को क्वॉलिटी एजुकेशन दी जा सके?

(1120/YSH/VR)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, अभी वित्तीय वर्ष 2025-26 को खत्म होने में दो महीने बाकी हैं। अभी तक जितना खर्चा हुआ है, उसका हमने विवरण दिया है। वित्तीय प्रबंधन घटाने के लिए कोई कारण नहीं है। राज्य सरकार जैसे-जैसे हमें कस्तूरबा विद्यालयों की डिमांड पेश करती है, वैसे-वैसे हम उनको रिकरिंग खर्चा प्रेषित करते रहते हैं, उपस्थापित करते रहते हैं।

बाकी बच्चियों की पढ़ाई के बारे में प्रश्न है तो उसके लिए इस पवित्र सदन में एक सुखद संवाद करते हुए कल आदरणीय वित्त मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी के एक दायित्व को स्थापित किया है। देश में बच्चियों की पढ़ाई अच्छी हो रही है। इन दिनों स्कूलों में लड़कों की तुलना में जीआर में लड़कियां अच्छा आ रही हैं। यह देश के लिए एक शुभ संकेत है। इसको ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा में भी बच्चियां स्टेम एजुकेशन में अच्छा कर रही हैं। इसी को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कल बजट में भारत के सभी जिलों में एक अत्याधुनिक गर्ल्स हॉस्टल का प्रबंधन किया है। इसलिए हमारी सरकार गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए कमिटेड है। कल का बजट उसका बहुत बड़ा प्रमाण है।

श्री राजा राम सिंह (काराकाट) : अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव दाउदनगर में औरंगाबाद जिले के प्रखण्ड का कस्तूरबा विद्यालय है। इस वजह से मैं वहां की स्थिति को नजदीक से जानता हूँ। वहां अभी भी चाहे मनोरंजन कक्ष हो, चाहे वाचनालय हो या चाहे अन्य आधुनिक सुविधाएं हों, वे उन्हें उपलब्ध नहीं हैं। एकौनी उच्च विद्यालय, जो कस्तूरबा विद्यालय है, उसके साथ-साथ पूरे औरंगाबाद जिले में जो अन्य विद्यालय हैं, उन पर मैं विशेष ध्यान देने का आग्रह करता हूँ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जिस प्रकार से अभी बालिकाओं के ऊपर बिहार में खास तौर से नीट छात्राओं के साथ जो हुआ है, उसमें हमारे जिले की भी एक बालिका थी।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह क्वेश्चन नहीं है।

श्री राजा राम सिंह (काराकाट) : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा क्वेश्चन नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस लिहाज से हमारे जो कस्तूरबा विद्यालय हैं, उनमें बच्चियों की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। इस मामले में सरकार की क्या सोच और कथन है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्य राजा राम सिंह जी ने अपने चुनाव क्षेत्र के स्पेसिफिक स्कूल के बारे में प्रश्न पूछा है। मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वे प्रश्न काल के बाद मेरे पास आएं। हम सीधे बिहार सरकार से बात करेंगे और उनके साथ जो स्पेसिफिक समस्या है, उसके समाधान का रास्ता निकालेंगे। मैं विनम्रता के साथ उनको आश्वस्त करता हूँ कि उनकी चिंता की जाएगी।

श्री मियां अल्ताफ अहमद (अनन्तनाग-राजौरी) : सर, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के सामने यह नोटिस में लाना चाहता हूँ कि इस समय इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की जो पोजीशन है, वह दो हवाले से ठीक नहीं है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और दूसरा स्टाफ की कमी है। आपने जिस मकसद के लिए इन्हें खोला था,वह मकसद पूरा नहीं हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इनके स्टाफ के लिए, जहां-जहां कमी है, उनको ठीक किया जाए। तभी उनका फायदा लोगों को हो सकता है।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि व्यवस्था ठीक है। व्यवस्था और ज्यादा अच्छी करवानी चाहिए, ऐसी आपकी अपेक्षा है और मैं भी उससे सहमत हूँ। हम राज्य सरकारों को बार-बार आग्रह करते हैं कि जो व्यवस्था हम यहां से देते हैं,उस पर आप पूरा खर्चा करें, उस पर त्वरित खर्चा करें। उनको जितना स्टाफ रखने की जरूरत है, उतना स्टाफ रखना चाहिए। हम उसकी हर महीने मॉनिटरिंग करते हैं। आपके सुझाव हम आगे भी लेंगे।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने अपने उत्तर में अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यकों के बारे में उल्लेख किया है। आप हमारे यहां पर दिखवा सकते हैं कि 1.2 प्रतिशत भी आदिवासी या दलित की बच्चियां कस्तूरबा विद्यालय में नामांकित नहीं होती हैं। आपने कहा है कि बच्चियों का पढ़ाई में ज्यादा अनुपात है, लेकिन आठवीं, नौवीं तक जाते-जाते आप भारत की बच्चियों का एजुकेशन रिपोर्ट देख लीजिए। वे बारहवीं क्रॉस नहीं कर पाती हैं। चाहे ऐसा पारिवारिक कारणों से हों या चाहे सामाजिक या आर्थिक कारणों से हो। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो आदिवासी इलाका है, दलित इलाका है जैसे सीमांचल है, पूर्णिया है, कोसी है, वहां सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं, गरीब इलाका हैं इसलिए वे लोग बाहर जाते हैं।

(1125/STS/PBT)

कस्तूरबा स्कूल जैसे धमदाहा, बनमनखी और अन्य जगहों पर खोलने और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पर ध्यान देने की जरूरत है। आज के समय में बच्चियों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चियों की सुरक्षा, क्वालिटी और क्वांटिटी पर कैसे ध्यान दिया जाएगा? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बच्चियां कैसे स्कूल जाएगी, इस पर आपकी क्या सोच है? यह बताने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य जी ये तथ्य कहां से लाये हैं, शायद उनको विशेष रूप से मालूम होगा। मैं इस सदन के समक्ष ग्रॉस फीगर्स कोट करना चाहूंगा। कुल 7 लाख 58 हजार 288 बच्चियां पढ़ती हैं, उनमें से 2 लाख 6 हजार 297 एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, 1 लाख 77 हजार 9 एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं और 2 लाख 64 हजार 175 ओबीसी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, यानी लगभग 75 से 80 प्रतिशत पिछडे वर्ग के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। इस योजना की मूल शर्त ही यही थी कि एजुकेशनली बैकवर्ड इलाके में ही खोली जाएगी। यह तथ्य है। सदन को बेवजह की बातों में गुमराह नहीं किया जाना चाहिए।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 25, श्री मुरारी लाल मीणा।

(प्रश्न 25)

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कल वित्त मंत्री जी ने बोला है कि छोटे शहरों के ऐतिहासिक स्थलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय संस्कृति मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे दौसा संसदीय क्षेत्र में स्थित वीर शिरोमणि राणा सांगा की ऐतिहासिक चबूतरा, पांडूपोल (महाभारतकालीन स्थल), नारायणी माता मंदिर, पपलाज माता मंदिर, झांझीरामपुरा गोमुख, जैसे प्रमुख दर्शणीय स्थल हैं। क्या इन ऐतिहासिक स्थलों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया जाएगा, जिससे इन ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण, मरम्मत और सौंदर्यीकरण हो सके?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को शुरु करूं, उससे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद और आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि पर्यटन और संस्कृति दोनों को जिस तरह की प्रधानता माननीय वित्त मंत्री जी ने कल अपने बजट भाषण में की, निश्चित रूप से पर्यटन उद्योग को और पर्यटन के क्षेत्र को उससे बहुत बड़ी ऊंचाई आने वाले समय में मिलेगी।

माननीय सदस्य ने एएसआई के माध्यम से इन ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण का जो प्रश्न किया है और जिन मंदिरों और महाराणा सांगा, जो वीर शिरोमणि थे उनके स्मारक का भी उन्होंने उल्लेख किया है। ये जितने भी मंदिर और स्मारक, जिनका उन्होंने उल्लेख किया गया है, उनमें से कोई भी सेंट्रल प्रोटेक्टेड लिस्ट में नहीं है। सेंट्रल प्रोटेक्टेड लिस्ट में लाने की एक प्रक्रिया है। देश भर में अनेक ऐसे स्मारक हैं, जो राज्यों के द्वारा संरक्षित होते हैं, लेकिन जिन मंदिरों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, उनमें से एक को छोड़ कर अन्य कोई अभी स्टेट प्रोटेक्टेड लिस्ट में भी नहीं है। एक बार प्रोटेक्टेड लिस्ट में आने की प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद ही भारत सरकार एएसआई के माध्यम से संरक्षण की गतिविधि या कार्य उस पर कर सकती है।

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा) : माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात माननीय मंत्री जी ने यह कही कि इनमें से कोई भी प्रोटेक्टेड लिस्ट में नहीं है। क्या आप इन स्मारकों को इस लिस्ट में लाने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे?

अध्यक्ष महोदय, आप राजस्थान की लोक संगीत और लोक संस्कृति के बारे में सब जानते हैं और माननीय मंत्री जी भी जानते हैं। मेरा संस्कृति मंत्री जी अनुरोध है कि क्या पूर्वी राजस्थान, विशेषकर दौसा क्षेत्र के मीणावाटी लोक संस्कृति, पददंगल, कन्हैया दंगल, सुड्डा दंगल जैसी पारंपरिक लोक कलाएं एवं लोक संगीत को मान्यता दी जाएगी? विशेषकर पूरे राजस्थान की जो संस्कृति है, मैं समझता हूं कि इस संस्कृति से हमारे प्रधानमंत्री जी भी जब मीणा हाईकोर्ट में गए थे, तब इससे अवगत हो चुके हैं और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी भी जब भारत जोड़ा यात्रा की थी, तब उस यात्रा के दौरान उन्होंने पूरी रात लोक गीत सुनी थी। मैं चाहता हूं कि इनको मान्यता दी जाए।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विस्तार से अपने क्षेत्र और विशेष रूप से मेरे प्रदेश राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न लोक कलाओं और लोक परंपराओं का उल्लेख किया है और उन्होंने आग्रह और अनुरोध किया है कि किस तरह से उनको मान्यता दी जा सके। मुझे लगता है कि इस तरह से लोक संगीत को मान्यता देने का सरकार या व्यवस्था में कहीं कोई विधान नहीं है कि हम किसी लोक संस्कृति को या लोक गीत को या लोक संस्कृति की किसी विद्या को मान्यता प्रदान करें। हम उनके संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों मिलकर ऐसी विलुप्त हो रही सांस्कृति परंपराओं के संरक्षण के लिए काम कर सकती है।

(1130/MK/SNT)

निश्चित रूप से जहां भी इस तरह का विषय संज्ञान में आता है, उसको हम विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, जोनल कल्चरल सेंटर्स के माध्यम से रिइंफोर्स और रिजुवनेट करेंगे, ताकि वह वापस लोगों तक पहुंचे, उस क्षेत्र में काम करने वाले जो कलाकार और कलावंत हैं, उनको संरक्षित करने तथा उस कला को वापस डेसिमिनेशन के लिए काम करते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार की गुरु-शिष्य परम्परा के तहत ऐसी लुप्त हो रही कलाओं को वापस रिइंफोर्स करने के लिए हम अपनी रिपर्टरी ग्रांट प्रदान करके इस तरह की गतिविधियों को करते हैं। अगर इस तरह का प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से आता है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर सकारात्मक विचार किया जा सकता है।

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Mr. Speaker, Sir, though this question pertains to the National Cultural Fund, but with your permission may I ask a broader policy question pertaining to culture.

India is a civilizational continuum which has evolved over the millennia. There are various strains, various influences, and various confluences which have gone into shaping the syncretic idea of India. My question, Mr. Speaker, Sir, to the hon. Minister, through you, is this. Does the Government believe in the multicultural, multilingual, pluralistic, multi-ethnic ethos of India? And if it does believe that India is in fact a syncretic continuum of different confluences, what is the Government doing to promote this very pluralistic idea of India?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है। उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से पॉलिसी मैटर पर प्रश्न किया है। मैं आपकी अनुमति से उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूं।

भारत की संस्कृति में निश्चित रूप से हजारों साल तक सभ्यागत विकास हुआ है। मैं एक बार फिर माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि हजारों साल के विकास का जो क्रम था, उस विकास क्रम को जानने, पहचानने, खोजने और समझने के लिए जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन्स होते हैं, सामान्यत: एक्सकेवेटेड साइट्स को चाहे दिल्ली के पुराने किले में, जहां

हम सात डिफरेंट एरा को एक साथ देख सकते हैं। उनके डेवलपमेंट को साथ में देख सकते हैं। उसकी सभ्यता और आर्कियोलॉजी को एक साथ समझ सकते हैं। आर्किलॉजिकल और साइंटिफिक स्टडीज करने के बाद दुनिया भर में इस तरह की परम्परा है कि आर्कियोलॉजिस्ट उस साइट को एबैनडंड कर देते हैं। उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिल करके छोड़ दिया जाता है, ताकि भविष्य में कभी कोई उसमें और अनुसंधान करे तो उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। लेकिन, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन में वड़नगर की आर्कियोलॉजिकल साइट को एक एक्सपीरियंस जोन में गुजरात सरकार और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने बदला है। उसका परिणाम यह हुआ कि जो कोई भी वहां गया, उसके मन में भारत के प्रति एक गर्व और भारत के इस उद्विकास के प्रति एक गर्व का भाव समाहित हुआ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने कल एक नई योजना 'देश' नाम से दी है। एक नई योजना इस तरह की घोषित की है, जिसमें हम 15 संरक्षित ऐसे स्थल, जहां एक्सकेवेशन हुआ है, जहां हम इस पूरी कंटिन्यूटी को एग्जिविट कर सकें, लोग देख सकें और समझ सकें कि भारत ने किस तरह से पिछले दस हजार साल की विकास यात्रा पूरी की है और उनको एक्सपीरियंस जोन बनाने की घोषणा की है। भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र, जिसका सदन का शायद हर पत्थर गवाह होगा कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' और सभी का सम्मान, इस विश्वास और विचार के साथ काम करने वाले हम लोग हैं। हम सबको साथ लेकर, सबका विकास करते हुए और साथ में सभी धाराओं का सम्मान करते हुए भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए मुझे लगता है कि कहीं सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर देश के गरीब के घर में जाकर देखेंगे कि वह किस जाति, सम्प्रदाय, समाज, पूजा पद्धति या राजनीतिक आस्था से जुड़ा है, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण वहां देखने को निश्चित रूप से मिलेगा।

(इति)

(प्रश्न 26)

श्री रविन्द्र वसंतराव चव्हाण (नांदेड़) : अध्यक्ष महोदय, कई बीमा कंपनियों के कुछ कर्मचारी अनुचित व्यापार-व्यवहार, अर्थात् अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में सम्मिलित रहते हैं, जैसे मिस सेलिंग, अर्थात् किसी बीमा उत्पादन का अनुचित रूप से विक्रय करना।

(1135/ALK/RTU)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार द्वारा मिस-सेलिंग जैसे अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने संबंधी क्या उपाय किए गए हैं?

श्री पंकज चौधरी : बीमा क्षेत्र के विकास और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए इरडाई एक स्वतंत्र नियामक संस्था है। इरडाई कंपनियों पर निगरानी रखती है और साथ में ग्राहकों की शिकायतों का वितरण भी करती है। साथ में इरडाई की निगरानी में बीमा लोकपाल की भी व्यवस्था है और ऐसे में जिन कर्मचारियों की शिकायतें आती हैं, इरडाई के माध्यम से तथा उन कंपनियों के माध्यम से उनका निस्तारण कराया जाता है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सप्लीमेंट्री प्रश्न।

श्री रविन्द्र वसंतराव चव्हाण (नांदेड़) : अध्यक्ष महोदय, बीमा पालिसी बेचते समय बीमा कंपनियों के कर्मचारी क्लेम सेटलमेंट में प्रक्रिया के बारे में बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन क्लेम सेटलमेंट के समय बीमा कंपनियों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार द्वारा बीमा कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशियो में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

श्री पंकज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि इरडाई के माध्यम से सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन माननीय सदस्य ने बीमा सेटलमेंट की बात की है। अगर आप देखें, तो वर्ष 2024-25 में जीवन बीमा के तहत 6,30,171 लोगों का बीमा सेटलमेंट हुआ है, साधारण बीमा में 1,06,777, स्वास्थ्य बीमा में 99,032, कुल मिलाकर 8,35,980 बीमा सेटलमेंट किए गए हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य इसमें यह पूछ रहे हैं कि क्या इसमें अपील का भी प्रावधान है?

श्री पंकज चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, सारे प्रावधान हैं। इरडाई की व्यवस्था में सब दिया हुआ है, उसमें लोकपाल की भी व्यवस्था है।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

माननीय सदस्य श्री सुधीर गुप्ता।

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर) : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बीमा की विभिन्न योजनाएं जो वर्ष 2014 के बाद प्रारंभ हुई। विशेष रूप से 'प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना' में 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज दिया जा रहा है। इसमें संचयी नामांकन 56 करोड़ रुपये हुआ है। निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं कि वित्त मंत्रालय ने एक बेहतर प्रबंधन दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसकी प्रत्येक नागरिक तक पहुंच बन सके

और ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, पोस्ट ऑफिस या कॉमन सर्विस सेंटर स्तर पर इसकी फार्मलिटीज पूर्ण हो सके और प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहुंच बढ़ा सके, इसके लिए प्रत्येक नागरिक को सुलभता से प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कवरेज प्राप्त हो सके, क्या इसके लिए कोई योजना बनेगी?

श्री पंकज चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पहले बताया कि वर्ष 2014 के बाद यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आम आदमी के कल्याण के साथ-साथ उसका बीमा भी हो सके, ऐसी तमाम योजनाएं लेकर हमारी सरकार आयी थी। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री जन आरोग्य बीमा के साथ-साथ हमारी सरकार किसान के लिए भी बीमा लेकर आयी। तमाम अन्य बीमा योजनाएं लेकर आयी। माननीय सदस्य ने पहले ही 'जीवन ज्योति योजना' का मामला बताया है। वहां पर 26.32 करोड़ लोगों ने बीमा कराया है, नामांकन किया है, जिसमें 50 फीसदी महिलाएं हैं। 'प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना' में माननीय सदस्य ने स्वयं बताया है कि 56.15 करोड़ लोग नामित हुए हैं, जिसमें 50 पर्सेंट महिलाएं हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि इसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करे।

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Thank you, Sir. I have got a question for the hon. Minister who is also present here. Following the question raised by my colleague regarding general insurance and especially medical insurance, the hon. Minister mentioned that most of the complaints received by IRDAI through the Bima Bharosa portal pertain to life insurance, and that 99,000 claims have been settled *via* this platform in the field of medical insurance.

Sir, every single one of us here — whether parents or relatives — who has undergone small surgical procedures at private hospitals. For the sum ranging from Rs. 3,00,000 to Rs. 4,00,000, under Rs. 5,00,000, they either try and do excessive delay in paying the money or try to curtail the amount. The attitude is how not to pay the money and apart from going to a consumer forum, which is a lengthy process for most of us, the Bhima Bharosa Portal does not work. In a country of our size, the very fact that only 99,000 claims have been processed, I think if we add all of us together then only we would get to 40,000 claims. So, for 99,000 claims, can you do something to make it a little more stringent?

(1140/CP/RTU)

श्री पंकज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारा इरडाई के द्वारा शिकायत निवारण तंत्र है, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि बीमा भरोसा पोर्टल ठीक से काम नहीं करता है। इसके अलावा पीएमओ पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल भी है, सीपीग्राम्स भी है, सेंट्रल ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम भी है और इरडाई का एकीकृत शिकायत मैनेजमेंट सिस्टम भी है। इन सभी माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की नियमित मॉनीटरिंग भी होती है। इसके अलावा बीमा ओम्बड्समैन भी है, जहां पर ग्राहक शिकायत निवारण संस्तुत न होने पर अपील भी कर सकता है।

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : महोदय, पीएनबी मेटलाइफ, एसबीआई लाइफ नाम से कंपनियां बीमा का काम कर रही हैं। आम जनता यह समझती है कि यह पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है और उसमें वह बीमा कराती है। इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। मैं विशेष रूप से अपने जिले, अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे यहां टांडा में पंजाब नेशनल बैंक में हमारे क्षेत्र के लोगों ने पीएनबी मेटलाइट के अंतर्गत पैसे जमा किये और उनके साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस तरह की जो धोखाधड़ी है, उसको रोकने के लिए क्या कोई समुचित व्यवस्था करने का काम करेंगे?

श्री पंकज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया कि इरडाई द्वारा ही इसकी सारी व्यवस्था के तमाम तरीके हैं। अगर माननीय सदस्य के क्षेत्र का कोई स्पेसिफिक विषय है और वे मुझे बतायेंगे तो मैं दिखवा लूंगा।

(इति)

(प्रश्न 27)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : सर, डॉ. मनमोहन सिंह सरकार वर्ष 2009 में यह सोचकर राइट टू एजुकेशन लाई थी कि हर बच्चे को तालीम फ्री मिलेगी और वे भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। मेरा पहले का जो क्वैश्चन है, उसका जवाब नहीं आया। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ओवर वन लाख गवर्नमेंट स्कूल्स लास्ट 5 ईयर्स में बन्द हुए, जिसमें एक करोड़ पैंतीस लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। ये जो स्कूल्स बन्द हुए, ये ज्यादातर ट्राइबल एरियाज़ में हैं या जहां एससी पॉपुलेशन, माइनोरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर बन्द हुए हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो क्लोजर कराया गया है, इतने बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, उन्होंने इसका क्या असेसमेंट किया, जो ये स्कूल बन्द किए? प्रधान मंत्री कहते हैं कि "पढ़ेगा भारत, तो बढ़ेगा भारत"। यहां तो पढ़ाई का साधन ही बन्द हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि जो स्कूल्स बन्द हुए हैं, उन्हें कब तक चालू करेंगे? चूंकि आबादी बढ़ रही है, तो आप एडीशनल स्कूल्स कब देंगे और नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, शिक्षा कानक्रेंट लिस्ट में है। स्कूल कितने खुलेंगे, कितने चलेंगे, इसका दायित्व राज्य सरकारों का है। यूडाइस के पोर्टल में हमारे पास जानकारी है कि देश में अभी 10,13,332 स्कूल्स हैं। भारत सरकार को स्कूल खुलवाना या बन्द करना नहीं होता है। भारत सरकार अपना एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क देती है कि पढ़ाई क्या होगी, उसके लिए कुछ वित्तीय मदद भी करती है। स्कूल कहां खुलेगा, यह राज्यों के अधिकार का विषय है। वे अपना-अपना रेशनलाइजेशन करते हैं। एक विषय यह है कि बच्चे कितने बाहर गए? इन दिनों इंटर डेटा डिजिटलाइजेशन हुआ है। इस देश में आरटीई आया। आरटीई के बाद कुछ राज्यों में थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर आरटीई रीअम्बर्समेंट के लिए नम्बर बनाये जाते थे। इन दिनों हमारे डिजिटल इंडिया मिशन के तहत, जब हम लोगों ने विद्या समीक्षा केन्द्र, यूडाइस को डिजिटलाइज कराया, अपार आईडी बनवाया, तब कुछ राज्यों में, कुछ इलाकों से सही जानकारी आ रही है। इसमें कुछ रेशनलाइज करते हुए नम्बर ऊपर-नीचे दिख रहे हैं।

(1145/VVK/AK)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) : महोदय, मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी से ताल्लुक रखने वाला एक मुद्दा है, जिसके बारे में आपने भी बहुत चेष्टा की, लेकिन 12-13 साल होने के बावजूद भी एएमयू किशनगंज में अभी तक फंड नहीं दिया गया है। पिछले सात सालों में कई मर्तबा आपकी इजाजत से क्वैश्चन भी किया। कई मर्तबा माननीय मंत्री जी से भी मिला। अभी सामर्थ्य पोर्टल के बारे में आपने कहा कि जब उसमें फंड डलेगा, तभी आपको टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ मिलेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि फंड कब तक मिलेगा या क्यों नहीं मिल रहा है? Is it because एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है? अगर ऐसा है, तो आप बीएचयू खोल दीजिए, आप क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए, हम तो इतने डिप्राइव्ड हैं कि आप किसी भी धर्म का कॉलेज खोल लीजिए। एमयू का जो पैसा है, इसे कब तक रिलीज़ करेंगे और हमारा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ कब तक देंगे?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मूलतः स्कूल विभाग का है। आदरणीय सदस्य हायर एजुकेशन विभाग के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी-अभी मेरे मित्र ओवैसी जी भी आए थे। उनको वहाँ अच्छा समर्थन भी मिला है। उन्होंने भी एएमयू के बारे में मेरे सामने कुछ विषय रखा है। उसकी सही समय पर चिंता की जाएगी। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सही समय तो कभी भी आ सकता है।

… (व्यवधान)

श्री भजन लाल जाटव (करौली-धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि एक करोड़ के आसपास स्कूल पूरे देश के अंदर बंद कर दिए गए हैं। अकेले राजस्थान में वर्ष 2023-24 में 1,07,757 स्कूल थे, लेकिन आज वर्ष 2024-25 में 1,06,302 स्कूल हैं। लगभग 1500 स्कूल आपने एक साल में बंद कर दिए। देश में जनसंख्या बढ़ रही है। छात्रों का नामांकन बढ़ रहा है, छात्रों की संख्या बढ़ रही है। एक तरफ प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न पूरा हो गया है।

श्री भजन लाल जाटव (करौली-धौलपुर) : महोदय, कृपया थोड़ा-सा समय और दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आप भूमिका मत बनाइए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य जी ने कहा कि देश में एक करोड़ स्कूल बंद हो गए हैं। महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, देश में कुल मिलाकर 10 लाख 13 हजार… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह एक करोड़ नहीं एक लाख बता रहे थे, लेकिन यह तो राज्य सरकार का विषय है।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : जी महोदय, यह विषय राज्य सरकार का है। आप अनुमति दें, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जाटव जी जिस समूह, जिस पार्टी से आते हैं, उन्हीं की पार्टी की सरकार उन दिनों में राजस्थान में थी, जब स्कूल बंद हो रहे थे। वे वहाँ जाकर कष्ट करके पूछ लेते। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, यह बयानबाजी नहीं है। जहाँ स्कूलों में बच्चे कम हो गए हैं, सभी जगह स्कूल बंद हुए हैं।

… (व्यवधान)

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, I want to be specific to the hon. Minister.

Virudhunagar District Administration follows a structured real-time monitoring mechanism using the State Government's common digital platform that identifies students who are absent from school for more than two weeks. Periodic school dropout lists are being generated and cases have been distributed among the District-level officers from the District Magistrate to the Tehsildars fixing clear individual responsibilities.

The assigned officers personally visit the homes of children, interact with the parents/guardians, identify reasons for their dropouts, and facilitate their re-enrolment. Officers remain accountable until the child is brought back to school ensuring follow-through rather than mere reporting. This field-based ownership driven model has shown positive outcomes in reducing dropouts in the District and preventing children from early exposure to anti-social and vulnerable situations.

I would request to clarify whether the hon. Minister has taken note of this study. Can he study this model? This model is low-cost, scalable and replicable, and may be considered for adoption across the country to strengthen the school retention and achieve universal education goal. Thank you.

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Speaker Sir, many States have adopted their own unique model like my dear friend, Manickam Tagore quoted the Virudhunagar model. Yes, it might be a good model and certainly I will look into that.

Many States have adopted unique model to face the challenge of dropout issue, and at the pan-India level the Government of India is giving funds to develop Vidya Samiksha Kendras to monitor the last mile students in the classrooms. This is a good model. Many States are adopting such good models.

(ends)

(1150/SK/SRG)

(प्रश्न 29)

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में बताया है कि लगभग 12वीं तक 10 से 15 परसेंट बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। प्राइमरी से 12वीं तक गणना की जाए तो लगभग 20 परसेंट बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण गरीबी और खराब स्वास्थ्य बताया गया है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि खराब स्वास्थ्य को ठीक करने और गरीबी उन्मूलन के लिए बच्चों से संबंधित क्या उपाय किए गए हैं?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा कि स्कूल शिक्षा मूलत: राज्य सरकार के दायित्व में आता है। स्कूल ड्रापआउट एक राष्ट्रीय चुनौती है, प्राइमरी लैवल पर धीरे-धीरे 70 परसेंट जी.आर. हो रही है। जैसे-जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है, बच्चे आठवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा तक जाते हैं और फिर ड्राप आउट होता है। इसके कई कारण हैं। भारत सरकार ने समग्र शिक्षा योजना में एडीशनल क्लास रूम, पोषण योजना, केजीबीवी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रेजीडेंशियल होस्टल आदि योजनाओं जैसे अनेक इनीशिएटिव्स लिए हैं ताकि बच्चे स्कूल में रहें और पढ़ाई में लगें। जैसे हम पीएम श्री स्कूल और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उल्लेख कर रहे थे, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 शिक्षा को ज्वॉयफुल बनाने के लिए सभी इनीशिएटिव्स और प्रयास इसी दिशा में कर रहे हैं ताकि स्कूलों में ज्यादातर बच्चे रहें। प्राइमेरली हर राज्य के अनेक प्रकार के मॉडल्स हैं, हमें इस तरफ ध्यान देना होगा।

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जर्जर स्कूल भवन की वजह से कितने स्कूल मर्ज कर दिए गए हैं? मेरे संसदीय क्षेत्र में आवासीय स्कूलों में क्या शिकायतें आई हैं और इनके निवारण के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

माननीय अध्यक्ष: आपके संसदीय क्षेत्र में क्या शिकायतें आई हैं, आपको इसके बारे में राज्य के मंत्री से पूछना चाहिए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : माननीय अध्यक्ष जी, आपने सही संरक्षण दिया है। मैं एक जर्जर स्कूल के बारे में आपके समक्ष एक बात कहना चाहता हूं। आपने एक बार स्वयं चिंता जताई थी कि आपके गृह राज्य में कैसे सुधार हो। हमने भारत सरकार के उच्च अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकर एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। आपके निर्देश से समग्र शिक्षा के तहत अनुदान के संबंध में विशेषकर राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष ध्यान देने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिस विषय को उठाना चाहता था, माननीय मंत्री जी ने उसके बारे में बता दिया है। प्रश्न का जवाब आया कि स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण बीमारी और घरेलू कार्य बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि ड्रापआउट बच्चे और बच्चे के परिवार की समस्या है लेकिन सरकार की समस्या नहीं है।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या भौतिक विद्यालयों में भौतिक असुविधा के कारण बच्चे ड्रापआउट हो रहे हैं? क्या सरकार यह सच्चाई स्वीकार करना चाहती है? राजस्थान के झालवाड़ में बड़ा हादसा हुआ, उसमें सात बच्चे मर गए। राजस्थान में हजारों पीएस और यूपीएस स्कूल सीनियर स्कूलों में मर्ज कर दिए गए जो पांच किलोमीटर की दूरी पर हैं और इस वजह से बच्चे ड्रापआउट हो रहे हैं। क्या सरकार इस संबंध में भौतिक सुविधाएं प्रदान करने की मंशा रखती है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : महोदय, यह विषय सबके दायित्व में आता है। जैसे आदरणीय सदस्य टैगोर जी ने एक मॉडल के बारे में बताया है। समाज का दायित्व होना चाहिए कि बच्चे स्कूल में रहें। इससे संबंधित कई विषय हैं, कई फिजिकल चैलेंजिस हैं, जैसे दूरी है, विशेषकर इसी विषय का उल्लेख किया गया है। गरीब घर के तबके के बच्चों की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए और अनेक राज्यों में इस संबंध में अनेक उपाय किए हैं।

मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अपील करना चाहता हूं कि सभी माननीय सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में घूमें ताकि बच्चे स्कूल आएं। माननीय सदस्यों को इस दायित्व के तहत काम करना चाहिए।

(इति)

(प्रश्न 30)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : माननीय अध्यक्ष जी, स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट चिंता व्यक्त की है कि देश में डेवलपमेंट कार्य के लिए नियम है, लेकिन डिमॉलिशन एक्टिविटीज़ के लिए कोई रैगुलेशन नहीं है। इस कारण निर्माण मलबा (Debris) और धूल (PM10) प्रदूषण का प्रमुख सूत्र बन गया है।

(1155/VB/SRG)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार मैनडेटरी डेमोलिशन परमिट की व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है, जिसमें मलबा निस्तारण की पूर्व योजना अनिवार्य हो और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए निजी बिल्डर हो? क्या प्राइवेट सेक्टर के लिए यह कम्पलसरी किया जाएगा कि वे अपने निर्माण कार्यों में स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ रिसाइकल्ड मैटिरियल का उपयोग करे?

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और सरकार ने हाल ही में सर्कुलर इकोनॉमी की दृष्टि से दो रूल्स जारी किये हैं। पहला विषय कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट का है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट के कारण काफी मलबा पड़ा रहता है, उसका रीयूज़ भी नहीं होता है। हाल ही में, इस महीने में, मंत्रालय के द्वारा कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन रूल्स को जारी किया गया है।

दूसरा विषय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी ड्राफ्ट रूल्स जारी होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 20 हजार मीटर के रेजिडेंशियल एरिया से जो कचरा पैदा होता है, एक सौ किलो कचरे का उत्पादन होता हो, 4 हजार लीटर से ज्यादा वॉटर वेस्ट पैदा होता हो, आदि सबको रिसाइकल करके देना होगा। इसका प्रावधान मंत्रालय की वेबसाइट पर भी है और माननीय सदस्य को भी उपलब्ध करा दिया जाएगा।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैम्पा फंड के अंतर्गत 84 हजार करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है, लेकिन इनका यूटिलाइजेशन सुदूर वनों में वृक्षारोपण के लिए किया जाता है, जिसका लाभ प्रदूषित शहरों के निवासियों को प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिल पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कैम्पा नियमों में संशोधन करेगी? क्या इस राशि का एक निश्चित भाग नॉन-अटेंमेंट शहरों के भीतर मियावाकी मेथड से अर्बन माइक्रो फॉरेस्ट विकसित करने के लिए आरक्षित करेगी ताकि कंक्रीट के जंगलों के बीच में ग्रीन स्पेसेज का डेवलपमेंट हो, जिससे प्रदूषण कम हो सके?

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में हरित आवरण को बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है। इस हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कैम्पा की राशि का भी उपयोग किया जाता है, जैसा कि माननीय सदस्य ने विषय रखा था कि नगरीय क्षेत्रों में इसके लिए क्या प्रावधान है।

हमने नगरीय क्षेत्रों में नगर वन का प्रॉविज़न किया है। अगर मंत्रालय को नगर वन का प्रस्ताव भेजा जाता है, तो कैम्पा फंड के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में नगर वन के लिए हम यह कार्य करते हैं। अब हम लोग इसको नमो वन के नाम से भी विस्तृत कर रहे हैं। हमने देश में लगभग 300

से ज्यादा नमो वन बनाने के कार्य किये हैं। अगर माननीय सदस्य के या किसी भी सदस्य के, मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि अगर वे अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा अनुशंसा कराएंगे, तो हम सब मिलकर हरित आवरण को बढ़ाने के लिए काम करेंगे।

श्री रविंद्र दत्ताराम वाइकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, धूल बैठने के नाम पर हम टैंकरों से लाखों लीटर साफ पानी सड़कों पर बहा रहे हैं। यह तरीका न केवल खर्चीला है, बल्कि पूरी तरह से बेअसर भी है, क्योंकि धूप निकलने पर पानी सूख जाता है और फिर से धूल आ जाती है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि दुनिया भर में ऐसे डस्ट रेजिस्टेंट यानी विशेष लिक्विड इस्तेमाल होते हैं, जो हवा से नमी को सोखकर धूल को दबाये रखते हैं। क्या सरकार ने ऐसे सुरक्षित और इको-फ्रेंडली केमिकल की कोई नामक सूची तैयारी की है?

क्या सरकार नगर निगमों को सख्त निर्देश देगी कि वह बहुमूल्य पानी की बर्बादी बंद करे और इस वैज्ञानिक विकल्प का उपयोग अनिवार्य रूप से करे?

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, एन-कैप के अंतर्गत धूल नियंत्रण के लिए सिटी स्पेसिफिक प्लान बनाने की बात करते हैं। सिटी स्पेसिफिक प्लान का अर्थ यह है कि आपके क्षेत्र की आवश्यकताओं के हिसाब से ग्रीनिंग का कार्य करें। मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा उदाहरण हमने कई शहरों में किया है कि जो बुशेज हैं, उनको लगाने से नियंत्रण होता है। छोटी बस्तियों में उसको अंतिम छोर तक पक्का करने की व्यवस्था है, पेड़ लगाने की व्यवस्था है। इस कार्य को सिटी स्पेसिफिक प्लान के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ-साथ, आज जिस तरह से सड़कों का निर्माण हो रहा है, धूल पर नियंत्रण करने के लिए मैकेनाइज्ड स्वीपिंग के लिए भी हम लोग सभी राज्यों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमने एनसीआर रीजन में जितने भी कारपोरेशन्स हैं, उनको मैकेनाइज्ड स्वीपिंग के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य किया है, जिससे धूल पर नियंत्रण प्राप्त हो सके।

(इति)

(pp. 23-30)

(Q. 31)

SHRI BASTIPATI NAGARAJU (KURNOOL): Sir, an important aspect to ensure the growth of talent in India is its infrastructure. The Sports Authority of India Training Centre in Kurnool has the foundational infrastructure, but lacks essential amenities and modern training facilities for developing young talent. A key proposal is the laying of a 400-meter synthetic athletic track with six lanes at Adoni town in Kurnool district.

In the year 2021-22, the proposal was already submitted to the Ministry. In this regard, considering the increased allocation to the Ministry of Youth Affairs and Sports in the current budget, I would like to ask Minister whether this project will be approved for the development of sports ecosystem in Kurnool.

(1200/SJN/SM)

डॉ. मनसुख मांडविया : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने खेलो इंडिया सेंटर के बारे में प्रश्न पूछा है। देश में कुल मिलाकर 1,067 खेलो इंडिया सेंटर्स हैं। लोकल स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ गेम्स के जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी होते हैं, उनको खेलो इंडिया सेंटर्स में चिह्नित किया जाता है और फिर नर्चर किया जाता है। हरेक राज्य में एक खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बना हुआ है। हरेक राज्य में जो चिह्नित प्रतिभाशाली खिलाड़ी होते हैं, उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रखा जाता है और नर्चर किया जाता है।

माननीय सदस्य ने जो कहा है, एक राज्य में एक खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बना हुआ है, वहां उनको खेलने के लिए विशेष तालीम दी जाती है।

(इति)

प्रश्न काल समाप्त

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री अश्विनी वैष्णव जी।

THE MINISTER OF RAILWAYS; MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): Sir, I rise to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Railways for the year 2026-2027.

—-

THE MINISTER OF CULTURE; AND MINISTER OF TOURISM (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Culture Fund, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Culture Fund, for the year 2023-2024.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Vrindavan Research Institute, Mathura, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Vrindavan Research Institute, Mathura, for the year 2024-2025.

—-

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Jayant Chaudhary, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Entrepreneurship, Guwahati, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Entrepreneurship, Guwahati, for the year 2024-2025.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha, Puducherry, for the year 2024-2025.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha, Puducherry, for the year 2024-2025.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha Delhi, Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha Delhi, Delhi, for the year 2024-2025.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2024-2025, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the

Government of the working of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 2024-2025.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jharkhand Education Project Council, Ranchi, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jharkhand Education Project Council, Ranchi, for the year 2023-2024.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Samagra Shiksha (UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman and Diu), Moti Daman, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Samagra Shiksha (UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman and Diu), Moti Daman, for the year 2023-2024.

(9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

—-

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 52 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैंककारी विनियमन (कंपनियाँ) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.890(अ) प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियाँ) संशोधन नियम, 2025 दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.891(अ) प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.898(अ) जो दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहाँ से निर्यातित "फेस्ड ग्लास वूल इन रोल्स" के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को 17 जून, 2026 तक, जिसमें यह तिथि भी शामिल है, बढ़ाये जाने के लिए दिनांक 18 मार्च, 2021 की अधिसूचना संख्या 14/2021-सीमाशुल्क(एडीडी) में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.907(अ) जो दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन में उद्भूत या वहाँ से निर्यातित "कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील" पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.919(अ) जो दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन में उद्भूत या वहाँ से निर्यातित "1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोएथेन या आर-134ए" के आयातों पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.920(अ) जो दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में वियतनाम में उद्भूत या वहाँ से निर्यातित "कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच" के आयातों पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.921(अ) जो दिनांक 25 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के अनुरोध पर यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भूत या वहाँ से आयातित '2-एथिल हेक्सानॉल' के आयातों पर 26 जून, 2026 तक 3 महीने की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक

व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.925(अ) जो दिनांक 26 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर के अनुरोध पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहाँ से आयातित '0.72 डेसीलीटर प्रति ग्राम या उससे अधिक आंतरिक श्यानता वाले पॉलीएथिलीन टेरेफ्थालेट रेजिन' के आयातों पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को 26 जून, 2026 तक 3 महीने की अवधि के लिए जारी रखना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.932(अ) जो दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिशों के अनुसार वियतनाम में उद्भूत या वहां से निर्यातित "हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ एलॉय या नॉन एलॉय स्टील" के आयातों प्रतिपाटन शुल्क से संबंधित दिनांक 12 नवंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या 32/2025-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करना है, ताकि देय सुरक्षोपाय शुल्क और प्रतिपाटन शुल्क के समायोजन का प्रावधान किया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.944(अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय ऑस्ट्रेलिया, चीन जनवादी गणराज्य, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस में उद्भूत या वहां से निर्यातित "लो ऐश मेटलर्जिकल कोक" के आयातों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.5(अ) जो दिनांक 2 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में उद्भूत या वहाँ से आयातित '3000-4000 अणु भार वाले फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीओल' के आयातों पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को 17 जून 2026 तक जारी रखना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.14(अ) जो दिनांक 8 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय के अनुरोध पर यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भूत या वहाँ से आयातित 'नॉर्मल ब्यूटानॉल या एन-ब्यूटाइल अल्कोहल' के आयातों पर 12 जुलाई 2026 तक 3 महीने की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.931(अ) जो दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में "नॉन-एलॉय और एलॉय स्टील फ्लैट उत्पादों" के आयातों पर तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्दिष्ट दरों पर सुरक्षोपाय शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 933(अ) जो दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) के अंतर्गत टैरिफ रियायतों की पांचवी किस्त को 1.1.2026 से प्रभावी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.937(अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे था तथा जिनका आशय स्विट्जरलैंड के लिए भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत टैरिफ रियायतों की दूसरी किस्त को 1.1.2026 से प्रभावी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.938(अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे था तथा जिनका आशय नॉर्वे के लिए भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत टैरिफ रियायतों की दूसरी किस्त को 1.1.2026 से प्रभावी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि.939(अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे था तथा जिनका आशय आइसलैंड के लिए भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत टैरिफ रियायतों की दूसरी किस्त को 1.1.2026 से प्रभावी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ.6102(अ) जो दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ.6137(अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा

एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ.189(अ) जो दिनांक 13 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ.224(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) डाक निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) संशोधन विनियम, 2026 जो दिनांक 15 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 37(अ) प्रकाशित हुए थे।

(दस) का.आ.3762(अ) जो दिनांक 14 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का.आ.3959(अ) जो दिनांक 29 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ.4080(अ) जो दिनांक 8 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का.आ.4169(अ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ.4459(अ) जो दिनांक 30 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) का.आ.4609(अ) जो दिनांक 9 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 के

अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ.4686(अ) जो दिनांक 15 अक्तूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ.4949(अ) जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का.आ.5195(अ) जो दिनांक 14 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का.आ.5477(अ) जो 28 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 के अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का.आ.5751(अ) जो दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का.आ.5798(अ) जो 15 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीयूएस.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) दिनांक 19 सितंबर, 2025 का आदेश संख्या फा. सं. 463/01/2025-सीयूएस V (तदर्थ छूट आदेश संख्यांक 2025 का 02) जो भारत के माननीय राष्ट्रपति के लिए मौजूदा लिमोसिन कार के स्थान पर एक नई बख्तरबंद सेडान कार की खरीद पर तदर्थ छूट- सीडीई के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) दिनांक 7 नवंबर, 2025 का आदेश संख्या फा. सं. 463/02/2025-सीयूएस V (तदर्थ छूट आदेश संख्यांक 2025 का 03) जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के मरम्मत किए गए पुन: निर्यात पर

सीमा शुल्क के भुगतान से तदर्थ छूट के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) उपर्युक्त (5) की मद संख्या (दस से तेईस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 951 (अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2025 के उपबंध लागू होने की तारीख के रूप में दिनांक 1 फरवरी, 2026 को नियत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 952 (अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3क के अंतर्गत चबाने वाले तंबाकू, फिल्टर खैनी, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा को अधिसूचित वस्तुओं के रूप में अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 953 (अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा के लिए पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2026 को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 954(अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 2026 की अधिसूचना संख्या-01/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 955(अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 6 जुलाई, 2019 की अधिसूचना संख्या 03/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 956 (अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पर मशीन-आधारित लेवी के लिए शुल्क दरों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 946(अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय दिनांक 17 सितंबर, 2025 की अधिसूचना

संख्या सा.का.नि. 641(अ) में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 947(अ) जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय दिनांक 17 सितंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 642(अ) में संशोधन करना है तथा जिसके द्वारा तंबाकू उत्पादों पर एकीकृत माल और सेवा कर की दरें निर्धारित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 948 (अ) जो दिनांक 31 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय दिनांक 1 फरवरी, 2026 से तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय माल और सेवा कर की प्रभावी दरें निर्धारित करने संबंधी दिनांक 17 सितंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 646(अ) में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 8 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.945 (अ) जो दिनांक 31 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय दिनांक1 फरवरी, 2026 से तंबाकू उत्पादों पर प्रतिकर उपकर की दरों को शून्य करने संबंधी दिनांक 17 सितंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.646(अ) में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(12) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(13) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 14 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 553 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आयकर (बाईसवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 18 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 555(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आयकर (तेईसवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 20 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 564(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आयकर (चौबीसवाँ संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 21 अगस्त, 2025

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 566 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) आयकर (पच्चीसवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 1 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.598(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (एकीकृत पेंशन प्रणाली का संचालन) विनियम, 2025 जो दिनांक 24 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. पीएफआरडीए-16/07/0001/2025-सुप-सीजी. में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और आहरण) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 15 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.पीएफआरडीए -16/14/06/0009/2018-आरईजी-एक्ज़िट में प्रकाशित हुए थे।

(16) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उप-धारा (4) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंक (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 15 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. केंका.विवि.एसओजी.सं.एस7046/09.08.024/2025-2026 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(17) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 30 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 928(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 5807(अ) जो दिनांक 16 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 831(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 10 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.889(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

———-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी शोभा कारान्दलाजे) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्व में- केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (पूर्व में- केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) का.आ. 4635(अ) जो दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा लौह अयस्क खनन में संलग्न उद्योग की सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए 14 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी छह माह की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

(दो) का.आ. 4576(अ) जो दिनांक 7 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा ईंधन गैसों (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और इसी प्रकार की गैसें) के प्रसंस्करण या उत्पादन या वितरण में संलग्न सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए 9 नवम्बर, 2025 से प्रभावी छह माह की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

(तीन) का.आ. 3904(अ) जो दिनांक 26 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ. 993(अ) में निर्दिष्ट अवधि को 28 अगस्त, 2025 से

आगे छह माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है, जिस दौरान उक्त औद्योगिक उपक्रमों में संलग्न सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा माना जाएगा।

(चार) का.आ. 3751(अ) जो दिनांक 14 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ. 815(अ) में निर्दिष्ट अवधि को 17 अगस्त, 2025 से आगे छह माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है, जिस दौरान उक्त उद्योगों में संलग्न सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा माना जाएगा।

(पांच) का.आ. 3687(अ) जो दिनांक 13 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ. 821(अ) में निर्दिष्ट अवधि को 16 अगस्त, 2025 से आगे छह माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है, जिस दौरान उक्त उद्योगों में संलग्न सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा माना जाएगा।

(छह) का.आ. 5172(अ) जो 13 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा यूरेनियम उद्योग में संलग्न उद्योग की सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 19 दिसम्बर, 2025 से प्रभावी छह माह की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है।

(सात) का.आ. 3025(अ) जो दिनांक 7 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या 518(अ) में निर्दिष्ट अवधि को 30 जुलाई, 2025 से आगे छह माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है, जिस दौरान उक्त उद्योगों में संलग्न सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा माना जाएगा।

(आठ) का.आ. 3621(अ) जो दिनांक 6 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ. 992(अ) में निर्दिष्ट अवधि को 27 अगस्त, 2025 से प्रभावी आगे छह माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है, जिस दौरान उक्त उद्योगों में संलग्न सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा माना जाएगा।

(नौ) का.आ. 3688(अ) जो दिनांक 13 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2025 की

अधिसूचना संख्या का.आ. 856(अ) में निर्दिष्ट अवधि को 19 अगस्त, 2025 से प्रभावी आगे छह माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है, जिस दौरान उक्त उद्योगों में संलग्न सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा माना जाएगा।

———-

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Second Amendment Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.877(E) in Gazette of India dated 29th November, 2025 under sub-section (2) of Section 4 of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Forest Management, Bhopal, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Forest Management, Bhopal, for the year 2021-2022.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Pollution Control Board, Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Pollution Control Board, Delhi, for the year 2024-2025.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment, Almora, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the

Government of the working of the G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment, Almora, for the year 2024-2025.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun, for the year 2023-2024.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

—-

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRIMATI RAKSHA NIKHIL KHADSE): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sports Authority of India, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sports Authority of India, New Delhi, for the year 2024-2025.

(2) (i) A copy each of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Sports University, Imphal, Manipur, for the years 2022-2023 and 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Sports University, Imphal, Manipur, for the years 2022-2023 and 2023-2024.

(3) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Sports Development Fund, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Sports Development Fund, New Delhi, for the year 2023-2024.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

—-

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (DR. SUKANTA MAJUMDAR): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Surat, for the year 2024-2025.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Surat, for the year 2024-2025, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology, Surat, for the year 2024-2025.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Advanced Study, Shimla, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Advanced Study, Shimla, for the year 2023-2024.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of

the Association of Indian Universities, New Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Association of Indian Universities, New Delhi, for the year 2024-2025, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Association of Indian Universities, New Delhi, for the year 2024-2025.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research Mohali, SAS Nagar, for the year 2024-2025.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research Mohali, SAS Nagar, for the year 2024-2025, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science Education and Research Mohali, SAS Nagar, for the year 2024-2025.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Jodhpur, Jodhpur, for the year 2024-2025.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Jodhpur, Jodhpur, for the year 2024-2025, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Jodhpur, Jodhpur, for the year 2024-2025.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Tirupati, Tirupati, for the year 2024-2025.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Tirupati, Tirupati, for the year 2024-2025, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the

Government of the working of the Indian Institute of Technology Tirupati, Tirupati, for the year 2024-2025.

(8) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the EdCIL (India) Limited and the Ministry of Education for the year 2025-2026.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Malaviya National Institute of Technology, Jaipur, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Malaviya National Institute of Technology, Jaipur, for the year 2024-2025.

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology Vadodara, Vadodara, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology, Vadodara, Vadodara, for the year 2024-2025.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology Dharwad, Dharwad, for the year 2024-2025 alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology Dharwad, Dharwad, for the year 2024-2025.

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology Kota, Kota, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology Kota, Kota, for the year 2024-2025.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, for

the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, for the year 2024-2025.

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology Raichur, Raichur, for the year 2024-2025.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology Raichur, Raichur, for the year 2024-2025, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology Raichur, Raichur, for the year 2024-2025.

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Kottayam, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology, Kottayam, for the year 2024-2025.

(16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, for the year 2024-2025.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, for the year 2024-2025, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, for the year 2024-2025.

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of

the National Institute of Technology Sikkim, Sikkim, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Sikkim, Sikkim, for the year 2024-2025.

(18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technical Teachers Training and Research, Chennai, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technical Teachers Training and Research, Chennai, for the year 2024-2025.

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technical Teachers Training and Research, Chandigarh, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technical Teachers Training and Research, Chandigarh, for the year 2024-2025.

(20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA), New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA), New Delhi, for the year 2024-2025.

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology Una, Una, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of

Information Technology Una, Una, Himachal Pradesh, for the year 2024-2025.

(22) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the EdCIL (India) Limited, Noida, and its subsidiary EdCIL Vidyanjali Foundation for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the EdCIL (India) Limited, Noida, and its subsidiary EdCIL Vidyanjali Foundation, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

—-

कार्य मंत्रणा समिति

14वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

MOTION RE: 13TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I rise to move the following:-

"That this House do agree with the Thirteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 29th January, 2026 "

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 29 जनवरी, 2026 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, क्या आपको हर बात में न कहने की आदत है? माननीय संसद सदस्यों, आप गंभीरता से हां या न किया करें। पहले पूरी बात को सुना करें।

(1205/DPK/GM)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1205 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, मैं उन सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर प्रस्तुत कर दें।

Re: Need to announce a special GOBAR dhan package for establishment of Compressed Bio Gas (CBG) plants in Bundelkhand, Uttar Pradesh

SHRI ANURAG SHARMA (JHANSI): I draw the attention of this august House to the urgent need for implementing the Galvanizing Organic Bio-Agro Resources (GOBAR–Dhan) Scheme across the Bundelkhand districts of Uttar Pradesh, namely Jhansi, Lalitpur, Banda, Mahoba, Chitrakoot, Jalaun, and Hamirpur. Several states, particularly Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, along with Gujarat, Haryana, and Maharashtra, have demonstrated successful GOBARdhan models through Compressed Biogas plants, energy generation from cattle dung and bio-waste, production of organic manure, and creation of rural employment. Through active participation of Panchayats and the private sector, these states ensured dung procurement, improved sanitation, and additional income for farmers. Bundelkhand's economy depends mainly on agriculture and animal husbandry. Despite a large cattle population, the region faces lack of scientific dung utilization, increasing stray cattle, excessive chemical fertilizer use, and limited employment for youth. I urge the Government of India, through the Ministries of Jal Shakti, New and Renewable Energy, and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, to announce a special GOBARdhan package for Bundelkhand, allocating ₹1,000 crore to establish fifty CBG plants in FY 2026–27. This targeted intervention will promote clean energy, rural livelihoods, waste management, farmer prosperity, environmental sustainability, and balanced regional development in Bundelkhand on priority basis.

(ends)

Re: Need to boost investment in development of indigenous technology and data protection

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) : भारत के भविष्य से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय तकनीकी संप्रभुता भारत के विकास की नींव की ओर सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। वर्तमान समय में तकनीक किसी भी राष्ट्र की आर्थिक मजबूती एवं राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की रीढ़ बन चुकी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल भुगतान प्रणाली, क्लाउड सेवाएँ और डेटा प्रबंधन जैसे क्षेत्र अब रणनीतिक महत्व के हो गए हैं। ऐसे में भारत की तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। जयपुर लोकसभा क्षेत्र सहित राजस्थान के अनेक भागों में तकनीकी शिक्षाए स्टार्टअप्स और डैडम् की व्यापक संभावनाएँ हैं। यदि स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा दिया जाए तो युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और स्थानीय नवाचार को राष्ट्रीय विकास से जोड़ा जा सकेगा। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि स्वदेशी तकनीक के अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाया जाए। सरकारी संस्थानों में स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के उपयोग को प्राथमिकता दी जाए तथा नागरिकों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कानूनों का कड़ाई से क्रियान्वयन किया जाए। संप्रभुता भारत को एक सशक्त सुरक्षित और विकसित राष्ट्र बनाने की आधारशिला है। अतः सरकार से अपेक्षा है कि इस दिशा में शीघ्र एवं निर्णायक कदम उठाए जाएँ।

(इति)

Re: Need to prioritize the Mangalore Offshore Wind Zone in Karnataka to meet the demand of non-fossil energy

CAPTAIN BRIJESH CHOWTA (DAKSHINA KANNADA): I wish to raise the issue of unlocking the significant offshore wind energy potential along the coast of Mangalore. A National Institute of Oceanography (NIO) study identified “Region-2: off Mangalore” as one of offshore wind zones in India. This area covers nearly 6,490 sq. km with low seismic and cyclone risk. New Mangalore Port, with 14-14.5 m draft, 14 berths, and 45-46 MMT annual cargo handling, offers an ideal deep-draft logistics base for turbine transport, foundation assembly, and long-term O&M activities. The region also hosts major industries such as MRPL, OMPL, Udupi Power Station and the Mangalore SEZ, which can support direct Power Purchase Agreements (PPAs) for offshore wind, ensuring bankability and faster adoption. Karnataka’s peak energy demand has already crossed 18,000 MW in early 2025 and continues to rise. While average wind speed off Karnataka is lower, offshore development here remains essential given South India’s growing demand and the cyclone-prone nature of the Bay of Bengal. In line with India’s goal of achieving 500 GW of non-fossil capacity by 2030, I urge the Ministry of New & Renewable Energy to priorities the Mangalore offshore wind zone through updated assessments, pilot projects, and industry consultations. (ends)

Re: Need to review the regulatory framework to curb exploitative lending practices by micro-finance institutions in Bihar

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): I wish to draw the attention of the Hon'ble Minister of Finance and the concerned Ministries to the alarming expansion of microfinance lending in Bihar, which is increasingly pushing poor households into chronic debt. Bihar has become the largest microfinance market in the country, accounting for about 15% of India's total microfinance portfolio. There are nearly 150 micro-lenders operating in the State, of which 148 are concentrated in rural Bihar, reflecting penetration among economically vulnerable communities. Up to August 2025, microfinance institutions have disbursed around ₹51,850 crore across nearly 1 crore 72 lakh loan accounts in Bihar. It is a matter of grave concern that these loans are being extended at very high interest rates ranging between 22% and 25%, even for short tenures of about two years. Such high-cost credit, largely unsecured and consumption-driven, is trapping rural families in cycles of multiple borrowings and distress, defeating the very purpose of financial inclusion. I urge the Ministry of Finance and the RBI to urgently review the regulatory framework, curb exploitative lending practices, and ensure affordable, livelihood-linked institutional credit in Bihar.

(ends)

Re: Technical audit and reconstruction of NH-27 between Muzaffarpur and Purnia in Bihar

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया) : आज मैं सदन में बिहार की उस सड़क की पीड़ा लेकर खड़ा हूँ, जो केवल डामर और गिट्टी नहीं है — बल्कि उत्तर बिहार की साँस है, धड़कन है, जीवनरेखा है। पटना से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग-57, जिसे आज हम एनएच-27 के नाम से जानते हैं — वह सड़क आज खुद अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। वर्तमान स्थिति में इस मार्ग पर, गड्ढे नहीं, मौत के गड्ढे हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग दर्जनों जिलों को बिहार की राजधानी पटना से जोड़ता है। जगह-जगह गहरे गड्ढे,कई स्थानों पर सड़क धँस चुकी है, बरसात में इस राजमार्ग के हालात और भयावह हो जाते हैं। सरकार से इस राजमार्ग से जुड़ी निम्न मांगें रखना चाहता हूँ: 1. एनएच-27 (पुराना एनएच-57) के मुजफ्फरपुर से पूर्णिया तक पूरे खंड का उच्चस्तरीय तकनीकी ऑडिट कराया जाए। 2. बरसात-रोधी एवं बाढ़-रोधी तकनीक के साथ सड़क का स्थायी पुनर्निर्माण हो। 3. दोषपूर्ण निर्माण के लिए जिम्मेदार एजेंसियों और ठेकेदारों की जवाबदेही तय की जाए। 4. गड्ढों से होने वाली दुर्घटनाओं का जिला-वार डाटा सार्वजनिक किया जाए। 5. मरम्मत कार्य की समय-सीमा और बजट की स्पष्ट घोषणा हो। यह सिर्फ सड़क का सवाल नहीं है। (इति)

Re: Need to declare the road between Agra-Tantpur Court as National Highway

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) : मैं सरकार का ध्यान चंदौसी–आगरा–तांतपुर–कोर्ट मार्ग की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो आगरा जनपद की जनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है तथा जिसे आम तौर पर सी०ए०टी० मार्ग के नाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि चंदौसी से आगरा तक के इस मार्ग को पूर्व में ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है तथा उक्त खंड का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। परंतु आगरा से तांतपुर–कोर्ट तक के शेष भाग को अब तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया गया है, जिसके कारण इस मार्ग पर यातायात की समस्या बनी हुई है और क्षेत्रीय जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः आपके माध्यम से सरकार से विनम्र अनुरोध है कि जनहित को दृष्टिगत रखते हुए आगरा–तांतपुर–कोर्ट मार्ग के शेष भाग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की कृपा करें, जिससे यातायात सुगम हो सके और क्षेत्र की जनता को बड़ी राहत मिल सके।

(इति)

Re: Need to fill up the vacant posts of teachers in all the colleges and Universities in Rajasthan

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : हाल ही में मुझे अपने संसदीय क्षेत्र अंतर्गत राजकीय बालिका महाविद्यालय, खेरवाड़ा, जिला उदयपुर में प्रवास का अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ पढने वाली आदिवासी छात्राओं द्वारा अवगत कराया गया कि महाविद्यालय में शिक्षकों के पद लंबे समय से रिक्त हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई एवं शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इस प्रकार की स्थिति केवल एक संस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर के लगभग सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भी है। देश में करोड़ों युवा उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिन्हें 'अमृत पीढ़ी' कहा जा रहा है। इनके कौशल विकास, शैक्षणिक समझ और समग्र व्यक्तित्व निर्माण में अनुभवी एवं स्थायी शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु शिक्षकों की भारी कमी के कारण न केवल शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि युवाओं के रोजगार अवसर भी सीमित हो रहे हैं। यदि इन रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए तो इससे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। अतः सरकार से आग्रह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से सभी राज्यों के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के निर्देश दिय जायें तथा केंद्र सरकार द्वारा भी विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान की जाये।

(इति)

Re: Construction of dam on Vaitarani river to prevent annual flood in Kendujhar district, Odisha

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्दुझर ज़िले में प्रवाहित बैतरणी नदी में हर साल बाढ़ आती है। इसी जिले के हाटडीही ब्लॉक में, बैतरणी नदी के बाएं किनारे पर स्थयी बांध न होने के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान साल 1972, 1999, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2021 में हुआ था। बाढ़ के कारण राघवपुर से बलीपुर वाया नुआगांव करीब 3.5 कि. मि. और समणा से आंबो तक करीब 4 कि.मि इलाके में 25, 000 लोग प्रभावित होते हैं और करीब 1000 एकड़ खेती की ज़मीन को नुकसान होता है। पंचुगोछीया ग्राम पंचायत, आंबो ग्राम पंचायत, बन्चो ग्राम पंचायत और सुलण ग्राम पंचायत के बीच से ढेंका नामक एक छोटी सहायक नदी बहती है और तरभा गांव के पास बैतरणी नदी में मिल जाती है। बाढ़ के समय आंबो और रंपास गांव की पंचायतों से संपर्क टूट जाता है। यदि ढेंका नामक छोटी सहायक नदी के ऊपर एक बांध बन जाए तो ऊपर बताई गई पंचायतों के बीच आना-जाना आसान हो जाएगा और बैतरणी नदी के बाएं किनारे पर स्थायी बांध बन जाए तो बैतरणी का पानी खेती की ज़मीन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जिससे हाटडीही ब्लॉक की बाढ़ की स्थिति पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

(इति)

Re: Need to improve healthcare facilities in Shahjahanpur district, Uttar Pradesh

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) : मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर से संबंधित नवीनतम स्वास्थ्य प्रमुख प्रदर्शन सूचकांकों (KPIs) की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उपलब्ध डेटा के अनुसार स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि जिले के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतक राष्ट्रीय एवं राज्य औसत की तुलना में अत्यंत चिंताजनक स्थिति में हैं। चार एएनसी जांच प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जहाँ राष्ट्रीय औसत 85.69% है, वहीं शाहजहांपुर में यह केवल 81.65% है। नवजात शिशुओं को जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान की दर 75.91% दर्ज हुई है. जो राष्ट्रीय (90.55%) एवं राज्य (93.41%) औसत से काफी कम है। कम वजन वाले शिशुओं का प्रतिशत 15.88% है, जो राष्ट्रीय स्तर (13.92%) से अधिक है और शिशु स्वास्थ्य पोषण की गंभीर समस्या की ओर संकेत करता है। सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली की स्थिति भी इसी प्रकार चिंताजनक है। ASHA कार्यकर्ताओं को आवश्यक इग-किट उपलब्धता जहाँ राष्ट्रीय औसत 87.86% है, वहीं शाहजहांपुर में यह केवल 37.74% है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा डिलीवरी को प्रत्यक्ष रूप से बाधित कर रहा है। जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (NQAS) की पात्रता मात्र 19.94% है, जो राज्य औसत 26.46% एवं राष्ट्रीय 21.89% से भी कम है। यह स्थिति दर्शाती है कि जिले के मातृ-शिशु स्वास्थ्य, संसाधन क्षमता एवं गुणवत्ता मानकों में तत्काल और लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अतः मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले को स्वास्थ्य सुधार की प्राथमिकता सूची में शामिल कर, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन, ASHA/ANM सुदृढीकरण तथा गुणवता अधोसंरचना के विकास हेतु विशेष केंद्रीय सहायता पैकेज प्रदान किया जाए। (इति)

Re: Doubling of Indore-Maksi-Ruthiyai-Guna-Shivpuri-Gwalior railway line

श्री रोडमल नागर (राजगढ़) : मेरे लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्य रेलमार्ग पश्चिम-मध्य रेल मण्डल (WCR) के अंतर्गत मक्सी-रूठीयाई ट्रेक विद्युतीकरण वर्तमान में सम्पूर्ण ट्रेक पर परिचालन प्रारंभ है। इन्दौर, मक्सी, रूठीयाई, गुना शिवपुरी,ग्वालियर ट्रेक का दोहरीकरण किये जाने से दिल्ली-मुंबई के मध्य सीधा ,सबसे सस्ता और और सबसे कम दूरी का अतिरिक्त रेलमार्ग मिल सकेगा। जिससे दिल्ली से सीधे मुंबई वाया ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, कुंभराज, चांचौडा-बीनांगज, ब्यावरा, पचोर, सारंगपुर, मक्सी, इन्दौर के लाखो यात्रियों का आवागमन सुलभ होगा। दोहरीकरण से क्षेत्र के कृषि उत्पादों को राजस्थान, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र मे अंर्तराज्यीय माल परिवहन के लिये अतिरिक्त फास्टट्रेक रेलमार्ग मिलेगा, जिसे क्षेत्र के औघोगिक विकास को नई गति मिलेगी तथा व्यापारिक, चिकित्सा, धार्मिक-पर्यटकों व अन्य यात्री परिवहन से रेलवे से रेलवे को अतिरिक्त आमदनी भी होगी। अतः जनहित में राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की महति आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन्दौर से मक्सी रूठीयाई, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर ट्रेक के दोहरीकरण कार्य की स्वीकृति देकर अनुग्रहित करें। इससे रेलवे को भी अतिरिक्त आमदनी भी होगी। अतः जनहित में राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की महती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन्दौर से मक्सी रूठीयाई, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर ट्रेक के दोहरीकरण कार्य की स्वीकृति देकर अनुग्रहित करें।

(इति)

Re: Need for retention of Kottavalasa-Kirandul railway line within Visakhapatanam Railway division

DR. C. M. RAMESH (ANAKAPALLE): I wish to draw the attention of the Government through this august House to the concerns arising from the reorganisation of Railway Divisions, particularly regarding the Kottavalasa–Kirandul (KK) Railway Line, a high revenue-yielding and strategically important freight corridor. The KK Line connects mineral-rich regions with the Visakhapatnam Port and has been a major contributor to the freight earnings of the erstwhile Waltair/Visakhapatnam Railway Division. Any divesting or transfer of this line away from the Visakhapatnam Division is likely to adversely affect its financial viability, operational efficiency and port-based logistics ecosystem, besides causing revenue loss to the Visakhapatnam division. I urge the Government to retain the KK Line within the Visakhapatnam Railway Division and to ensure that railway reorganisation is undertaken in a revenue-neutral and transparent manner, after due assessment of its financial and regional economic impact.

(ends)

Re: Need to transfer Jaunpur - Mandi road in Delhi to NHAI

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : मैं सदन का ध्यान दक्षिण दिल्ली में भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। फरीदाबाद—गुड़गांव रोड और महरौली—गुड़गांव रोड पर लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार तथा दिल्ली सरकार के प्रयासों से अब इन दोनों प्रमुख सड़कों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी एनएचएआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। मगर, दक्षिण दिल्ली के लोगों को अब भी जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है क्योंकि जौनापुर—मांडी रोड पर हमेशा वाहनों की भारी भीड़ रहती है और लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। जौनापुर—मांडी रोड पुरानी मास्टर प्लान रोड है और यह रोड पीडब्ल्यूडी के पास है। फरीदाबाद—गुड़गांव रोड और महरौली—गुड़गांव रोड को जौनापुर—मांडी रोड ही आपस में जोड़ती है। इस सड़क पर लगने वाले जाम का असर फरीदाबाद—गुड़गांव रोड और महरौली—गुड़गांव रोड पर भी पड़ता है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जौनापुर—मांडी रोड को भी एनएचएआई को ट्रांसफर किया जाए ताकि जौनापुर—मांडी रोड को चौड़ा किया जा सके और उसमें आवश्यक सुधार किए जा सकें। इससे दक्षिण दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक जाम से भारी राहत मिलेगी। धन्यवाद।

(इति)

Re: Need to expedite reconstruction of road connecting Kodalkati to Makri National Highway via Khurmuja Thana in Lakhipur-Goalpara region of Assam

MD. RAKIBUL HUSSAIN (DHUBRI): I wish to draw the attention of the Government to the extremely poor and unsafe condition of the road connecting Kodalkati (Oil Depot) to Makri National Highway via Khurmuja Thana in the Lakhipur–Goalpara region of Assam. The said road is presently in a severely damaged and unmotorable condition, causing immense hardship to local residents, school children, patients, and daily commuters, besides disrupting the movement of essential goods. Despite its strategic importance as a vital link between interior villages and the National Highway, no substantial construction, widening, or major repair appears to have been undertaken for several years. The absence of proper drainage has further aggravated the situation, especially during the monsoon, leading to frequent accidents and traffic disruptions. I seek to know whether any technical inspection or safety audit has been conducted to assess the extent of damage and associated traffic risks, and whether this road falls under any National Highway, State Highway, or Centrally Sponsored road development scheme. I urge the Government to take immediate steps for reconstruction and strengthening of this road, and to clearly indicate a time-bound plan for commencement and completion of the work in the interest of public safety and regional development.

(ends)

Re: Need to expedite construction of Ajmer-Tonk-Sawai Madhopur railway line project

श्री हरीश चंद्र मीना (टोंक-सवाई माधोपुर) : मैं आज इस सदन में अपने संसदीय क्षेत्र की वह पीड़ा बता रहा हूँ, जिसे शब्दों में पिरोना भी कठिन है। मेरे क्षेत्र का टोंक जिला आजादी के 75 वर्ष बाद भी रेल सुविधा से वंचित है। यह सिर्फ अभाव नहीं, यह गहरी उपेक्षा और विकास से दूरी की दर्दनाक कहानी है। मेरे क्षेत्र के टोंक, निवाई, देवली, दूनी, उनियारा, पीपलू, टोडा आदि क्षेत्रों के लोग पूछ रहे हैं— "क्या हमारा कसूर मात्र इतना है कि हम टोंक जिले में पैदा हुए?" पड़ोसी जिलों में रेल लाइनें उद्योग, रोजगार और शिक्षा का मार्ग खोल रही हैं, जबकि टोंक का युवा आज भी सड़क पर धक्के खा रहा है, क्योंकि परिवहन सुविधा के अभाव में उद्योग लगना दूर की बात है। टोंक जिला विकास के जिस दरवाजे पर खड़ा है, वह आज तक खुला ही नहीं। और तो और, टोंक में रेल टिकट बुकिंग काउंटर था, उसे भी बंद कर दिया है. फिर भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यह सदन जनता की आवाज सुनेगा। मैं मांग करता हूँ कि अजमेर–टोंक–सवाई माधोपुर रेल परियोजना को तत्काल स्वीकृति देकर बिना देरी निर्माण कार्य शुरू किया जाए और बंद किये बुकिंग काउंटर को पुन: प्रारंभ किया जाये।

(इति)

Re: Need to implement provision of labour laws in respect of Sanitary workers working in trains and provide them all Social Security Benefits

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) : रेलवे में निजीकरण के कारण ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। सहारनपुर से गोमतीनगर तक वलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर के दौरान मैंने देखा कि कर्मचारियों को 3 से 4 घंटे सोने को मिलता है। रेलगाड़ियों में ठेकेदारों द्वारा सफाई कर्मचारियों एवं अन्य स्टाफ से 18-19 घंटे काम लिया जा रहा है और उसके बदले में उनको 10 से 12 हजार रूपये तक वेतन दिया जा रहा है। उनको कोई छुट्टी भी नहीं दी जाती है अगर छुट्टी करते है तो उस दिन का वेतन नहीं दिया जाता। निजीकरण के कारण सभी गाडियों में यही हाल है। सरकार ने जो कानून बनाएं उनका कोई पालन होता नहीं दिखता। श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाने के लिए चार श्रम संहिताओं को लागू किया जाए जिसमें स्थायी कर्मचारियों के बराबर सभी फायदे मिलेंगे, जिसमें छुट्टी, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा शामिल है। नए प्रावधान के अनुसार ज्यादातर सेक्टरों में 8 से 12 घंटे प्रतिदिन (अधिकतम 48 घंटे सप्ताह) तक ही काम होगा और इससे ज्यादा काम करने पर कर्मचारी की सहमति के बाद कम से कम दोगुना ओवरटाइम देना अनिवार्य होगा। वेतन संहिता 2019 की धारा 14 के तहत तय कार्य घंटों से अधिक काम करने पर सामान्य मजदूरी की कम से कम दोगुनी दर से भुगतान करना होगा। आशा है कि आप इस अनुशंसा पर सकारात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे। (इति)

Re: Need to provide adequate specialist and medical imaging devices in Trauma Centre in Dausa, Rajasthan

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा) : राजस्थान का दौसा एवं बांदीकुई क्षेत्र जयपुर–आगरा–दिल्ली मार्ग के त्रिकोण में स्थित हैं। इस क्षेत्र से दिल्ल-मुम्बई एक्सप्रेस-वे सहित कई राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग तथा प्रमुख रेल मार्ग गुजरते हैं। साथ ही, देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक भी इस क्षेत्र में आते हैं। भारी यातायात दबाव के कारण यहाँ सड़क दुर्घटनाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। दुर्भाग्यवश, दुर्घटनाओं के बाद घायलों को गोल्डन आवर में समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती जिससे अनेक कीमती जानें चली जाती हैं। गंभीर मामलों में मरीजों को जयपुर या दिल्ली रेफर करना पड़ता है जिससे इलाज में देरी होती है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि दौसा में स्थित ट्रॉमा सेंटर में पर्याप्त विशेषज्ञ स्टाफ एवं आवश्यक आधुनिक चिकित्सा उपकरणों (MRI आदि) की व्यवस्था की जाए तथा आधुनिक एवं पूर्ण सुविधाओं से युक्त ट्रॉमा सेंटर का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एक्सप्रेस-वे के प्रत्येक 100 किमी के दायरे में ट्रामा सेंटर स्थापित करने हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए ताकि आपात स्थितियों में त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सहायता सुनिश्चित हो सके। स्कूली पाठ्यक्रम में यातायात नियमों को शामिल किया जाए। सड़क सुरक्षा हेतु एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग एवं इमरजेंसी केयर—के समन्वित प्रयासों से प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।

(इति)

Re: Need to restart glass factory in Chitrakoot district, Uttar Pradesh under PPP model

श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल (बांदा) : उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के बरगढ़ घाटी क्षेत्र में कमूदा (कमुदाह) के पास एक कांच निर्माण फैक्ट्री की स्थापना राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में सार्वजनिक उद्देश्य से अनुमोदित हुई थी। इसका लक्ष्य स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को गति देना था। यह चित्रकूट और प्रयागराज के मध्य एक रणनीतिक औद्योगिक बेल्ट के रूप में देखा गया था। परंतु मशीनरी संबंधी तकनीकी समस्याओं तथा राजीव गांधी जी के निधन के बाद फैक्ट्री संचालन अधर में लटक गया। गुजरात से मशीनें मंगाने के बावजूद कुछ आवश्यक मशीनरी के अभाव व प्रबंधन विफलताओं के चलते फैक्ट्री कभी पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पाई। आज यह परिसर खंडहर, झाड़-झंखाड़, और निष्क्रिय ढाँचे का प्रतीक बना हुआ है। मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है, परंतु सरकार की उदासीनता व इच्छाशक्ति के अभाव में कोई निर्णायक प्रगति नहीं हुई। स्थानीय जनता अपेक्षा करती है कि सरकार इस ऐतिहासिक औद्योगिक परियोजना को पुनर्जीवित करे। मांग: केंद्र व राज्य सरकार को संयुक्त रूप से फैक्ट्री का विधिक/तकनीकी मूल्यांकन कर पुनर्जीवित करने की पहल करनी चाहिए। कोर्ट में लंबित मामले का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हो। यदि आवश्यक हो तो फैक्ट्री को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) या सरकारी उपक्रम मॉडल।

(इति)

Re: Need to strengthen forensic facilities in Rampur Parliamentary Constituency under National Forensic Infrastructure framework

SHRI MOHIBBULLAH (RAMPUR): Attention is drawn towards the limited availability of forensic facilities in Rampur Lok Sabha constituency, Uttar Pradesh. The role of forensic evidence in crime investigation and judicial process is continuously increasing, but there is a lack of modern forensic laboratories, trained personnel, and timely testing arrangements at the local level. This causes delays in investigation and affects justice delivery. There is a need to provide Rampur with adequate forensic resources, modern equipment, and capacity-building support under the National Forensic Infrastructure. I urge the Government to take necessary steps in this direction to ensure effective criminal justice delivery.

(ends)

Re: Situation arising out of closure of Jute mills and hoarding of raw jute in West Bengal

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Jute Mills in West Bengal are facing closures and severe crisis due to raw jute hoarding, rising costs, and lack of Government orders, putting thousands of workers at risk of unemployment, with industry bodies warning of widespread shutdowns by March 2026 unless urgent intervention occurs. Around 50,000-60,000 workers are already jobless, with fears of 400,000 direct workers being affected. Massive stockpiling by middlemen creates artificial shortages, driving up prices and paralyzing mills. The present situation characterized by acute scarcity of raw jute, extreme price volatility, curtailment of mill operations and loss of employment—has not arisen suddenly. The Indian Jute Mills Association (IJMA) warns over half the state's mills could close by March 2026 if the situation persists, suggests banning private raw jute trading after March 31, 2026, to release hoarded stocks. Industry seeks urgent Government action to resolve price and supply issues. I urge upon the Government to interfere in the matter to resolve the economic and social emergency prevailing in the sector , which lead to long-term structural damage to the industry and lead to permanent damage of resources which can further affect the whole packing industry in the country which is heavily dependent on jute.

(ends)

Re: Need for security audit of all Government official communications migrated through a private company's cloud platform

SHRI KIRTI AZAD (BARDHAMAN-DURGAPUR): I wish to draw the attention of the House to the serious concerns arising from the Government's decision to migrate official email services of Ministries, Departments and Members of Parliament to Zoho Corporation's cloud platform. This shift, covering over 12 lakh Government accounts, including Sansad email IDs, marks a move away from a sovereign, NIC managed system envisaged under the Government's own Email Policy, 2024, towards private control of core communication infrastructure. Government and parliamentary emails routinely contain sensitive and classified information relating to national security, policy formulation, cabinet deliberations and diplomatic engagements, which demand the highest standards of confidentiality and data sovereignty. The lack of transparency regarding the tendering process, the security and technical audits conducted, and the contractual provisions governing data access, storage and potential exit or rollback raises serious apprehensions. Given the constitutional importance of parliamentary privilege and the need to insulate MPs' communications from any real or perceived surveillance or conflict of interest, I urge the Government to clarify the rationale for this migration, place the relevant security audit and contract details before the House, and ensure that core Government and parliamentary communications remain under secure, sovereign and publicly accountable infrastructure.

(ends)

Re: Need to review the decision to hand over the construction work on bypass projects of Usilampatti-Theni-Bodinayakkanur section of NH-85 in Tamil Nadu to NHAI

SHRI TAMILSELVAN THANGA (THENI): The Detailed Project Report (DPR) work for the proposed bypass projects of Usilampatti-Theni-Bodinayakkanur section of NH-85 is presently in progress under the NH wing of Tamilnadu Highways Department. The alignment proposal was reviewed by DG (RD) & SS, MoRTH, wherein the alignment was accepted subject to certain conditions, including the conduct of a fresh traffic survey, which has since been completed and submitted. The proposed alignment includes three bypasses at Usilampatti, Aundipatti and Bodinayakkanur, along with realignments and upgradation of the existing carriageway. The Ministry has recently proposed to handing over NH-85 to NHAI at this critical stage, is likely to result in fresh procedural requirements, including re-examination of DPR, re-prioritisation, and administrative reprocessing, which may significantly delay the ongoing DPR finalisation and implementation of the proposed bypass projects. Further, the proposal envisages implementation of the corridor as separate stand-alone projects, especially the bypass sections, so that works which are free from major statutory constraints can be taken up immediately. If the entire stretch is transferred to NHAI at this juncture, there is a strong possibility that such stand-alone bypass projects may not be taken up independently, thereby defeating the very objective of addressing urgent public needs in a time-bound manner. In view of the above, I urge upon the Union Government that the entrustment/handing over of NH-85 to NHAI may kindly be deferred, and the present arrangements may be continued at least till completion and commissioning of the proposed bypass projects, after which the highway may be handed over to NHAI for further development and operation.

(ends)

Re: Need to expedite the revision of the Model Home Guards Bill, 1965 and the Civil Defence Act/Rules

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): I would like to draw the attention of the Government to the urgent need for expediting the review and finalisation of the Model Home Guards Bill, 1965 and the Civil Defence Act/Rules, which are currently under revision. A model draft of the revised legislation has reportedly been prepared and circulated among stakeholders for comments. The Home Guards and Civil Defence organisations play a vital role in disaster response, internal security support, community safety, and emergency management across the country. However, the existing statutory framework is outdated, does not reflect current operational realities, and needs urgent strengthening to clearly define roles, responsibilities, service conditions, training standards, modernisation requirements, and legal protections for personnel. Delay in finalising the revised legislative framework is affecting the preparedness and functioning of these forces in many States. I, urge the Government to Expedite the consultation process with all stakeholders; Finalise the revised Model Home Guards Bill and the updated Civil Defence Act/Rules at the earliest and ensure that the new framework enables modernisation, uniformity across States and improved service conditions for the personnel. The matter requires immediate attention.

(ends)

Re: Need to construct a bridge on Kosi river in Saharsa district, Bihar

श्री दिनेश चंद्र यादव (मधेपुरा) : बिहार राज्य अन्तर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र के सहरसा जिला के नौहटटा प्रखंड के बीचो-बीच कोसी नदी के गुजरने से यह दो भागों में विभक्त है। पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले बड़ी आबादी के लोगों को प्रखंड कार्यालय, जिला मुख्यालय एवं अस्पताल जाने के लिए इस नदी को नाव से पार कर आना-जाना पड़ता है। प्रत्येक साल बाढ़ के समय नदी में नाव डूबने से दर्जनों लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस क्षेत्र के हाटी, देवका एवं अन्य गाँव के स्थानीय लोग मिलकर प्रत्येक साल बाढ़ के बाद कोसी नदी पर बांस की चचरी का पुल बनाकर नदी पार करते हैं। यह विकसित भारत में आश्चर्य की बात है। अतः केन्द्र/राज्य सरकार से मांग करता हूँ कोसी नदी पर हाटी के नजदीक चचरी पुल के स्थान पर उंच्चस्तरीय पुल का निर्माण कराया जाय।

(इति)

Re: Need to address the problems likely to arise out of Indo-European Union Trade Agreement in wine production and automobile and auto-component manufacturing sectors in Nashik district, Maharashtra

SHRI RAJABHAU PARAG PRAKASH WAJE (NASHIK): I wish to draw the attention of the House to the serious concerns arising from the India–European Union Trade Agreement, particularly its adverse implications for Nashik district, which is a major hub for wine production and automobile and auto-component manufacturing. While welcoming the intent to enhance global trade, there is a significant apprehension that the reduction in import duties on European wines and automobiles may lead to low invoicing and dumping of unsold or surplus inventory into the Indian market at artificially low prices. Nashik's economy is deeply dependent on the wine value chain involving grape farmers, winery workers, logistics operators, and wine tourism, as well as on automobile manufacturing units and MSMEs employing thousands of skilled and semi-skilled workers. Increased imports at concessional rates, without adequate safeguards, may result in price suppression, job losses, farmer distress, and long-term erosion of domestic manufacturing capacity. I, urge the Government to closely monitor and prevent low invoicing and dumping practices under the Agreement; Introduce a dedicated PLI Scheme for wine and automobile sectors to support technological upgradation.

(ends)

Re: Need to review the proposed closure of Manjeri Bazar and Vakkethodi post offices in Malapuram district, Kerala

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): I wish to draw the attention of this august House to the proposed closure of the Manjeri Bazar Post Office and the Vakkethodi (Mullampara) Post Office functioning under the Manjeri Postal Division in Malappuram District, Kerala. It is reported that the Department of Posts has initiated steps to close these Post Offices despite strong public opposition and despite their satisfactory performance. The Manjeri Bazar Post Office, a fully women-staffed Post Office, has been serving a large number of account holders and plays an important role in providing accessible postal and small savings services. The earlier shifting of the Manjeri Head Post Office from Kacheripadi has already caused inconvenience to the public. The proposed closure of these Post Offices and the transfer of over 5,000 active accounts to distant locations will result in serious hardship, particularly to women, senior citizens, pensioners, and small depositors who depend on nearby postal facilities. I wish to state that this issue pertains to my Parliamentary Constituency, Malappuram, and has generated widespread public concern. I urge the Hon'ble Minister of Communications to immediately intervene, stop the proposed closures, and ensure continued access to essential postal services in the Manjeri area.

(ends)

Re: Need to appoint a dedicated DDO in Akashvani Kargil in Kargil district, Ladakh

SHRI MOHMAD HANEEFA (LADAKH): I wish to draw the attention of Hon'ble Minister of Information and Broadcasting to the serious challenges being faced by Akashvani Kargil, a strategically significant broadcasting station in the border district of Kargil, Ladakh. Established in 1997, Akashvani Kargil earlier functioned as an independent and full-fledged station and played a vital role in broadcasting programmes in local languages such as Purgi, Balti and Shina, thereby strengthening cultural integration and countering cross-border propaganda from across the LoC. Following a recent administrative restructuring, Akashvani Kargil is now functioning under the Leh Cluster Head located over 230 kilometres away and does not have a dedicated Drawing and Disbursing Officer (DDO). This has led to delays in payments, administrative bottlenecks, and loss of operational autonomy, adversely affecting the production and dissemination of localised content. Routine administrative approvals now require clearance from Leh, causing avoidable hardship. Further, outdated transmission infrastructure has resulted in poor reception in remote and high-altitude areas. I urge the Government to restore a separate Cluster Head for Akashvani Kargil, appoint a DDO, strengthen local language content, and upgrade transmission infrastructure to ensure effective broadcasting in this sensitive border region.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 13 – राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव।

श्री सर्बानंद सोनोवाल जी।

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

1206 hours

THE MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SARBANANDA SONOWAL): Sir, I beg to move:

"That an Address be presented to the President in the following terms:-

'That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which she has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on January 28, 2026'."

Sir, I realize that when I am asked by my Party to move the Motion of Thanks on the President's Address, it is a matter of immense honour and rare privilege that has been bestowed upon me.

Hon. Speaker Sir, the Address of the Hon. President of India to the Joint Session of Parliament has been a remarkable one. It is the first in the new quarter of the 21st Century, setting the stage for the next 25 years of our nation's journey, a crucial quarter-century when an aspirational nation surges ahead towards development, a *Viksit Bharat*, … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे अपने-अपने आसन पर विराजें और बात-चीत न करें।

… (*Interruptions*)

SHRI SARBANANDA SONOWAL: It is a decisive quarter-century when an ambitious nation races ahead towards self-reliance and *Atmanirbhar Bharat*.

Hon. Speaker, Sir, it is noteworthy to mention certain important facts regarding the recent speech of hon. President . It was delivered by the first-ever President of India belonging to the *Adivasi* community. It was delivered by the second-ever *Mahila* President of our nation. Most importantly, it was delivered by the youngest Indian who became the President of a nation with the largest population in the world. This is not a string of happy coincidences; this is the manifestation of a great nation on the move towards regaining its past glory, our ancient *virasat*. These are the deliberate and decisive strategies of the largest democracy of the world on its journey towards a fair, equitable and free society. The President's Address was all-inclusive and provided an inspiring vision for the future of our nation. It showcases our Government's

vision of social justice, inclusive growth and its firm commitment towards building a *Viksit Bharat*.

As a member of the tribal community from the Northeastern State of Assam, I feel extremely proud about the inclusive and equitable opportunity of growth and development guaranteed by this Government to each and every member of our society, whether it may be *Dalit, Adivasi, Garib, Mahila, Yuva* or *Annadata*. '*Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas'* is not merely a slogan but a guiding principle put to practice every moment by this Government.

(1210/GTJ/PC)

Hon. Speaker, the idea of our nation as a strong, self-reliant, and developed nation is taking shape decisively. A few centuries ago, India had drifted far from its golden era. Foreign invasion, plunders, and the exploitative colonial policies had left the country suffering with poverty and hunger. Sahitya Samrat Bankimchandra Chattopadhyay invoked the vision of a prosperous India, driven by his belief that no matter how great the challenges, India could revive its golden age. And thus, he gave the clarion call, *Vande Mataram*. This is the essence of *Vande Mataram*, Maa Bharati, the eternal idea of India.

This century would be known as Maa Bharati's century of inclusion; this century would be known as Maa Bharati's century of equitable justice; this century would be known as Maa Bharati's century of Vikas; and this century would be known as Maa Bharati's centuries of *Atmanirbharta*.

Hon. Speaker, Sir, the hon. President's Address to the Parliament is not merely a recounting of Governmental achievements. It is a powerful narrative of a resurgent civilisation, marching confidently towards its destiny under the leadership of visionary Prime Minister Shri Narendra Modi. To understand this Address, one must understand the context.

Before 2014, during the Congress-led Government, India suffered from policy paralysis, corruption-driven governance, delayed projects, disconnected regions, and worst of all, low national self-confidence. After 2014, under the dynamic leadership of hon. Prime Minister, India shows decisive leadership. Since 2014, India has embarked upon a journey of rapid growth and all-round progress with particular emphasis on Babasaheb Ambedkar's ideal of equality and social justice.

A new way of good governance has shaped the nation since 2014. Clarity and decisiveness are the hallmarks of governance. Today. the soaring vision of hon. Prime Minister Shri Narendra Modi has placed the nation at an inflection point for speedy development and prosperity.

Policies once considered impossible, are now changing the socio-economic landscape of our nation. From being a part of the fragile five economies of the world in 2014, we have today, in 11 years of rapid growth, become the fourth largest economy of the world. मोदी है तो मुमकिन है।

Hon. Speaker, Sir, today, India is the fourth largest economy in the world. This did not happen by chance. It happened because of politically strong will and economic clarity. We are now confidently marching towards a Viksit Bharat. India remains the fastest growing major economy despite global crises like pandemic, conflict, and supply chain disruption. The Address highlighted historic tax reform, the exemption of income tax up to Rs. 12 lakhs, and next generation GST reform, which has saved citizens' Rs. 1 lakh crore. Inflation, which used to be about 9 per cent, at one stage even crossed double digit during the UPA regime, fell to a remarkable 4.6 per cent in the fiscal year 2024-25. Earlier, Government used crises as excuses; this Government used crises as a catalyst.

Hon. Speaker, Sir, Digital India is not about apps; it is about empowerment. Sir, Rs. 44 lakh crore transferred directly through DBT and 25 crore people lifted out of multi-dimensional poverty. Nearly half of the global digital transactions are happening in India and UPI is becoming a global benchmark. Earlier, file moved slowly, money leaked fast. Now, under the NDA regime, file moved digitally, money reaches beneficiaries directly.

Hon. Speaker, Sir, social justice for this Government is not about slogans; it is about dignity, delivery, and direct access.

For employment and development in rural areas, a law named Viksit Bharat - G Ram G has been enacted. This new law will ensure 125 days of guaranteed employment in villages. At the same time, it will ensure stopping corruption and leakages, for which the Government has been making efforts since long.

More than four crore *pukka* houses have been constructed for the poor, giving not just shelter but security and self-respect. More than 12.5 crore

households, through the Jal Jeevan Mission, now have tap water connection, transforming health, hygiene and daily lives of women. Sanitation coverage has been expanded on an unprecedented scale, ensuring that dignity is no longer a privilege.

Through Ayushman Bharat scheme, crores of economically vulnerable citizens now have access to free quality healthcare without fear of catastrophic expenditure. The focus on the marginalised, whether through the PM-JANMAN scheme for our tribal brothers and sisters or the establishment of Eklavya Model Residential School, demonstrates that our democracy is delivering for those who need it the most. Equally inspiring is the emphasis on Nari Shakti with the empowerment of over two crore lakhpati didis, women from self-help groups who have crossed the thresholds of poverty to become symbols of prosperity.

(1215/GTJ/SPS)

Hon. Speaker, Sir, at this juncture, I am compelled to contrast the era of transformation we witness today and the dark decades of despair that preceded it during the UPA regime. During the previous Congress regime, our nation endured an era defined by scam and scandal, be it the 2G spectrum scam, the coal scam and the Commonwealth Games scam. These episodes drained the Exchequer and tarnished India's global image. Corruption was rampant and the middlemen dictated the destiny of the poor. In sharp contrast today, under the dynamic leadership of the hon. Prime Minister, India has entered into an era of integrity and empowerment.

Hon. Speaker, Sir, as a proud son of the Northeast, I now stand before you to recount the remarkable journey of transformation that our nation, particularly in the Northeastern region, has witnessed over the last 11 years under the visionary leadership of hon. Prime Minister Shri Narendra Modi.

1216 hours (Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

Every morning, India awakens in Dong, a small town in the Northeast that greets the nation with its first sunrise. Yet, for decades, this very region remained in darkness, neglected and ignored, especially by successive Congress Governments that ruled at the Centre for nearly six decades. Earlier, the Congress Party always used to take the tea community in Assam for

granted. They were only honoured with a pair of *dhoti* and *kambal,* that is, a blanket. But our beloved Prime Minister Modi ji has given the highest respect to the emotion and sentiment of our brothers and sisters of the tea garden.

चाय बागानों के हमारे मजदूर भाइयों को परम आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने जिस हिसाब से इज्जत दी है, जिस हिसाब से उनके विकास के लिए मदद की है, यह ऐतिहासिक कदम है, इसलिए हमेशा हमारा देश इन बातों को याद रखेगा जो व्यक्ति गरीबों के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है, जो मेहनत करते हैं, जो गरीबों के लिए कार्यक्रम लाते हैं, गरीबों और सामाजिक न्याय के लिए मजबूत कदम उठाते हैं, वही हैं मसीहा ऑफ द पूअर पीपल।

This is what the hon. Prime Minister has been doing for the last 11 years for the people of the Northeast and the people of the country.

Who had thought that one day the narrow roads within tea gardens will be constructed, and pregnant women will be receiving ex-gratia. Today, model schools have been constructed under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Bank accounts have been opened for every tea garden worker for Direct Benefit Transfer.

Earlier, continuing the colonial practice during the Congress regime, my dear workers have said "*Darmah jhuket jabohi*"

(1220/RHL/HDK)

सर, उस समय ऐसा ट्रेडिशन था कि तनख्वाह लेने के लिए झुकना पड़ता था और आज हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जन-धन योजना के जरिए असम के अंदर आठ लाख चाय बागान के मजदूर भाइयों के लिए बैंक अकाउंट खोलने की व्यवस्था की गयी है, जिसकी वजह से आज उनकी तनख्वाह डीबीटी के जरिए सौ प्रतिशत इज्जत से मिलती है। Earlier, continuing the colonial practice during the congress regime, they had to suffer a lot.

Today, particularly, we all know that there are 12 crore tribals living in the country. For the first time in the history of 70 years of Indian independence, the Janjatiya Gaurav Divas has been celebrated across the country in the memory of the great Bhagwan Birsa Munda because of hon. Prime Minister. This is a great honour to the tribal people in the country. That is how the hon. Prime Minister is always working hard day and night for the upliftment of the status of the backward people in the country. I believe, that is why, he has been successful in lifting more than 25 crore poor people from the poverty line. So, this is a historical milestone and he has created this because of good governance, because of his honesty, because of his commitment and because of his *rashtrabhakti.*

Sir, the hon. Prime Minister has rediscovered the unsung hero of our country, whose effort in shaping the destiny of our nation has been totally forgotten during the Congress regime. During our time, the nationwide celebration of Bhagwan Birsa Munda's birth anniversary has started.

Sir, unlike BJP, for Congress development is always measured against electoral arithmetic. Since the North-East gave a fewer seats in Parliament, the Congress used to cast aside aspiration of the northeastern region. As a result, since Independence, the people of the north-eastern region were compelled to fight for their identity, for their existence and for their survival. A struggle bond of indifference and apathy of successive Congress Governments who ruled the country for over six decades, enabled it.

Sir, we all know that during the partition era, several top Congress leaders, most notably, Pandit Jawaharlal Nehru, initially accepted the Cabinet Mission Plan of 1946, which proposed grouping this region with east Bengal, which later became East Pakistan. Regarding the strong opposition of the people here, who feared losing their distinct identity, it was Mahatma Gandhi who stood firm urging Gopinath Bordoloi to launch a Satyagraha to safeguard the interests of Assam. That episode left a deep wound in the hearts of our people which the successive Congress Governments did a little to heal. This neglect was felt most painfully during the 1962 India-China war, when our people stood exposed and abandoned. On November 20th, following the fall of Bomdila, Prime Minister Nehru addressed the nation over All India Radio, saying his heart went out to the people of Assam. This is how the Congress treated the people of Assam and this is the Congress who always looked for power and not for the people. So, that has always been there. This is the dirty design of Congress' cruelty and that is how Congress put the entire most potential zone of the country under darkness. Our people received empathy but indifference, reinforcing the painful bullet that the North-East was left to pay for itself. In the mid-1950s, the people of Assam were compelled to launch a massive movement against Center's indifference to their demand for an oil refinery.

(1225/KN/HDK)

सर, मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हर चीज के लिए आंदोलन करना पड़ता था। अपने हक के लिए, अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए, अपनी जमीन-जायदाद और अपने

इतिहास को सुरक्षित करने के लिए सड़क पर आना पड़ता था। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में विशेष रूप से हमारे लोगों को कभी इंसाफ नहीं दिया और हमारे लोगों को सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने इंसाफ के लिए आंदोलन किया। वे उनको इंसाफ तो दे नहीं पाएं और उसके बदले गोलियों के जरिये उन्होंने कई लोगों की हत्याएं कीं। कांग्रेस का जो काला इतिहास है, नॉर्थ ईस्ट के लोग और भारत के लोग उस इतिहास को कभी भूलेंगे नहीं। वे हमारे देशवासियों और गरीब जनता के साथ कभी इंसाफ नहीं करते। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के जरिये देश के खजाने को लूटने का उनका स्वभाव है। उन्होंने 55 साल से अधिक राज किया और उसके बावजूद देश को आगे नहीं बढ़ा पाए। वे देश के विकास के लिए कदम नहीं उठाए पाएं। लेकिन परम आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने देश की भक्ति भावना से सेवा की है।

परम आदरणीय मोदी जी वर्ष 2014 में जब प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने स्पष्ट रूप से देशवासियों को कहा कि मैं सिर्फ प्रधान मंत्री के हिसाब से नहीं, बल्कि प्रधान सेवक के रूप में देशवासियों की सेवा करूंगा। आज यह साबित हुआ कि पिछले 11 साल से वे निरंतर मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने ईमानदारी से कठोर परिश्रम किया, सही नीतियों को अपनाया, सही परियोजनाओं को हाथ में लिया और सेवा करने के लिए सही सुशासन व्यवस्था लागू की। आज सब को इंसाफ मिले, सब को सामाजिक न्याय मिले, अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए सब को सुनहरा मौका मिले। यही है मोदी जी का दिल देश के लिए और वे भक्ति भावना से देश सेवा करते हैं। उसी को देशभक्त कहते हैं। आज मोदी जी ने यह साबित किया है और उन्होंने देश सेवा करने के लिए नई पीढ़ी को भी रास्ता दिखाया है। आज मोदी जी के कुशल नेतृत्व ने देशवासियों में विशेष रूप से आत्मविश्वास जगाया है और यह देश मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से विकसित भारत बनने जा रहा है। यह निश्चित है और हर कार्यक्रम जिस हिसाब से सफल हो रहा है, आप लोगों ने यह खुद देखा है। यहां कांग्रेस के जो भी माननीय सांसदगण बैठे हुए हैं, उनको भी महसूस होना चाहिए। मोदी जी का जो कार्यक्रम है, आप उस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाइये। … (व्यवधान) आपके मन में जो घृणा है, नफरत है, आप नफरत से कभी भी अपने आपको बदल नहीं सकते हैं। आपको जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि आपका जो भी काला इतिहास है, उस इतिहास को जनता कभी भूलेगी नहीं।

सभापति महोदय, मैं आज इतना ही कहूंगा कि देश के हर वर्ग के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं या कार्यक्रम की घोषणा की गई है, सुशासन व्यवस्था के जरिये हर कार्यक्रम सही समय पर लागू होने की वजह से सब को इंसाफ मिला है। चाहे विद्यार्थी हों, युवा हों, महिलाएं हों, किसान हों या मजदूर हों, आज सभी वर्गों को अपने जीवन को सजाने का मौका मिला है और उसकी वजह से देश शक्तिशाली हुआ है। आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए। आप चाहे डिफेंस सेक्टर को ले लीजिए, पेट्रोलियम सेक्टर को ले लीजिए, चाहे शिक्षा विभाग ले लीजिए, चाहे खेल विभाग ले लीजिए, हर सेक्टर में जिस हिसाब से देश तरक्की करने लगा है, खासकर मोदी जी ने यह साबित किया है कि अगर कठोर परिश्रम ईमानदारी से किया जाए, सही नीयत हो तो निश्चित रूप से आपने जो लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं।

आज हमारे देशवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं भी अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे मोदी जी के नेतृत्व में देश सेवा करने का मौका मिला है। पॉलिटिक्स के सिलसिले में पहले लोगों में गलतफहमी थी कि पॉलिटिक्स में जो भी लोग आते हैं, वे वादा करते हैं और वादा नहीं निभाते हैं। लेकिन मोदी जी ने कहा कि मैं जो कहूंगा, उसको करके दिखाऊंगा। उन्होंने उसे करके दिखाया है। आप लोगों को यह सीखना चाहिए कि सिर्फ नफरत की भावना फैलाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप देश से भक्ति करते हैं, तो आप हमारी विकास यात्रा से जुड़ जाइये।... (व्यवधान)

(1230/ANK/PS)

सभापति महोदय, मुझे पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय के मंत्री होने के नाते एक बात तो कहनी ही होगी कि इसी मंत्रालय को वर्ष 2014 तक कांग्रेस सरकार ने कभी भी मान्यता नहीं दी। वह पोर्ट शिपिंग वाटरवेज में बसी हुई शक्ति, संपदा और संभावना को पढ़ नहीं पाई। अगर उन्होंने इसको पढ़ लिया होता, उस पर अध्ययन और अनुसंधान किया होता, तो मुझे लगता है कि जैसे परम आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमने आज अलग-अलग कार्यक्रमों की रचना की है, तो वह भी इस तरह के कार्यक्रम ले पाते, जिससे देश का विकास होता। लेकिन उन्होंने इस विभाग को कोई मान्यता नहीं दी। पिछले 11 साल के अंदर जो व्यवस्था खड़ी की गई है, चाहे वह सागरमाला प्रोग्राम हो, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 हो, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 हो, इन सबको हम कैसे जमीनी हकीकत से जोड़ें और देश की विकास यात्रा में हम कैसे विशेष रूप से सहयोग करें, इसे हमारी सरकार ने दर्शाया है। आज आपने खुद देखा है कि मैरीटाइम नेशन होने के नाते परम आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने यह लक्ष्य तय किया है कि वर्ष 2047 तक भारत विश्व का टॉप फाइव शिप बिल्डिंग नेशन बनेगा। इसके लिए मैरीटाइम वीक में जो भी आयोजन किया गया था, इसके जरिए यह लक्ष्य तय किया गया है कि अगले 25 वर्ष के अंदर इस सेक्टर में 80 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। This is the powerful vision developed by our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji. अगर आपने ऐसा पावरफुल विजन बनाया होता, तो आप भी 55 सालों में बहुत कुछ कर सकते थे। आप विफल हुए। लोगों ने इसीलिए आपको इतिहास समझाया।... (व्यवधान) आज आपकी किसी भी प्रदेश में जगह नहीं रही।

परम आदरणीय सभापति महोदय, मैं तो इतना ही कहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे असम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आप एक बार जाइए और खुद देखकर आइए कि इनके कार्यकाल में क्या हालत थी और वहां आज क्या हुआ है। आप जाकर देखिए कि क्या परिवर्तन और बदलाव हुआ है। वहां पर 70 से अधिक बार परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दौरा किया है। He has visited there more than 70 times. He has created a history in more than 70 years of Indian Independence. But you had failed to do so. You had given a post of Prime Ministership to a person from Assam for 10 years. But during that time, you had totally failed to deliver goods to the people. But in return, the hon. Prime Minister, in the brief period of 11 years, has been able to get

everything for the people -- biggest fertilizer plant, biggest refinery, biggest IIM, AIIMS hospital, industry, and all other kinds of support. Even he has given the highest respect to the cultural heritage of Assam and the Northeast. Highest respect! आप नॉर्थ ईस्ट के गमछे को ले लीजिए। आपके नेता ने तो गमछा फेंक दिया। आपको समझ में नहीं आया।... (व्यवधान) आप सुन लीजिए। इतिहास को स्मरण कीजिए। जब महात्मा जी असम गए थे, तो गमछा देखकर उन्होंने कहा था कि इस गमछे में हमारी असम की महिला अपने सपने की रचना करती है। आप इतने बड़े एक वस्त्र को कभी भी पढ़ नहीं पाए, सीख नहीं पाए, क्योंकि हमारी विरासत के बारे में आपको कुछ भी ख्याल नहीं है।

(1235/RAJ/SNL)

परम आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है - विकास भी, विरासत भी। हमें अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने पुरखों को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हजारों साल पहले देश के लिए मेहनत की है, त्याग किया है, अगर आप उनको भूल गए तो आप कभी बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आप भविष्य को कभी भी बढ़िया से नहीं सजा सकते हैं। परम आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कई कदम उठाए हैं। डॉक्टर भूपेन हजारिका सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, बल्कि दुनिया के एक बड़े कलाकार हैं। अमेरिका हो, अफ्रीका हो, everywhere he is highly respected, लेकिन उन्होंने कभी भी भूपेन दा को इज्जत नहीं दी। असमिया लोगों ने बार-बार कहा कि आप उनको भारत रत्न दीजिए, लेकिन कांग्रेस ने नहीं सुना। परम आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज बिना बोले, उन्होंने खुद से कहा कि भूपेन दा को भारत रत्न देना सही है। यही बीजेपी सरकार की देश के लिए सदभावना और इज्जत है। असम हो या नॉर्थ ईस्ट हो, वे देश के अभिन्न अंग हैं। आज भारत को दुनिया में मजबूत बनाने के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए असम और नॉर्थ-ईस्ट के जवानों ने कई बलिदान दिए हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी असम का जो योगदान है, इसके बारे में आप सभी को अध्ययन करना चाहिए, इतिहास को स्मरण करना चाहिए। यह ऐसा प्रांत है, जिस प्रांत को आप पहचान नहीं पाए, लेकिन परम आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है, ये देश के अष्टलक्ष्मी हैं।

अगर असम, नॉर्थ-ईस्ट का विकास होगा, तो देश का विकास होगा। अगर नॉर्थ-ईस्ट आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। आज नॉर्थ-ईस्ट की पांच करोड़ जनता मोदी जी को अपना मानती है। मोदी जी ने अपने कठोर परिश्रम और ईमानदारी से देश के लिए काम किए हैं, इसलिए आज वे देश के प्रिय नेता बन चुके हैं। दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है। पहले विकसित देश राष्ट्र के प्रधान से बड़ी इज्जत से बात नहीं करते थे, लेकिन आज आप किसी भी मंच से बोलिए, अमेरिका हो, चाइना हो, जर्मनी हो, in any part of the world, he is a highly respected leader in the world. He can bring a solution to any kind of global situation. So, this is the power of Modi Ji's vision; this is the power of his leadership; this is the power of his commitment; this is the power of his

dedication; this is the power of his devotion; this is the power of his decency and discipline in life.

So I believe, आने वाले दिनों में हमारी नई पीढ़ी ने हमारे भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली विकसित देश बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ने का मन बनाया है। देश के हर नागरिक का जिस हिसाब से आज आत्मविश्वास दोगुना हुआ है, तो मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं, जब भारत दुनिया का सबसे पावरफुल विकसित राष्ट्र बनेगा और आत्मनिर्भर देश बनेगा। आप देखिए कि पहले शिपिंग सेक्टर में क्या होता था? शिपिंग सेक्टर में अपने जहाज न होने की वजह से हमें विदेशों से जहाज लाने पड़ते थे और उनको हर साल छ: लाख करोड़ रुपए देने पड़ते थे। आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि जब हम देश की इतनी बड़ी रकम विदेशी कंपनियों को देते हैं, तो देश का कितना नुकसान होता है? इन बातों को परम आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने गंभीरता से लिया और आज उन्होंने स्पष्ट किया है कि देश में जहाज बनेंगे। हम दुनिया को ये बेचेंगे और हम ये नहीं खरीदेंगे। उन्होंने ऐसा एक शक्तिशाली मन बनाया और बजट में पॉलिसी एनाउंस की गई है। आज यह स्पष्ट हो गया है। कल यह भी कहा गया है कि देश में ही कंटेनर्स बनेंगे। हम कंटेनर्स नहीं खरीदेंगे। हर सेक्टर में चाहे डिफेंस प्रोडक्ट्स हों, मोबाइल्स हों, व्हीकल्स हों, या अदर प्रोडक्ट्स हों, in every sector, India is going to be self-reliant. यह स्पष्ट है।

मैं चाहूंगा कि परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने जो अभिभाषण यहां पेश किया है, आप सभी को उसका स्वागत करना चाहिए।

(1240/NK/SMN)

हम सभी को मिलकर स्वागत करना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो अभिभाषण दिए हैं, उस अभिभाषण में विकास के लिए सब कुछ स्पष्ट हुआ है। देश का विकास कैसे हुआ है, इसकी एक तस्वीर उन्होंने पेश की है। यह स्पष्ट है और आपको भी मान लेना चाहिए, आप विपक्ष में हो तो क्या हुआ, देश के लिए आपको भी प्रतिबद्ध होना चाहिए। पता नहीं आप क्यों नहीं मानते है। मैं एक बात कहूंगा, घृणा, कपट, अहं, दुश्मनी, भेदभाव, यह सब जहर है, इसको लेकर मत घूमिए, इसके बदले आप सकारात्मक बनिए।

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Mr. Prasun Banerjee, it is not fair that you are standing opposite to the Chair. What are you doing? If you want to make any gossiping.

श्री सर्बानंद सोनोवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस पवित्र सदन में जो भी माननीय सदस्य हैं, चाहे ट्रेजरी बेंचज के हों या विपक्ष के हों, देश के विकास के सिलसिले में सभी को एक साथ जुड़ जाना चाहिए।

माननीय सभापति: वह असम के प्रतिनिधि नहीं हैं।

श्री सर्बानंद सोनोवाल : वह असम के प्रतिनिधि कैसे होंगे, ऑनलेस्टली स्पीकिंग, असम में कांग्रेस के लिए कोई जगह ही नहीं है, नार्थ ईस्ट में कांग्रेस की कोई जगह ही नहीं है। आपको जो भी करना था, वह आपने 55 सालों में कर दिया। आपका चेहरा उभर कर आया है, आपको असम और नार्थ ईस्ट के लोग शुभचिंतक नहीं मानते हैं, उन्होंने आपको दिल से निकाल दिया है, आप लोगों ने बहुत नाइंसाफी की है, आपने बहुत अन्याय किया है, आपने नार्थ ईस्ट के खजाने को लूटा है। You have looted the property of the entire North East. That is why, you are deprived of the people's right and that is why, you are always rejected, not accepted. You will always be rejected. That is clear. There is no point in putting your efforts in the North Eastern States in any elections.

Hon. Prime Minister is so loveable personality, not only in the North East but in the entire country and in the entire world. So, that is very clear indication that you should all come forward and join hands in the development *yatra.*

महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी ने जो अभिभाषण पेश किया है, मैं उसके समर्थन के लिए सभी लोगों से आग्रह करता हूं, आप भी साथ दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

(इति)

1243 बजे

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के संदर्भ में माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर समर्थन देने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। *Adhyaksh Ji*, this is the twelfth year of the Narendra Modi Government and the first speech of the hon. President to this august House in the second part, the most important part of the *Amrit Kaal*, the two decades that are most important to lay the foundation for a *Viksit Bharat*. This Speech of the hon. President comes at a time when India today, despite the global economic slowdown, is the world's fastest growing large economy. It comes at a time when India has lifted 25 crore people out of poverty; it comes at a time when our people are given wings to their aspirations; it comes at a time when the youth of India, the *Yuva Shakti,* are being empowered to be the future torch-bearers of this hoary great civilisation.

(1245/RP/KDS)

Sabhapati ji, in the last 12 years, the popularity and political capital of our Government and our Prime Minister is on a constant increase. Twelve years is a very long time in a competitive democracy like ours. In the same 12 years, many other democracies have seen many leaders come and go. We have seen how in the United States, in the United Kingdom, in Japan, in Italy, and in many countries like us, we have a thriving democracy. Many leaders have come and gone. But, it is to the testament of the Prime Minister's dedication, his delivery of governance, that not once, not twice, but consecutively third time the Prime Minister has been re-elected to Office with thumping majorities, and our popularity and political capital is only increasing.

सभापति महोदय, मैं कल राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पढ़ रहा था। चूंकि पिछले 10 सालों से अभिभाषणों में हम सब भाग ले चुके हैं और यहां बैठकर सुनने का मौका जनता ने मुझे दिया है। पूरे देश का लंबा सफर हमने पिछले 10 सालों में किया है। स्वाभाविक तौर पर मैं यूपीए के कालखंड के राष्ट्रपति जी के अभिभाषणों को एक बार देख रहा था। To put into context the journey of development the country has done in the last 10 years, I want to read the 10 speeches, delivered during the 10 years of the UPA Government, of the then hon. President. उन सभी भाषणों के एक-दो साल आपके माध्यम से देश के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं because that will be a stark example, a reminder to

the country of what was ‘a lost decade of opportunity’ and what is today ‘a decade of transformation’ under Narendra Modi.

माननीय सभापति जी, पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा जो चेंज देश में हुआ है, वह यह है कि पिछले 10 सालों में राष्ट्रपति जी के हर अभिभाषण में करप्शन के, करप्शन के स्कैम्स के या स्कैंडल्स के एक उल्लेख की भी जरूरत नहीं पड़ी because we have delivered the most honest Government in the last 10 years. This has been the biggest achievement of this Government. माननीय सभापति जी, मैं आपको वर्ष 2011 का राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का एक वाक्य पढ़ना चाहता हूं। This is what the then hon. President said in her Address:

> “There has been a grievance in some quarters that the benefits intended for the poor through anti-poverty programmes have not reached them in full measure.”

वर्ष 2011 में बजट भाषण में राष्ट्रपति जी ने ये शब्द कहे थे। करप्शन का सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ा नुकसान देश के गरीब को होता था, and contrasted it to today, when in 2026, the hon. President said in her Address:

> “My Government is institutionalizing transparency and honesty in systems. In the last one year, my Government has transferred benefits worth more than Rs. 6.75 lakh crore directly to the beneficiaries through Direct Benefit Transfer.”

In the 2011 Budget Speech, the President said that the benefits intended for the poor are not reaching them in the right measure, and here in 2026, the Government has transferred Rs. 6.7 lakh crore through Direct Benefit Transfers in the accounts of the people of this country.

The difference is unmistakable. The then Government of UPA acknowledged failure in delivery whereas the Modi Government has ensured delivery with dignity. What was once rhetoric has now become a reform, and what was once leakage is now replaced with direct benefit transfer. This is the stark example between UPA and today's era of good governance.

Sabhapati ji, the other most important aspect of contrast lies in how the earlier government handled the country's economy.

(1250/CS/VPN)

महोदय, यूपीए के 10 साल हाई-इन्फ्लेशन और लो-ग्रोथ के 10 साल थे। पॉलिसी पैरालिसिस के 10 साल थे। जब आप यूपीए के कार्यकाल के 10 साल के राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण देखते हैं, मैं तो उन्हें देखकर हैरान हो गया, हर भाषण में फेल्योर का एक्सप्लेनेशंस होता था। फेल्योर के एक्सक्यूजेज होते थे। मैं वर्ष 2009 के राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का जिक्र करना चाहता हूँ। राष्ट्रपति जी के वर्ष 2009 के अभिभाषण में कहा जाता है कि "India is facing low growth. It will require meeting the challenge of restoring economic growth, which is now hurt by global economic slowdown, back to a higher growth path. High growth is necessary to provide Government the capacity to expand opportunities for employment." यह वर्ष 2009 का एक्नॉलेजमेंट है।

The things changed in 2010. The President said in 2010 "The current financial year is expected to see a slowing down of growth on account of the global recession." यह अभिभाषण वर्ष 2010 का है। वर्ष 2011 में लो-ग्रोथ और हाई-इन्फ्लेशन तो कॉमन बन चुका था, रूटीन बन चुका था और वर्ष 2011 में इसका पुन: जिक्र होता है। "We have gone through a difficult year for our country. Inflation has become a problem in the past year." The same script continued in the years 2009, 2010 and 2011.

वर्ष 2013 का अभिभाषण दखिए। It says "We are burdened by gathering anxieties about economic slowdown, job security, employment prospects. People are concerned about the security of our women and children. The past year has been a very difficult one for the global economy. Europe is in recession. Most emerging markets are growing very slowly. It has been a difficult year for India also. Both global and domestic factors have affected our growth. The Indian economy is currently experiencing slower growth. Real GDP grew by 5.4 per cent in the first half of the current fiscal year. This is significantly lower than the average of around 8 per cent in the last decade." यह वर्ष 2013 का अभिभाषण है। The Government put this on record. In the 10 years of UPA, the entire economic narrative was of slowdown, of inflation, of anxiety, of youth having no jobs, and most importantly, it was a narrative of excuses.

महोदय, मैं आज के अभिभाषण का कंट्रास्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। The hon. President addressed the country and said "over the last 11 years, the economic foundation of the country has grown significantly stronger. Despite various global crises, India has remained the fastest growing major economy in the world. India has further improved its record in keeping inflation under

control. It is directly benefiting the poor and middle class. As a result of the policies of my Government, the income of our citizens has increased, the savings has grown and their purchasing power has also increased."

ऐसा नहीं था कि पिछले 10 साल में हमने चैलेंजेज फेस नहीं किए। We faced a once in a century pandemic. But we did not blame our domestic economic record because of a pandemic.

महोदय, मैं कहीं पढ़ रहा था कि what is the difference between great leadership and weak leadership. वीक लीडरशिप एक्सक्यूज देती है, वीक लीडरशिप बोलती है कि because of this reason we are not able to do it. ग्रेट लीडरशिप यह होती है, despite these challenges we are doing it. यह बिकॉज ऑफ और डिस्पाइट ऑफ का जो फर्क है, यही बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फर्क है। यही नरेन्द्र मोदी जी और कांग्रेस पार्टी के बीच का फर्क है। This is despite a global, once in a century pandemic, despite disruption of global supply chains and despite unprecedented global economic headwinds. Europe is slowing down today; emerging economies, developed economies around the world have slowed down today; but we have not made this as an excuse. Despite these challenges, the country is today the world's fastest growing large economy in the world. This is the strength of how we have managed the macroeconomic fundamentals in the last ten years. It has come after a lot of hard work. I will come there in the next portion.

Hon. Chairperson, Sir, while this was the contrast of the economy, this was the contrast of the corruption and transparency eras, the other very important contrast of the Congress era and the Narendra Modi era of today is this. It is very important to recollect this, because we easily forget the journey that we have made. Especially, as a youngster representing a generation that has seen through this, and also speaking for those young people who have perhaps lived through the dangerous decade of the UPA when they were very small, when they were very young, it is very important to recollect the horrendous ten years, so that we appreciate the journey that we have made.
(1255/UB/MNS)

Hon. Chairman, what was the internal security situation of the country? मैं यूपीए सरकार के समय हुए राष्ट्रपति के अभिभाषणों के वाक्यों का जिक्र करना चाहता हूं। In 2010, it was said, "Infiltration of terrorists from across the Line of Control in Jammu and Kashmir has gone up". This was the acknowledgement made in the year 2010. In 2011, did things change? Did the Government do anything?

In 2011, the Government again said, "Certain parts of the country have suffered from unacceptable high levels of violence, especially areas affected by Left-wing extremism and Kashmir Valley".

In 2012, it was again said, "The bomb blasts on 13th July, 2011, in Mumbai and 11th September, 2011, in Delhi are a grim reminder that terrorist modules continue to be active in the country. In 2011, 18 terrorist modules were neutralised – terrorism, fundamentalism, ethnic violence and Left-wing extremism continue to pose major challenges". This was a statement made in 2012. क्या वर्ष 2013 में स्थिति सुधरी? वर्ष 2013 में सरकार पुन: कहती है। … (व्यवधान) टेररिज्म की बात कहते हैं, तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? … (व्यवधान) जब हम टेररिज्म की बात कहते हैं, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? … (व्यवधान) आप धीरज दिखाइए और बैठिए। … (व्यवधान) आप सुनिए, और भी काफी चीजें हैं। … (व्यवधान) वर्ष 2013 में क्या स्थिति सुधरी है? … (व्यवधान)

In 2013, they said, "Some parts of our country have in the recent past witnessed communal incidents. Incidents of Left-wing extremist violence have shown a declining trend. The number of deaths in Naxal violence declined from 611 in 2011 to 414 in 2012. compared with 2011, the number of fatalities in incidents of terrorist violence in 2012 has declined by nearly half".

सभापति महोदय, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। … (व्यवधान) ये लोग किस अचीवमेंट पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? In 2012, the number of deaths has come down to only 400 from 600. Is this their achievement? Is "Compared with 2011, the fatalities owing to terrorist violence has come down to half" their achievement? क्या इनका यह अचीवमेंट है? … (व्यवधान) कांग्रेस पार्टी ने 10 साल तक इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी को इस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। This is the certificate. यह मेरा वाक्य नहीं है। These are all the statements of their own Governments made in this very august House.

सभापति महोदय, ये 10 साल उनके थे। … (व्यवधान) मैं अपने 12 साल पर भी आता हूं। … (व्यवधान) आपको यह सब सुनकर दिक्कत हो रही है। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): You can take note, the Leader of Opposition shall respond.

(Interruptions)…

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, 10 साल तक देश लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से ग्रसित था। … (व्यवधान) देश के कोने-कोने में टेररिस्ट अटैक होते थे। महिलाएं, बच्चे कोई भी सुरक्षित नहीं थे। This was the internal security situation of the country.

आज माननीय राष्ट्रपति जी अपने भाषण में यह उल्लेख करते हैं। “India has proved that power can be used with responsibility and prudence. The world has witnessed the valour and prowess of the Indian Defence Forces during Operation Sindoor. Using its own resources, our country destroyed the base camps of terrorists. My Government has sent a strong message that any terrorist attack on India will receive a firm and decisive response. The suspension of the Indus Water Treaty is also a part of India's fight against terrorism”. यह आतंकवाद के सामने भारत की जिम्मेदारी है, यह नरेन्द्र मोदी के भारत की जिम्मेदारी है।

(1300/NKL/RV)

Hon. Chairperson, the other biggest achievement that we have done is the near elimination of Left-wing extremism in this country. राष्ट्रपति जी ने इसका उल्लेख किया है -

> “In line with the policy of my Government, security forces have acted decisively against Maoist terror. Today, the challenge of Maoist terror has been reduced to just eight districts from 126 districts. Out of these, only three districts remain the most affected.”

That day is not far when the country will witness complete eradication of Maoist terror. मैं देश के युवाओं की ओर से विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। He has single-handedly, decisively eliminated Maoist terrorism in this country. This is one of the biggest achievements of this Government.

सभापति जी, यूपीए सरकार के दस साल के भाषणों में कश्मीर का जब-जब उल्लेख हुआ था, वह टेररिज्म या वॉयलेंस के उल्लेख के साथ ही हुआ था। वर्ष 2014 के बाद, आर्टिकल-370 हटाने के बाद पहली बार कश्मीर का उल्लेख डेवलपमेंट के साथ, ग्रोथ के साथ और युवाओं की नयी शक्ति और विकास के साथ हो रहा है। This is the change in the language of the Government, in the speeches that this Parliament has recorded.

Hon. Chairperson, there is one other important issue that the country must understand. जब देश में इतने सारे टेररिस्ट अटैक्स होते थे, तब उन टेररिस्ट अटैक्स के विषय पर कांग्रेस पार्टी का क्या रिस्पॉन्स था? मैं आपको बताता हूं कि उनका रिस्पॉन्स क्या था, आप सुन कर हैरान हो जाएंगे।

Hon. Chairperson, our response to terrorist attacks has been clear. When Uri Attack happened, we responded with a surgical strike. When terrorism struck again, we responded with an air strike in Balakot. Under this very Government, we responded with ‘Operation Sindoor’. We responded to them in the language that the terrorists understand. … (*Interruptions*)

सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह नरेन्द्र मोदी सरकार का रिस्पॉन्स था। कांग्रेस सरकार का टेररिज्म के ऊपर क्या रिस्पॉन्स था?... (व्यवधान)

1303 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

In 2010, they made a categorical reference towards terrorism in the President's Address. वहां ये उल्लेख करते हैं –

> "Our unity and social harmony is the best answer to the terrorists and their divisive designs. Hence, the Government is committed deeply to protecting our social fabric and proposes to move the early passage of the Communal Violence Bill, 2005 in the Session of Parliament."

यह बिल क्या था? That was a Bill that presumed guilt on the Hindus of the country, a Bill that gave a legal presumption that the majority will be default perpetrators of violence. वर्ष 2010 में कांग्रेस सरकार यह बोलती है that this should be the response to terrorists. ... (*Interruptions*) आप लोगों को शर्म आनी चाहिए।... (व्यवधान) टेररिस्ट के डिज़ाइन को देश में लागू करने का काम कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2009-2010 में करने का प्रयास किया था।... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, यह नेशनल सिक्योरिटी की बात है।... (व्यवधान) हमने नक्सलवाद पर चर्चा की।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण के नज़दीक ही बोलिए।

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण) : अध्यक्ष जी, ये राष्ट्रपति अभिभाषण के ही उल्लेख हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, आप वही बोलिए।

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण) : अध्यक्ष जी, मैं वही बात कह रहा हूं। जो मैंने कहा, वह वर्ष 2010 के राष्ट्रपति अभिभाषण से उल्लिखित है।... (व्यवधान) यह उनकी स्टेटेड पॉलिसी थी।... (व्यवधान) Their response to terrorism was not surgical strike. Their response to terrorism was to bring the Communal Violence Bill. यह कांग्रेस पार्टी का डिजाइन था।... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, हम इकोनॉमी के कम्पैरिजन में देखें, इंटर्नल सिक्योरिटी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कम्पैरिजन में इसको देखें।... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, अब मैं विमेन रिज़र्वेशन बिल के ऊपर आता हूं।... (व्यवधान) यह बहुत इंटेरेस्टिंग चीज़ है। वर्ष 2009 के राष्ट्रपति अभिभाषण में कहा जाता है -

> "Early passage of Women's Reservation Bill, providing for one-third reservation to women in State Legislatures and in Parliament is my commitment."

(1305/MY/VR)

अब मैं वर्ष 2010 में आता हूं। वर्ष 2010 में पुन: रिपीट होता है-

"My Government is committed to ensuring early passage of the Women's Reservation Bill."

अध्यक्ष जी, वर्ष 2012 में पुन: रिपीट होता है-

"My Government has introduced the Constitution (Amendment) Bill to provide reservation for women."

In 2013, यह conveniently drop हो जाता है। वर्ष 2009, 2010, 2011, 2012 में बार-बार यही प्रॉमिस दिया जाता है। But promise remains a promise until Shri Narendra Modi comes and promises, and delivers on the commitment of women's reservation. यही फर्क है।

अध्यक्ष जी, यही हालत 'वन रैंक वन पेंशन' पर भी हुआ। इनका सिर्फ रेटोरिक है, रिफॉर्म नहीं है। प्रॉमिस है, कभी कमिटमेंट में लागू नहीं होता है।

अध्यक्ष जी, कल मैंने कांग्रेस के वर्ष 2004 से 2014 तक, दस साल के भाषण को पीडीएफ में ओपन करके की-वर्ड सर्च किया। क्या उन्होंने भारत के सांस्कृतिक विरासत के बारे में, अपने सिविलाइजेशन के बारे में, कल्चर के बारे में और अपने मंदिरों, भाषाओं, विरासत के बारे में उल्लेख किया है? मैंने पीडीएफ में की-वर्ड सर्च करके दस साल के भाषण को देखा है।

अध्यक्ष जी, you will be shocked. सिर्फ एक जगह पर स्वामी विवेकानंद जी के 150वें बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन का फुटनोट छोड़ कर कांग्रेस के पूरे दस साल के कार्यकाल में भारत की संस्कृति, विरासत, सिविलाइजेशनल वैल्यू के बारे में जिक्र भी नहीं हुआ है। This is all part of the record of this country. *... (Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष: अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है तो आप बोल दीजिए। क्या आप रिकॉर्ड के बारे में बोलना चाहते हैं? माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है, उसके बारे में यदि आपके पास कोई रिकॉर्ड है तो आप बोल दीजिए?

… (व्यवधान)

श्री हैबी ईडन (एरनाकुलम) : अध्यक्ष जी, मैं रूल के बारे में बोल रहा हूं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप रूल को छोड़िए।

… (व्यवधान)

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण) : अध्यक्ष जी, मैं इनको चैलेंज करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि यह मेरे घर का कोई डॉक्यूमेंट है। यह पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है। I challenge any Member of Parliament from the Congress to show one sentence on the civilizational integrity of this country mentioned in the President's Addresses in those 10 years. उनका कमिटमेंट हीं नहीं है।

Sir, compare this with what Narendra Modi ji did. वर्ष 2014 में जब हम पहली बार आते हैं तो अपने देश से वादा करते हैं। We promised the country that we will do technology, and we will also improve tradition. ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी दोनों के बारे में भारत में यदि कोई इम्प्रूवमेंट किया है तो भारत में पहली बार नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है।

I want to mention about the National Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY) 2015. *... (Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज पहले मेरी बात सुनिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके पार्टी के लोग आपका नाम नहीं लेंगे, तो भी मैं आपको पांच मिनट बोलने की इजाजत दूंगा। आप इनकी बात खत्म कर लेने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप राहुल गांधी जी से पहले बोलना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण) : अध्यक्ष जी, मैं तो यहां अपने हाथ में दस साल के यूपीए के पूरे स्पीचेज को प्रिंट आउट लेकर आया हूं।… (व्यवधान)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, the hon. Member, Shri Tejasvi Surya has mentioned the period from 2004 to 2014, भारत की संस्कृति के ऊपर कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने कुछ भी नहीं बोला है। पी.टी. थॉमस, फॉर्मर मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट ने श्री नारायण गुरू और इंडियन कल्चर के बारे में, सिलेबस में उनके बारे में जो जगह होना चाहिए, श्री नारायण गुरू जी के बारे में बहुत सारी चीजें बोला हैं। माननीय सदस्य ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं बोला है? How can he say that? *... (Interruptions)*

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : माननीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय सदस्य का ध्यान केरल में है, यहां नहीं है। तेजस्वी सूर्या जी जो कह रहे हैं, वह यह कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण में भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारतीय परंपरा का जिक्र नहीं है, वह कांग्रेस के किसी सम्माननीय सदस्य के भाषण से कह रहे हैं। ये राष्ट्रपति अभिभाषण के बारे में बात कर रहे हैं। उनको इतना मालूम होना चाहिए।

(1310/MLC/PBT)

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण) : मैंने तो इन्हें समझाने का प्रयास किया है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आप मत समझाइए, सब समझदार हैं।

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण) : अध्यक्ष जी, मैंने एक्सपेक्ट किया था इसलिए मैं उनके दस साल के भाषणों की प्रतियां प्रिंट आउट करके आया हूँ। ये मैं उन्हें देता हूँ। … (व्यवधान) आप दस साल की स्पीचेस को लाइन बाय लाइन देखिए, अगर आपको मिलता है, तो आप देश को दिखाइए contrast this to what we did.

अध्यक्ष जी, वर्ष 2015 में नरेन्द्र मोदी जी आते हैं और हमने हृदय स्कीम शुरू की, हमने प्रसाद स्कीम शुरू की। हमने टेम्पल टाउंस का डेवलपमेंट किया। स्वदेश दर्शन शुरू हुआ। हमने देश को एक भारत, श्रेष्ठ भारत की कल्पना दी। हमने केदारनाथ धाम और चार धामों की यात्रा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया। … (व्यवधान) विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर का प्रोजेक्ट हुआ, महाकाल का प्रोजेक्ट हुआ। अध्यक्ष जी, किरीटप्राय के रूप में इन सबको एक ताकत देने के लिए भव्य राम मंदिर का भी उद्घाटन नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। … (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, यह क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि दशकों तक, सदियों तक भारत कॉलोनाइज्ड हो गया था और इस कॉलोनाइजेशन की वजह से इस देश में एक प्रकार का इंफेरियारिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था। … (व्यवधान) मुझे इस देश का युवा होने के नाते यह कहने में अत्यंत गर्व है कि इस साल के राष्ट्रपति के अभिभाषण में we have said something that no Government in independent India's history has ever said.

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूँ कि -

"From the cultural perspective, India is among the richest nations in the world. Through Macaulay's conspiracies, a sense of inferiority was instilled." … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण) : अध्यक्ष जी, पहली बार देश के संसदीय इतिहास में राष्ट्रपति अभिभाषण में यह उल्लेख किया गया है -

> "Through Macaulay's conspiracies, a sense of inferiority was instilled among the people of India during the colonial period. Now, for the first time since independence, my Government has shown the courage to strike a blow on this."

यह पहली बार किसी सरकार ने कॉलोनाइजेशन के ऊपर, मैकाले की कांस्पीरेसीज के ऊपर, डिकॉलोनाइजेशन के ऊपर बात कही है। … (व्यवधान) This is the contrast of the last two years. This is the civilisational difference between the approach of the BJP and the Congress.

अध्यक्ष जी, हमने सुना है, कांग्रेस हमेशा कहती है कि अरे, मनरेगा भी हमने शुरू किया था, डीबीटी भी हमने शुरू किया, आधार भी हमने शुरू किया था, ये सब भी हमने शुरू किया था।… (व्यवधान) अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकलकर आई कि इनके रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स, इनके पूरे दस साल के राष्ट्रपति अभिभाषणों में मेगावाट्स में लिखा जाता है।… (व्यवधान) नरेन्द्र मोदी जी के देश के

प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गीगावाट्स का ड्रीम इस देश में होता है। … (व्यवधान) नेता बड़े थे, लेकिन सोच छोटी थी, यह कांग्रेस की असलियत है। हम दोनों के बीच फर्क बहुत है।… (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, हिन्दी के एक कवि की बात मुझे याद आ रही है -

"सिर्फ़ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है,
एक पत्थर व नगीने में बड़ा अंतर है।
अरे, मुर्दा घड़ियों की तरह वक्त बिताने वालों,
साँस लेने में व जीने में बड़ा अंतर है।"

अध्यक्ष जी, यह बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फर्क है।… (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं एक और महत्वपूर्ण विषय, जो देश की युवाशक्ति से संबंधित है, उसके ऊपर देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। … (व्यवधान) अध्यक्ष जी, पिछले दस साल में सबसे बड़ा जो चेंज देश में आया है, मैं मानता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से कठिन है।… (व्यवधान) पैसा डालें, तो बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती हैं, फ्लाईओवर्स बन जाते हैं, एयरपोर्ट्स बन जाते हैं, पर एक देश का, एक समाज का कल्चर चेंज करना, एक बिहेवियर ऑफ पैटर्न में बदलाव ले आना, एक एस्पिरेशन में बदलाव ले आना, ये सबसे कठिन चीज होती है।

(1315/GG/SNT)

अध्यक्ष जी, 10 साल पहले इस देश के युवा का एस्पिरेशन क्या होता था। सबसे अच्छे पढ़े-लिखे नौजवान का भी एस्पिरेशन एक सरकारी नौकरी लेने का होता था। अगर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली, तब वह जा कर प्राइवेट में काम करता था, It was looked down upon. जब प्राइवेट में भी उनको काम नहीं मिलता था, as the last resort of a loser, वह बिज़नस करने के लिए जाता था। यह दस साल पहले देश की स्थिति थी। पर आज देश के एस्पिरेशन में बदलाव हो गया है। आज देश के युवा जॉब सीकर नहीं, आज जॉब गिवर बनना चाहते हैं। Entrepreneurial Revolution देश में हुआ है। It is very rare.

अध्यक्ष जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने सांस्कृतिक विरासत के बारे में उल्लेख किया। उसी तरह की ही स्टडी में दस साल के यूपीए के भाषणों में entrepreneurship, startup, ease of doing business, economy strengthening, deregulation, and decriminalisation ऐसे आठ-दस कॉम्बिनेशंस में मैंने वर्ड सर्च किया। दस साल के भाषणों में एक बार भी स्टार्ट-अप का ज़िक्र नहीं है। एक बार भी entrepreneurship का ज़िक्र दस साल में नहीं है। एक बार भी डीरेग्युलेशन, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नस, पीएलआई, ऐसी एक स्कीम का भी उल्लेख नहीं है।

The biggest challenge that we have seen in the last 10 years is Shri Narendra Modi has given the young of India a new vocabulary of building India.

आज देश के युवा एंजल इनवेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आईपीओ की बात कर रहे हैं, मुद्रा के बारे में, स्टैंड-अप के बारे में, पीएलआई के बारे में, कंपनी का आईपीओ निकालने के बारे में बात कर रहे हैं। दस साल पहले देश के युवाओं के शब्दकोश में ही यह शब्द नहीं था। This change

is what Narendra Modi's *sarkar* has brought to this country and this is the difference that has come. … (व्यवधान)

1318 hours

(At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Shri Naresh Chandra Uttam Patel and some other hon. Members came and stood near the Table)

अध्यक्ष जी, मैं एक-दो मिनट में वाइंड-अप कर रहा हूँ। … (व्यवधान) कन्नड़ में कहा जाता है। … (व्यवधान) एक कवि ने बोला है:

"Mooru sagara, nooru Mandira, Daiva saviraviddarenu?
Gange iddare, Sindu iddare, giri Himilayaviddare,
Vedaviddare, bhoomi iddare, ghana parampare iddarenu sarthaka?
Deshada yuvakare malagi nidrisuttiddare?"

अध्यक्ष जी, इसका मतलब यह है कि तीन सागर हों, सौ मंदिर हों, हज़ारों देवता हों, गंगा-सिंधु हों, हिमालय पर्वत हो, वेद-धरती हो, गौरवशाली परंपरा हो। लेकिन यदि देश के युवा सोए रहे, दिशाहीन भटकते रहे तो इन सबका क्या अर्थ है। … (व्यवधान) यह इसका मतलब है। … (व्यवधान) दस साल तक देश के युवाओं को दिशाहीन कर दिया था। … (व्यवधान) दस साल तक देश के युवाओं को जाग्रत करने के लिए प्रयास ही नहीं हुआ था। … (व्यवधान) पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के युवा जाग चुके हैं। … (व्यवधान) आज देश के युवा नया भारत बनाने का संकल्प कर चुके हैं। … (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं दो मिनट में समाप्त करता हूँ। … (व्यवधान) अध्यक्ष जी, और एक बहुत इंट्रेस्टिंग विषय निकल कमर आता है, जब हम दस साल के इनके भाषणों के ऊपर सर्च करते हैं। मैं दस साल के भाषणों में विकसित भारत का या डेवल्प्ड इंडिया का या सुपर पॉवर इंडिया का क्या ज़िक्र है, इसका भी मैं सर्च किया। दस साल के इनके पूरे भाषणों में विकसित भारत का, डेवल्प्ड इंडिया का उल्लेख भी नहीं दस साल के भाषणों में हुआ है। देश के युवाओं के सामने एक डेवल्प्ड इंडिया का, एक विकसित भारत का लक्ष्य भी इन लोगों ने नहीं रखा था। उसको हासिल करने की बात छोड़िए।

(1320/YSH/RTU)

यह फर्क है। जिसके हृदय में भारत के प्रति भक्ति होती है, वह भारत को विकसित बनाने का काम करता है। … (व्यवधान) अध्यक्ष जी, जिनकी नीयत ठीक नहीं है, नीति क्लियर नहीं है, उनकी नीति भी ठीक नहीं होती है। … (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं समझ सकता हूँ कि इनकी क्या तकलीफ है। मैं समझ सकता हूँ कि आप सबकी तकलीफ क्या है। मैं पढ़ रहा था कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया एलायंस और कांग्रेस पार्टी की चुनावों में लगातार 95 हार हो चुकी है। … (व्यवधान) अभी पांच राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के सभी वरीष्ठ सांसद भी बहुत तकलीफों में जुड़े हैं। मैं राहुल गांधी जी और इंडिया एलायंस को सेंचुरी की एडवांस कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ।… (व्यवधान) आप पश्चिम बंगाल से, केरल

से, तमिलनाडु और हर जगह से खाली होंगे। हर जगह नरेन्द्र मोदी नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामने आएगी। India today is on the cusp of a new economic revolution. पिछले 10 सालों में हमने फाउंडेशन करने का काम किया है। … (व्यवधान) In the last one year, Pradhan Mantri ji's 'Reform Express' is going at full speed to promise the new generation of Indians a life, a quality of infrastructure, a quality of living that no generation in India has seen before. Ursula von der Leyen ji, President of the European Commission, visited India on the occasion of Republic Day and after a meeting with the hon. Prime Minister, she had put a tweet. She said, "A successful India makes the world more stable, more prosperous and secure. We all benefit with India's growth." This is stated by the President of the European Commission. When India grows, India will grow not to dominate the world, India will grow to transform the world. This is the commitment the hon. Prime Minister has given to the youth of this country. The hon. President in the conclusion of her address, gives a call to the nation, especially to the Members of Parliament from all across the aisles to become united in the matter of security of the country and the aspiration of a *Viksit Bharat.*

आइए, हम विकसित भारत के इस बड़े लक्ष्य का सामना करने के लिए, इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए छोटे-मोटे पॉलिटिकल डिफरेंसेस को पीछे छोड़कर देश के लिए एकजुट होकर उसे आगे बढ़ाने का काम करें। … (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और भारत मां की सेवा में हम सब दिल से काम करें, इसी अपेक्षा के साथ मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। … (व्यवधान)

भारत माता की जय। … (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :-

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण, जो उन्होंने 28 जनवरी, 2026 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं।"

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर संशोधन के संबंध में घोषणा

1323 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने संशोधनों को प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं, तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं, जिनमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाई गई हों, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन संशोधनों को ही प्रस्तुत किया समझा जाएगा, जिनके संबंध में पर्चियां विनिर्दिष्ट समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होंगी।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गए संशोधनों की क्रम संख्या को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। सदस्य यदि सूची में कोई विसंगति पाते हैं तो वे कृपया इसे तत्काल सभा पटल पर अधिकारियों के ध्यान में लाएं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री राहुल गांधी जी।

… (व्यवधान)

1324 बजे

(इस समय श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल्याण जी।

… (व्यवधान)

(1325/STS/AK)

माननीय अध्यक्ष : कल्याण जी। माननीय सदस्य प्लीज।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राहुल गांधी जी।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, let the House be in order. … (*Interruptions*)

1326 hours

(At this stage, Shri Kalyan Banerjee *and some other hon. Members went back to their seats.)*

1326 hours

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI RAHUL GANDHI): Thank you, Speaker Sir, for letting me speak on the President's Address.

A young colleague over there made an allegation against the Congress Party. I was not going to raise this issue, but because he has raised the issue about our patriotism and our understanding of the Indian culture, I would like to start by reading something and this is from the memoirs of Army Chief Naravane. I would like you to listen nicely, and you will understand exactly who is patriotic and who is not. It will take a little while.

This is about when four Chinese tanks were entering the Indian territory. They were taking a ridge in Doklam and the Army Chief writes and I quote from an article that is put in his book: "The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash Range. … (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): No, Sir. … (*Interruptions*) The LOP has just started his speech. … (*Interruptions*) He is not yielding. … (*Interruptions*) The Defence Minister cannot get involved. … (*Interruptions*) He has just started. … (*Interruptions*)

रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह) : एलओपी यह बताएं कि क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं।… (व्यवधान) यदि वह पुस्तक प्रकाशित हुई है, तब तो आप उसका उल्लेख कीजिए।… (व्यवधान) अगर नहीं प्रकाशित हुई हैं, तो उसका उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज एक मिनट।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, this is not right. … (*Interruptions*) In the morning you talked about this, and you are completely violating it. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता है। पूर्व में भी यह अनुभव रहा है कि सांसद प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात कही थी, तब उन्होंने उस बात को यहां टेबल पर ऑथेंटिकेट किया था। रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है, उसमें उनका कहना है कि हम जिस भी विषय के बारे में बोलें, उसको सदन के पटल पर ऑथेंटिकेट कर सकें, उसी विषय को यहां पर बोलें। सदन यह मर्यादा बना कर रखें।

SHRI RAHUL GANDHI: Sir, this is 100 per cent authentic. … (*Interruptions*)

श्री राज नाथ सिंह : मैं आपके माध्यम से एलओपी से यह पूछना चाहता हूं कि जिस पुस्तक के कंटेंट को वे यहां पर उल्लेख कर रहे हैं, क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है?

SHRI RAHUL GANDHI: Sir, Rajnath Singh is getting exercised because his name is going to be spoken just now. … (*Interruptions*)

श्री राज नाथ सिंह : मैं केवल इस एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं। … (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: Speaker Sir, I have not said anything. … (*Interruptions*) These are the memoirs of General Naravane in which … (*Interruptions*)

श्री राज नाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले वे यह बतायें कि यह पुस्तक प्रकाशित हुई या नहीं हुई है।… (व्यवधान) अगर नहीं हुई है, तो वह किसी पुस्तक से यह जानकारी उल्लेख कर रहे हैं?… (व्यवधान) उसकी जानकारी सदन को दें।… (व्यवधान) मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कहना चाहता हूं कि यह पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वे यह कह रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है या नहीं है, आप इसका जवाब दे दें। आप सदन के अंदर उन चीजों को मेंशन नहीं कर सकते हैं।

… (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: Sir, this is a public document. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप वर्षों से संसद के सदस्य रहे हैं। किताबों पर, अखबारों पर, अखबारों की कटिंग पर यहां पर चर्चा नहीं होती है। आप विपक्ष के नेता है। आप बोलें, लेकिन उसी विषय को बोलें जो सत्यापित हो सके।

(1330/MK/SRG)

श्री राहुल गांधी : सर, कारवां अखबार में नरवणे जी की जो किताब है, उसके बारे में एक्सर्पट्स हैं। उसमें प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है, मैं वह हाउस को बताना चाहता हूं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप चेयर को सम्बोधित करते हुए बोलें।

… (व्यवधान)

श्री राज नाथ सिंह : अध्यक्ष जी, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं पूरे कांफीडेंस के साथ कहना चाहता हूं कि जिस पुस्तक की ये बात कर रहे हैं, वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं हैं, जिसका ये उल्लेख कर रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं है। माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक रूप से बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : सर, 100 परसेंट ऑथेंटिक है। … (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : सर, कारवां मैगजीन में आ गया है। … (व्यवधान)

Hon. Leader of Opposition has just started his speech. … (*Interruptions*) He is trying to quote a magazine report. … (*Interruptions*) In this Parliament,

there are precedents of quoting a magazine. … (*Interruptions*) If anything is wrong, Rajnath Singh ji can reply after his speech is over. … (*Interruptions*) Sir, they are disturbing the Leader of Opposition. … (*Interruptions*)

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : अध्यक्ष जी, वह मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, ये इतना बोल दें। ये एक बार रिकॉर्ड पर बोलें कि नरवणे जी ने नहीं कहा है।… (व्यवधान) रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि आप नरवणे जी की पुस्तक को रैफर कर रहे हैं तो वह प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है? ये इतना स्पष्ट करें कि यह नरवणे जी की पुस्तक नहीं है। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। … (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): He is quoting a magazine report. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, इस सदन का नियम और परम्परा है कि अखबार की कटिंग और अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों को मेंशन नहीं किया जा सकता है, जो ऑथेंटिक नहीं है। यह हमेशा से सदन की परम्परा रही है।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: सर, मुझे बोलने दीजिए। यह गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नरवणे जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है। मैं सिर्फ इसमें से पांच लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह जी और मोदी जी के बारे में बोला है। … (व्यवधान)

श्री राज नाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है, तो ये किस चीज का यहां पर उल्लेख करना चाहते हैं? … (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वे स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, उसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है?… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगर प्रकाशित हुआ हो, तब भी नहीं कर सकते हैं।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, प्रकाशित ही नहीं हुई है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कोई भी प्रकाशित किताब या किसी भी मेल पर सदन में ऐसे कैसे चर्चा हो सकती है?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोलें।

… (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: The tanks were within a few hundred metres of Indian positions on the Kailash Range… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No.

… (*Interruptions*)

श्री राज नाथ सिंह : अध्यक्ष जी, ये सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें।

राहुल जी, यहां अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। … (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Tejasviji only started it. … (*Interruptions*)

श्री राहुल गांधी: सर, हमारी पार्टी के ऊपर मैम्बर ऑफ पॉर्लियामेंट ने सवाल उठाया है। मैं यह रेज नहीं करने वाला था। मगर, उसका जवाब देने के लिए मैंने यह किताब निकाली है। अब यह 100 परसेंट ऑथेंटिकेटेड है। यह नरवणे जी का मेमोआर है। … (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, he is taking responsibility for authentication. … (*Interruptions*)

(1335/ALK/SM)

श्री राज नाथ सिंह : यदि ये कोई बात कहना चाहते हैं, तो कोई अथेंटिक सोर्स तो चाहिए। वे जिस किताब का उल्लेख कर रहे हैं, वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। यह उल्लेख वे कहां से कर रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं।… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : अध्यक्ष जी, सदस्य पॉइंट ऑफ आर्डर रेज कर रहे हैं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पॉइंट ऑफ आर्डर क्या है?

… (व्यवधान)

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Sir, according to Rule 349(i), a Member shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the House … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष :… (व्यवधान) मैंने बोल दिया है। ऑलरेडी व्यवस्था दे दी है।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, सेटेनिक वर्सेज इस कांग्रेस सरकार ने बैन कर दिया और उस पर चर्चा नहीं की। हमारे आडवाणी जी और अटल जी चर्चा करना चाहते थे, वे चर्चा नहीं कर सके।… (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : सर, रूलबुक।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं पहले ही व्यवस्था दे चुका है। आप कोई रूलबुक मत निकालिए। मैं रूलबुक पढ़ चुका हूं। मैं पहले ही व्यवस्था दे चुका हूं कि अखबार की कटिंग पर, कोई किताब पर, कोई ऐसे विषय जो अथेंटिक नहीं हैं, उन विषयों पर सदन में चर्चा की परंपरा नहीं रही है। यह नियम भी कहता है और परंपरा भी यही है, इसलिए आप परंपराओं का पालन कीजिए।

… (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: This is the book I am quoting. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप ऐसा मत कीजिए। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जब किसी विषय पर हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने कई बार रूलिंग दी है। मैंने कोई नई रूलिंग नहीं दी। मैंने कोई नया नियम-प्रक्रिया लागू नहीं की है। मैंने कोई नया नियम, परंपरा लागू नहीं की। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई परंपरा, नया नियम आपके लिए लागू कर रहा हूं, जो पूर्ववर्ती नियम हैं और जो परंपरा है, उसका हवाला दिया है और आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। मुझे आशा है कि आप उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।

SHRI RAHUL GANDHI: Under which rule?

माननीय अध्यक्ष : आप मुझसे नियम सुन लीजिए।

श्री राहुल गांधी : सर, जनरल नरवणे जी ने यह किताब लिखी है।

माननीय अध्यक्ष : आपने मुझसे नियम के लिए सवाल पूछा है। मैं आपको पहले नियम बता देता हूं। नियम 349, ऐसी पुस्तक, समाचार पत्र नहीं पढ़ा जाएगा, जिसका सभा की कार्यवाही से कोई संबंध न हो।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं दूसरा नियम पढ़ देता हूं। नियम सबके लिए हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नियम 353 भी देख लीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप रूल बता दीजिए।

… (व्यवधान)

श्री बी. मणिक्कम टैगोर (विरूधुनगर) : सर, आप एक जनरल की पुस्तक नहीं पढ़ने दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : इस विषय पर रूलिंग हो चुकी है। माननीय सदस्य आप आगे बढें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप देशभक्ति की और बात बताएं।

श्री राहुल गांधी : स्पीकर सर, मुझे बोलने दीजिए। यह जो किताब है, यह नरवणे जी की किताब है।… (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : सर, यह अजीब बात है, इन्हें शुरुआत से सारा समझाना पड़ेगा।… (व्यवधान)

श्री राज नाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूं।… (व्यवधान) लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहां प्रस्तुत कर दें कि उस पुस्तक में क्या लिखा है?… (व्यवधान)

(1340/GM/CP)

मैं पुस्तक देखना चाहता हूं। … (व्यवधान) सदन देखना चाहता है। … (व्यवधान) बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई।… (व्यवधान) पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई।… (व्यवधान) मैं कान्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं कि वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब मैं इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं, तो मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से अपेक्षा करता हूं कि वे सदन की गरिमा को रखेंगे। मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने कोई नियम, परम्परा नहीं दी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए। सदन आपका है, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Hon. Speaker Sir, the Government is not allowing the Leader of the Opposition to speak. … (*Interruptions*) If this is the attitude, tomorrow the Prime Minister will also not speak. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : वेणुगोपाल जी, सदन में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सदन में नियम, प्रकिया और परम्परायें भी होती हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस सदन का उपयोग, बोलने के लिए कोई नहीं रोक रहा है, न मैं रोक रहा हूं, लेकिन सदन नियम, प्रक्रियाओं और परम्पराओं से चलता है, इसलिए नियम, प्रक्रिया और परम्पराओं से बोलें। अगर उन्होंने कोई बात उठाई थी तो पुराने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दस्तावेज पर विषय उठाया था। अगर वे भी कोई अखबार, कटिंग्स की बात करते, तो मैं उनको भी रोकता।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए। आपका सदन है। सबको बोलने की इजाजत है, लेकिन सदन नियमों, प्रक्रियाओं और परम्पराओं से चलता है। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं।

… (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : सर, एलओपी का आधा घंटा चला गया। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नियम, प्रक्रियाओं से बोलें, ऐसी आपसे अपेक्षा की जाती है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप नियम, प्रक्रियाओं से बोलें।

श्री राहुल गांधी : मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में जो आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो।

… (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : क्यों नहीं? … (व्यवधान)

श्री राज नाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। … (व्यवधान) मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इन्हें किसी भी सूरत में यह बात यहां पर बोलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। … (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: नरवणे जी कहते हैं, my position was critical.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप क्या बोलना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज) : अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसेटिव है। अगर देश के हित में कोई सुझाव है तो मैं समझता हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन को उसे पढ़ देना चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं।

... (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज) : यह बहुत सेंसेटिव है। मुझे याद है कि डॉ. राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडीस, नेता जी हमेशा यह बात जताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। अगर चीन से सावधान नहीं रहेंगे, तो हमने कुछ जमीनें पहले भी खोई हैं।... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : सर, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलें। हम सुनने के लिए बैठे हैं, आदरणीय प्रधान मंत्री जी आपको सुनने के लिए बैठे हैं। यह जो मुद्दा है, उस पर आप रूलिंग दे चुके हैं।... (व्यवधान) आप चेयर से रूल 349 में एक रूलिंग दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी ये बार-बार फिर से वही पढ़ रहे हैं। ऐसे सदन कैसे चलेगा? ... (व्यवधान) हम लोगों ने शुरू से कहा कि आपकी बात हम शांति से सुनेंगे और आपको भी हमारी बात शांति से सुननी चाहिए। आप नियम ही पालन नहीं करेंगे, तो चर्चा, बहस कैसे हो सकती है? ... (व्यवधान) इस पर चेयर ने रूलिंग दे दी है कि आप मैगजीन का, न्यूजपेपर का यहां बिना मतलब कोट नहीं कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। आप रूलिंग दे चुके हैं।

(1345/VVK/GTJ)

आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। अपोजिशन खुद बोलना नहीं चाहते हैं और यहाँ ऐसी व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। अपोजिशन खुद भी नहीं बोलना चाहते हैं और बाकियों को भी नहीं बोलने देना चाहते हैं। नियम से बहस होनी चाहिए। सदन नियम से चलता है। एक सिस्टम है। हम सभी लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं। यहाँ किसी की मनमानी से सदन नहीं चलेगा। चेयर से रूलिंग दी जा चुकी है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बताइए।

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : नियम 349 यह है कि "Shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the House; " ... (*Interruptions*) It is 'business of the House' very clearly. Shri Tejaswi Surya has very clearly made an allegation against the Congress Party and the hon. LoP is trying to reply to that allegation by saying that 'you are not the nationalist; we are the nationalist - Indian National Congress. ... (*Interruptions*) As per Rule 349, we have the right, Sir. .... (*Interruptions*)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, जो सम्माननीय सदस्य ने कहा, वह सत्य नहीं है। तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के शासन के समय के वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के राष्ट्रपति अभिभाषणों का जिक्र किया और कहा कि इनमें कहीं पर भी इस प्रकार के शब्द नहीं मिले हैं। वे राष्ट्रपति अभिभाषणों का रेफरेंस देकर इसे डिस्प्यूट कर सकते हैं कि वर्ष 2005 के अभिभाषण में है ... (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। ... (व्यवधान) आप मेरी बात पूरी बात सुनिये। ... (व्यवधान)

ये नियम 349 को क्वोट कर रहे हैं कि बिजनेस के रेफरेंस में मैगजीन है, लेकिन आज के बिजनेस का रेफरेंस राष्ट्रपति का अभिभाषण है। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। ... (व्यवधान) अभिभाषण के मुद्दे पर यदि कोई आर्टिकल है, जिसे वे क्वोट करना चाहते हैं, वह भी नियम 359 के साथ में पढ़कर कर सकते हैं। ... (व्यवधान) एलिगेशन लगाने से पहले यहाँ पर उनको 24 घंटे पहले चेतावनी देनी पड़ती है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कोई एडवोकेट नहीं हैं। इस बात को नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। आप नेता प्रतिपक्ष के वकील नहीं हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैंने आसन से व्यवस्था दे दी है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप बैठिए। मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से अपेक्षा करूँगा कि हम सब सदन की गरिमा को बनाकर रखें, मर्यादा को बनाकर रखें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैंने पहले भी कहा है कि नियम, प्रक्रिया और परंपराएँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, सदन में रूल्स सभी के लिए हैं। मैं इस पर व्यवस्था दे चुका हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरी अपेक्षा है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात को रखेंगे।

... (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : महोदय, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, उसमें देश में क्या सिचुएशन है, देश कहाँ जा रहा है, देश को क्या करना चाहिए, देश की पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, चाइना, पाकिस्तान, ग्लोबल सिचुएशन आदि के बारे में बात होनी चाहिए।

आपके एक मैंबर ने कहा कि हम देशभक्त नहीं हैं। मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नरवणे जी ने कहा है... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या तरीका है?

... (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : महोदय, मैं तो बोल रहा हूँ। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, वेणुगोपाल जी, आप सदन में खड़े होकर तालियाँ बजा रहे हैं।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : स्पीकर सर, आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बात पूरी करूँ … (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : नॉट अलाविंग एलओपी।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह तरीका ठीक नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप वरिष्ठ नेता हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नेता प्रतिपक्ष के वकील नहीं है।

… (व्यवधान)

(1350/SK/HDK)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : पूरे मैम्बर्स एलओपी के वकील हैं, पूरा देश उनका वकील है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यहां वकीलों को इज़ाजत नहीं दी जाती है। यहां खुद माननीय सदस्य को बोलना पड़ता है।

… (<u>व्यवधान</u>)

श्री राहुल गांधी : स्पीकर सर, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। … (व्यवधान) ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक क्वोट से डरते हैं। … (व्यवधान) इसमें क्या चीज हैं, जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं यह न बोलूं।… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : यह गलत है कि बोलने की परमिशन नहीं है। … (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, the rules are only for opposition. … (*Interruptions*)

श्री राहुल गांधी : इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपसे घबरा नहीं रहे हैं। सदन में गलत तथ्यों को पेश न करने के बारे में आंथेटिक बात कह रहे हैं। वह नियम और प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। वे किसी से घबरा नहीं रहे हैं।

… (<u>व्यवधान</u>)

SHRI RAHUL GANDHI: Speaker, Sir,… (*Interruptions*) if they are not scared, they should allow me to read it. … (*Interruptions*) Why are they scared?… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे दी है कि चाहे कोई भी पुस्तक हो या कोई भी अखबार हो।

… (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): No, Sir, there is no correction. The rule is very clear.

माननीय अध्यक्ष: कोई भी करैक्शन नहीं है।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : वह कितनी बार किताब पढ़ते हैं। … (व्यवधान) कितनी बार किताब पढ़ चुके हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अध्यक्ष की रूलिंग को चुनौती नहीं दे सकते?

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : सर, कोई चुनौती नहीं दे रहा है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जब भी सदन चलता है तब अध्यक्ष की रूलिंग ही रूलिंग होती है। अब आप इस बात का ध्यान रखना।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप बोलिए। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलिए, नीतियों पर बोलिए, पॉलिसी पर बोलिए, आलोचना कीजिए। यह आपका विषय है।

… (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: Sir, the President's Address is about India's situation, it is about our relationship with China, it is about our relationship with America, it is about our exports. This is a fundamental explanation of our relationship with China. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No.

… (*Interruptions*)

SHRI RAHUL GANDHI: Inside this is a full understanding of what happened in Doklam. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: यह ठीक नहीं है।

… (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: Naravane ji writes..... (*Interruptions*)

श्री राज नाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन से केवल एक सवाल का जवाब पूछना चाहता हूं। … (व्यवधान) जिस पुस्तक की वह चर्चा कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि यह पुस्तक कहीं पर है या नहीं? यदि है और तथ्य सही होते तो निश्चित रूप से यह प्रकाशित होती और यदि किसी ने प्रकाशन पर रोक लगा दी और ऐसा लगता कि रोक गलत लगाई गई है तो

मिस्टर नरवणे कोर्ट का आदेश प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने कोर्ट से आदेश क्यों प्राप्त नहीं किया?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप देखिए।

... (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : सर, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप यह आरोप मत लगाइए। आपको बोलने की इज़ाजत है। आप नियम और प्रक्रिया पर बोलें। अध्यक्ष ने जिस विषय के बारे में रूलिंग दी है, उसी रूलिंग की पालना करें।

... (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : स्पीकर सर, आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को क्वोट न करूं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बिल्कुल।

... (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते।

... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : यहां कितनी बार किताब की लाइनें पढ़ी हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब पढ़ें तो आप भी बोल देना। अभी तो मैंने रूलिंग दे दी है।

... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : यहां कितनी बार नेहरू जी की किताब पढ़ी गई है। प्रधान मंत्री मोदी जी ने कितनी बार किताब का नाम बोला है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी तो मैं रूलिंग दे चुका हूं। आप भी इतनी समझदारी से विषय उठाइए।

... (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : सर, चाइना और इंडिया के रिश्ते के बारे में लिखा है, चाइना के टैंक्स कैलाश रिज पर आ रहे थे। ... (व्यवधान)

(1355/VB/PS)

श्री राज नाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन से कहूंगा कि वे इस तरह से सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। कृपया आप उन पर पूरी तरह से रोक लगाएं। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से कहना चाहूंगा।

... (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): He is not quoting it also. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : शब्दों से कोई नहीं डरता है। ये अपने तथ्यों की बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने तथ्यों पर अपनी बात को कहा है।

… (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI : I am describing a situation. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप सदन में व्यवधान कर रहे हैं। आप अध्यक्ष के रूलिंग की पालना नहीं कर रहे हैं। आप अध्यक्ष के निर्देश की पालना नहीं कर रहे हैं। यह भी आपके लिए उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI : Sir, there was a border. On the border, there were forces of some country that were entering that border. Four tanks were entering the Kailash Ridge. The Chief of Army Staff … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप बोलना नहीं चाहते हैं?

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : अब तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए, लेकिन और भी माननीय सदस्य बोलेंगे।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : स्पीकर सर, आप एक काम कीजिए।… (व्यवधान) आप मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या कहना है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप एक मिनट के लिए बैठ जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपका सलाहकार नहीं हूँ, लेकिन अध्यक्ष होने के नाते मेरा यह बताने का दायित्व बनता है कि यह सदन नियम एवं प्रक्रियाओं से चले, परम्पराओं से चले और जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उस विषय पर चर्चा करें।

जब पूर्व में बोलने वाले माननीय सदस्य चर्चा से इतर बोल रहे थे, तो मैंने उनको भी राष्ट्रपति के अभिभाषण से इतर बोलने के लिए मना किया। इसलिए अच्छा हो कि आप सदन की गरिमा रखें। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। आप एक बड़ी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हैं। आपकी यह भूमिका उचित है या नहीं, यह देश तय करेगा। लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि आप सदन की मर्यादा को बनाकर रखें।

श्री राहुल गांधी : स्पीकर सर, चाइना के टैंक्स थे, वे हमारे बॉर्डर कैलाश रिज़ पर चढ़ रहे थे।… (व्यवधान) Chinese tanks had entered our … (*Interruptions*) Chinese tanks … (*Interruptions*)

श्री किरेन रिजिजू : सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हमने पहले भी कहा है कि हम सब शांति से सुनना चाहते हैं।… (व्यवधान) आपके माध्यम से, इस सदन से मेरा एक सवाल है कि यह सदन नियम से चलता है।… (व्यवधान) जब लीडर ऑफ अपोजिशन खुद नियम नहीं मानेंगे, रूलिंग को नहीं मानेंगे, तो ऐसे मेम्बर के साथ क्या होना चाहिए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये नियम ही नहीं मानते हैं।… (व्यवधान) आप कम से कम पांच बार कह चुके हैं कि रूलिंग दे चुके हैं। अगर आप

रूलिंग दे चुके हैं, तो हम भी सदन से बड़े नहीं हैं। स्पीकर के रूलिंग देने के बाद आपको मान लेना चाहिए।... (व्यवधान)

राहुल गांधी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आपको अपने सदस्यों को व्यवहार सिखाना चाहिए। आप खुद ही इस तरह से नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो आपके मेम्बर्स क्या सीखेंगे?... (व्यवधान) आप स्पीकर की रूलिंग को नहीं मानेंगे, तो अपॉजिशन के बाकी एमपीज कैसे सीखेंगे?... (व्यवधान) इस सदन में नये-नये एमपीज आए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन खुद ही नियम नहीं मानते हैं, स्पीकर की रूलिंग को नहीं मानते हैं, तो सदन कैसे चलेगा?... (व्यवधान) यहां आप अपनी मर्जी से तो रूल नहीं बना सकते हैं। रूल बनाया हुआ है, जिसे मानना पड़ेगा। आपने रूलिंग दी है, इसका पालन करना चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे पुन: आग्रह कर रहा हूँ। आसन से व्यवस्था देने के बाद भी आप लगातार आसन की अवमानना कर रहे हैं। यह नेता प्रतिपक्ष के रूप से उचित नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने रूलिंग दे दी है, व्यवस्था दे दी है। अगर आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना चाहते हैं, तो ठीक है। अगर आप तय करके आये हैं कि मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं बोलना है, तो अलग बात है।

... (व्यवधान)

(1400/SJN/SNL)

श्री राहुल गांधी : महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

श्री राहुल गांधी : अध्यक्ष महोदय, आपने पहले मुझसे बोला कि मैं किताब को क्वोट नहीं कर सकता हूं। मैंने कहा कि मैं किताब को क्वोट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं मैगजीन को क्वोट कर रहा हूं। ... (व्यवधान)

उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को भी क्वोट नहीं कर सकता हूं। फिर मैंने कहा कि ठीक है, चाइना और हिन्दुस्तान के बीच जो रिश्ता और लड़ाई है, मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझसे बोला कि मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूं, ऐसा नियम है। आप मुझे बताइए कि हिन्दुस्तान और चाइना के संबंधों पर न बोलने के लिए कौन-सा नियम है?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उस किताब का हवाला दे रहे थे, जिसके बारे में रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि वह किताब छपी ही नहीं है। फिर आप उस मैगजीन के तथ्यों का हवाला दे रहे हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो विषय और तथ्य दिए हैं, उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई बिन्दु उल्लिखित नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपसे यह अपेक्षा की जाती है। हम सब भारत के नागरिक हैं। हम सबका दायित्व है कि हम भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखें। आप इस तरीके के तथ्य यहां न रखें, जिससे देश की प्रतिष्ठा कम हो। आपसे यह अपेक्षा तो की जा सकती है।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : महोदय, आपका कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से कुछ लेना-देना नहीं है। हम न ही पाकिस्तान के बारे में बोल सकते हैं, न ही चाइना के बारे में बोल सकते हैं और न ही किसी अन्य देश के बारे में बोल सकते हैं। यह क्या बात है?

माननीय अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, आप फिर ऐसा बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि आज आप यह तय करके आए हैं कि आपको अपनी बात नहीं रखनी है। मैंने जो व्यवस्था दी है, वह नियम, प्रक्रियाओं तथा परंपराओं के तहत है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपसे बार-बार यह आग्रह किया है कि आप नियम, परंपराओं और परिपाटियों के अनुसार बोलें। आपसे यह अपेक्षा की जाती है, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं। सभी माननीय सदस्य आपसे ऐसी अपेक्षा रखते हैं।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला है।

श्री राहुल गांधी : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने तो दीजिए। … (व्यवधान)

प्रधानमंत्री जी हमारी पार्टी पर, हमारी पार्टी के चरित्र पर, हमारी राष्ट्रीयता और विपक्ष के सदस्यों की राष्ट्रीयता पर सवाल उठाते हैं। ... (*Expunged as ordered by the Chair*)

माननीय अध्यक्ष : मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे दी है।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ वही कह रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे दी है।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने तो दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : आपका माइक्रोफोन ऑन है।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : महोदय, यह बात न तो चाइना के बारे में है, यह बात प्रधानमंत्री और … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप गलत बोल रहे हैं।

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : महोदय, आप प्रधानमंत्री का नाम सुनकर नो बोल देते हैं।

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको नियम के बारे में बताता हूं। आप मेरी बात सुनिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम 353 में लिखा है, आप सबने उसको पढ़ा भी है। यदि आप किसी भी व्यक्ति या माननीय मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप लगा रहे हैं, तो पहले आपको लिखित रूप से सूचना देनी पड़ेगी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आपको सदन में बोलना है, तो नियमों का पालन करना पड़ेगा। यदि आपको सदन में बोलना है, तो नियम और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

… (व्यवधान)

(1405/DPK/SMN)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप सदन में नियम और प्रक्रियाओं के तहत नहीं बोलना चाहते हैं, तो आपको इजाजत नहीं मिलेगी। मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नियम और प्रक्रियाओं से बोलेगें, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। आप सदन में नहीं बोलना चाहते हैं। सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलेगा। सदन बार-बार आसन की अवमानना से नहीं चलेगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं, तो मैं अगले वक्ता के रूप में अखिलेश यादव जी को बुलाऊंगा।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : स्पीकर सर, इसमें प्रधानमंत्री का कैरेक्टर, राजनाथ सिंह जी … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अखिलेश यादव जी, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : वे हम पर सवाल उठा सकते हैं। … (व्यवधान) उन्होंने सवाल उठाए हैं। … (व्यवधान) क्या एक व्यक्ति अपनी बात नहीं रख सकता है? उन्होंने अपनी बात रखी है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन वह नियम और प्रक्रियाओं से है। किसी आरोप-प्रत्यारोप के लिए सदन का उपयोग नहीं किया जाता है। आप सदन के बाहर जो चाहें, वह बोलें। सदन के अंदर आपको तथ्यों पर बोलना पड़ेगा, नियम और प्रक्रियाओं से बोलना पड़ेगा।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम सुनकर क्या हो जाता है? क्या प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं ले सकते हैं? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन आप नीतियों पर बोलिए और पॉलिसीज़ पर बोलिए। आप आलोचना कीजिए, चाहे कितनी भी आलोचना कीजिए। आप नीतियों और पॉलिसीज़ की आलोचना कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : सर, ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, ये हमारे चरित्र पर बोल रहे थे। ये हमारी पॉलिसीज़ पर नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी-नेशनल हैं। … (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मैंने माननीय सदस्य श्री तेजस्वी सूर्या का भाषण ध्यान से सुना है। उन्होंने कहीं पर भी अपोजीशन की देशभक्ति या कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाया है। … (व्यवधान) आप सुनो। … (व्यवधान) वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के भाषणों में कहीं भी देशभक्ति, देश की संस्कृति, देश की भाषा और देश की परंपरा को सशक्त करने वाली बात सरकार की ओर से राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं रखी गई, उन्होंने यह बात कही गई है। … (व्यवधान) वह सरकार की मंशा पर बोले हैं, उन्होंने कहीं पर भी विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया है। … (व्यवधान)

दूसरी बात, माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। आपने एक व्यवस्था दे दी है कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है। … (व्यवधान) जो मैगज़ीन है, उसे क्वोट नहीं किया जा सकता है। मैगज़ीन और नरवणे जी की किताब के अलावा उन्होंने कहा कि कैलाश रेंज में टैंक्स आए, यह इन्हें किसने बताया है? … (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : यहां लिखा है। … (व्यवधान)

श्री अमित शाह : आप यह लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते हैं। … (व्यवधान) अध्यक्ष जी ने 'न' बोला है। आप नहीं बोल सकते हैं। … (व्यवधान) अध्यक्ष जी, आपने व्यवस्था दी है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल व्यवस्था को लेकर है। नियम 349, 358 और अब 389, अध्यक्ष की रूलिंग को न मानने का नियम भी माननीय विपक्ष के नेता भंग कर रहे हैं। … (व्यवधान) ये नियम 389 को भी तोड़ रहे हैं। हम सदन किस तरह से चलाना चाहते हैं? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1409 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पंद्रह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1500/RP/PC)

1500 hours

The Lok Sabha re-assembled at Fifteen of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS – Contd.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI RAHUL GANDHI): Thank you for letting me speak on the Presidential Address. I was raising a fundamental issue about the relationship between China and India, and what happened on the Kailash Ridge between the armies. What Mr. Naravane said … (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : स्पीकर सर, हमने तो सोचा कि श्री राहुल गांधी जी थोड़ा सुधर गए होंगे। … (व्यवधान) लेकिन, वे सुधरते नहीं हैं। … (व्यवधान) वे सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। … (व्यवधान) इस पर रूलिंग हो चुकी है। … (व्यवधान)

स्पीकर सर, ये सदन को चलने दें, क्योंकि करने के लिए बहुत बातें हैं। … (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: Sir, it is a matter of national security. … (*Interruptions*) Chinese forces were right in front of our forces.… (*Interruptions*) Our forces had taken Kailash Ridge in Eastern Ladakh. … (*Interruptions*)

रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि जो बात नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, इसकी जानकारी उनको कहां से प्राप्त हुई है और इसके आधार क्या हैं? … (व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं। … (व्यवधान) ये पूरी तरह से काल्पनिक बातें हैं, जिन्हें ये सदन के समक्ष रखकर केवल पूरे सदन को ही नहीं, बल्कि, सारे देश को ये गुमराह करना चाहते हैं। … (व्यवधान) इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर बोलने से इन्हें रोका जाए। … (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: Sir, Chinese forces were approaching Kailash Ridge. Four tanks … (*Interruptions*)

श्री किरेन रिजिजू : स्पीकर सर, एक सीमा होती है और हर एक मेंबर का एक दायित्व बनता है। ... (व्यवधान) एक व्यवस्था के तहत श्री राहुल गांधी जी अपनी जो बात रखना चाहते हैं, हम लोग बार-बार बोल रहे हैं कि हम लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। ... (व्यवधान) जो चीज नहीं बोलनी चाहिए, जिसकी परमीशन नहीं है, उसे बार-बार बोलते हुए आप क्या हासिल करेंगे? ... (व्यवधान) देश को नीचा दिखाकर आपको क्या फायदा मिलेगा, आप यह बताइए। ... (व्यवधान)

हमारे और आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन, देश हित में हम सबको एकजुट होना चाहिए। इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। ... (व्यवधान) आप एक ऐसी चीज बता रहे हैं, जिसका कोई सोर्स नहीं है। ... (व्यवधान) किसने श्री राहुल गांधी जी को बताया कि चाइनीज़ टैंक्स यहां खड़े हैं, इंडियन टैंक्स यहां खड़े हैं? ... (व्यवधान) जिस चीज पर यहां चर्चा नहीं हो रही है, उस पर वे चर्चा कर रहे हैं। ... (व्यवधान) इसलिए, मैं बहुत ही सीमित रूप से श्री राहुल गांधी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप कृपया करके ऐसी चीजें इस सदन में मत बोलिए, जिससे हमारी सेना का मनोबल गिरे और देश को नुकसान हो। ... (व्यवधान) आप ऐसी बातें मत कीजिए। ... (व्यवधान) स्पीकर साहब रूलिंग दे चुके हैं। ... (व्यवधान) हम सब लोग सुनने के लिए बैठे हैं। ... (व्यवधान) प्रधानमंत्री जी भी आए थे और हम सब लोग भी सुनने के लिए बैठे हैं। ... (व्यवधान) आप चर्चा में जो भी बोलना है, लेकिन, आपको नियम के तहत बोलना पड़ेगा। ... (व्यवधान)

(1505/SPS/VPN)

SHRI RAHUL GANDHI: So, Chinese ... (*Interruptions*) सर, यह बात 8 बजकर 15 मिनट पर 31 अगस्त, 2020 में शुरू होती है। चार टैंक्स हिन्दुस्तान ने कैलाश ... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : सर, क्या सेना की बात नहीं कर सकते हैं? वह भारत की सेना की बात कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलेगा। मैं इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं। मैं माननीय विपक्ष के नेता से पुन: आग्रह करता हूं कि वह महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री राहुल गांधी : सर, मैं नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी प्रेसीडेंट भाषण का सेंट्रल है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन से व्यवस्था देने के बाद भी आप लगातार आसन की व्यवस्था की अवमानना कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सदन की मर्यादा को बनाएं रखें। आप महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलें, नीतियों पर बोलें, पॉलिसी पर बोलें, आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रीय हित के विषय पर अगर हम सेना की या सेना के कृत्यों की आलोचना करेंगे, तो यह उचित नहीं होगा।

… (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : स्पीकर सर, जो हुआ है, वह सेना के सब लोगों को मालूम है। वह उनसे छिपा नहीं है, लेकिन आप उसे यहां जनता से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वह रियलिटी देश का हर जवान जानता है। … (व्यवधान) उनके कमांडर इन चीफ नरवणे जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ...

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप नहीं बोलना चाहते हैं? क्या आसन की व्यवस्था को नहीं मानना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं तो चाहता हूं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए। सदन आपका है। आपको बोलना है, तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलें, आप नीतियों पर बोलें, आलोचना करें, जो कुछ कहना है, कहें। मैं सदन में किसी को नहीं रोक रहा हूं। मैंने पहले भी कभी नहीं रोका है,

लेकिन आप सदन के अंदर उन तथ्यों पर बोलें, जो देश के हित में हैं। यह तो आग्रह कर सकते हैं।

… (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : सर, मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं कि आप बार-बार उस चीज का जिक्र कर रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको नहीं है। किताब और मैगज़ीन के बारे में कोई पुष्टि नहीं है। आप हमारी आर्मी को नीचा दिखाने के लिए बार-बार स्टेटमेंट दे रहे हैं। यह ठीक बात नहीं है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री राहुल गांधी जी, आपका माइक चालू है। आप बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : सर, मेरी रिक्वेस्ट यह है कि अगर राहुल गांधी जी हमारे बॉर्डर के बारे में बात करना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी आज इस सदन में बताए कि वर्ष 1962 में हमारी कितनी जमीन आपने चाइना को सरेंडर की है? आपने वर्ष 1961 में हमारी कितनी जमीन सरेंडर की है?… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1509 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोलह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1600/RHL/UB)

1600 बजे

लोक सभा सोलह बजे पुन: समवेत हुई।

(श्री जगदम्बिका पाल पीठासीन हुए)

माननीय सभापति : मुझे लगता है कि मेरे आने से यहां का माहौल काफी खुशगवार हो गया है। इसलिए...

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : गौरव गोगोई साहब, खुशगवार महौल हो गया है न? मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के सम्मानित नेताओं और ट्रेजरी बेंचेज़ से कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के द्वारा तैयार किया हुआ दस्तावेज होता है, जिसमें सरकार के सभी विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और उनकी योजनाओं का उल्लेख होता है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभी दल के नेताओं ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया है कि सभी लोग चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सुन लीजिए। Please do not be excited. देखिए उस समय भी माननीय स्पीकर साहब ने एक व्यवस्था दी और नेता प्रतिपक्ष से लगातार आग्रह किया कि हम और संपूर्ण सदन आपको सुनना चाहता है, प्रधानमंत्री जी स्वयं बैठे थे। रक्षामंत्री जी थे, गृहमंत्री जी आदि सब लोग थे और पूरा सदन था। मुझे लगता है कि हम सब लोग आज इस सदन के सदस्य हैं, जनता ने हमें यह सौभाग्य दिया है। जब आज आपको महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर एक महत्वपूर्ण अवसर मिल रहा है कि आप सरकार की सभी नीतियों, कार्यक्रमों पर सुझाव, आलोचना, जो भी आप करना चाहें करें। नेता प्रतिपक्ष, मेरा आपसे आग्रह है कि और भी दल के नेताओं को बोलना है, सबने स्पीकर साहब से आग्रह किया है, मैं भी आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अब नेता प्रतिपक्ष को अपना भाषण महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देना चाहिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आपको देख रहा हूं। आप क्यों संज्ञान ले रहे हैं? बैठे-बैठे संज्ञान नहीं लिया जाता है। Gaurav ji, you are Deputy Leader of the Congress Party. You are quite aware of the propriety, procedure, rules and regulations of the House. हाउस को आप जानते हैं। मैं आपका संज्ञान ले रहा हूं। माननीय मंत्री जी का संज्ञान आप मत लीजिए। मैं इस समय केवल नेता प्रतिपक्ष का संज्ञान ले रहा हूं। हम केवल नेता प्रतिपक्ष को बुलाने जा रहे हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्यगण नेता प्रतिपक्ष को आप भी सुनें और सत्ता पक्ष के लोग भी सुनें। यह स्वाभाविक है कि इस प्रजातंत्र में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका सत्तारूढ़ दल की होती है, उतनी ही नेता प्रतिपक्ष की भी होती है।

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS – Contd.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI RAHUL GANDHI): Hon. Chairperson, Sir, thank you for letting me speak on the President's Address. There is a very important matter that I have been trying to raise for the last two or three hours. It is a matter of national security.

माननीय सभापति : आप लोग हंस क्यों रहे हैं? आप अपने नेता पर हंस क्यों रहे हैं, अपने नेता पर हंसिए मत। आप अपने नेता पर हंस क्यों रहे हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं उनको अलाऊ कर रहा हूं, वे नेशनल सिक्योरिटी पर कह रहे हैं, तो मैंने तो व्यवधान नहीं डाला। आप लोग हंस रहे हैं।

SHRI RAHUL GANDHI : Sir, I do not understand what is there in these words that the hon. Prime Minister has ... (*Expunged as ordered by the Chair*) and Shri Amit Shah ji has ... (*Expunged as ordered by the Chair*) … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : उस पर रूलिंग आ चुकी है। अगर आपने तय कर लिया है कि स्पीकर के व्यवस्था देने के बावजूद आप बार-बार उस विषय को उठाएंगे, जिसके बारे में रक्षा मंत्री जी और गृहमंत्री जी ने कहा कोई किताब पब्लिश हुई है, तो बता दें। आप वही बात फिर करना चाहते हैं। अगर आपको बोलना है, तो मैं आपको अलाऊ करता हूं। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहुत-से मुद्दे हैं। आपके पास रोड, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट इत्यादि। क्या आपके पास ये सब विषय नहीं हैं? आप केवल इसी बात को, जिसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है…

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लिखकर देंगे, स्पीकर साहब इजाजत देंगे, फिर आप मूव करिए।

… (व्यवधान)

(1605/KN/NKL)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : संसदीय कार्य मंत्री जी।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : सर, इन्होंने … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) वर्ड कैसे यूज किया? … (व्यवधान) देखिये, अभी-अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी ने … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) किया।… (व्यवधान) … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) शब्द आप इस सदन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? क्या कोई … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) है? … (व्यवधान) आपने बहुत गलत शब्द इस्तमोल किया है।… (व्यवधान) राहुल जी, आप पॉइंट पर बोलिये। हम लोग सुनेंगे। अभी भी समय है और हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप पॉइंट पर बोलिये।… (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: Is ... (*Expunged as ordered by the Chair*) unparliamentary? … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा और मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लिया। स्पीकर साहब ने एक व्यवस्था दी है। उस विषय के अलावा और भी विषय हैं। उस विषय पर आपको जो कहना था, उस पर व्यवस्था आ गई है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : इससे क्या लग रहा है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन होकर स्पीकर साहब की रूलिंग को नहीं मानेंगे?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी और रिपीटेडली रूलिंग दी। आप उससे हट कर बात नहीं करेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अध्यक्ष महोदय ने आपको निर्देशित किया। चाहे हमारे स्पीकर साहब हों या मैं सीट पर बैठा हूं, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि आप बोलिये।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं बिल्कुल अलाउ कर रहा हूं।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Do you not have any respect for the Chair?

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Who will allow you?

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : मैं उनका नाम ले रहा हूं। आप लोग बैठ जाएं। यह तरीका नहीं है। देखिये, मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम लिया है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : राहुल जी, क्या आप बोलेंगे?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : राहुल जी, मैं आपका नाम फिर लूंगा, नहीं तो फिर मैं अखिलेश यादव जी का नाम लूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अगर आप बोलना चाहें, तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप बोलिये।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : राहुल जी, आप बोलिये।

… (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): ... (*Expunged as ordered by the Chair*) … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Why are you making a running commentary?

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : मैंने इनको बोलने की इजाजत दी है। मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम बोला है। आप कृपया बैठ जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : उनका माइक चालू है।

… (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: Hon. Chairperson Sir, I consider the matter of national security to be the most important matter in this country. … (*Interruptions*) I am raising a matter of national security. It is uncomfortable for the Defence Minister; it is uncomfortable for the Prime Minister. … (*Interruptions*) I understand it. But it is a matter.… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : उनको अनकंफर्टेबल नहीं है। उन्होंने एक सवाल पूछा था।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : उन्होंने एक बात कही थी कि आप जो बात क्वोट कर रहे हैं, क्या वह बुक पब्लिश हुई है कि नहीं हुई है? बस मैं यह बात कह रहा हूं।

… (व्यवधान)

SHRI RAHUL GANDHI: Hon. Chairperson Sir, if, as you are saying, it was not uncomfortable for the Prime Minister or the Defence Minister, then they would let me speak. … (*Interruptions*) The fact that they are not letting me speak means that it is uncomfortable for them. … (*Interruptions*)

Now, I would like to explain in a little bit of detail what this issue of national security exactly was. … (*Interruptions*) Rajnath Singh ji is sitting here, and he is aware of this matter.

(1610/VR/ANK)

He is the Minister, he is the person who spoke to General Naravane. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : फिर आपने वही बात बोल दी। मुझे लगता है कि अब आप नहीं बोलना चाहते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही कल मंगलवार, दिनांक 03 फरवरी, 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1611 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 03 फरवरी, 2026 / 14 माघ, 1947 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।